No. : 7526 Date : 13.10.2022

To,

The Hon'ble Justice of National Green Tribunal
Principal Bench, New Delhi.

Sub.: **Preliminary Objection Report of Joint Committee Constituted in OA No. 407/2022 in the matter of Narayan Das Tulsani V/s State of Rajasthan**

Ref. **Hon'ble NGT order dated 11.07.2022**

PART-I : <u>History of Narayan Das Tulsani</u>

1. **नारायणदास तुलसानी** पुत्र स्व. किशन चंद तुलसानी आयु 65 वर्ष, ए–13, करणी नगर, पवनपुरी, बीकानेर पिछले 47 वर्षो से शूगर कैण्डी, कन्फेक्शनरी, बिस्किट आदि का उत्पादन एवं विक्रय रीको बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र/खारा औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर में किया जा रहा है। जिसका पिछले तीन वर्षो का Turn Over Rs. **109.27 Crore** है तथा पिछले तीन वर्षो में तुलसानी परिवार द्वारा **Rs. 1.70 Crore** Income Tax सरकार को दिया गया है। C.A. द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है। Anx-1

2. यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा कम्पनी को पत्र क्र. 2583 दि. 07.09.2012 के तहत रीको भू–निपटान नियम 1979 के नियम 3(W) के तहत **99 वर्ष की लीज पर** 39.62 करोड़ का निवेश कर खाद्य पदार्थ इकाई स्थापित करने हेतु Preferential Allotment भूखण्ड सं. ई–593 से 596 एवं एफ–609 से 615 करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर में आवंटित किये गये ।

3. यह कि प्रबन्धक निदेशक रीको लि. जयपुर द्वारा बिना सुनवाई का मौका दिये Ex-Party आदेश दि. 25.11.2019 को पारित किया गया जिसकी प्रथम अपील दि. 13.12.2019 के तहत प्रथम अपील अधिकारी अध्यक्ष महोदय, रीको लि. को प्रस्तुत की गई है।

4. यह कि अध्यक्ष महोदय ने अपील की बिना सुनवाई का मौका दिये (Ex-party) दि. 25.08.2021 को निरस्त कर दी गई। जिसकी कम्पनी ने द्वितीय अपील क्र. 4176 दि. 20.09.2021 के तहत IDC रीको लि. जयपुर के समक्ष दि. 23.09.2021 को प्रस्तुत कर दी गई थी जो कि आज दि. **13.10.2022** तक विचाराधीन है। (छाया प्रति संलग्न है) Anx-2

5. यह कि कम्पनी द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में आवंटित भूखण्डों पर बिल्डिंग निर्माण, प्लान्ट एवं मशीनरी में **16,54,17,819**/– रुपये का निवेश (On Sources) दिनांक 10.10.2022 तक किया गया है बाकी 23.00 करोड़ के लिये बैंक ने Loan Application को Hold कर रखा है। C.A. द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है। Anx-3

Part-II : History of RIICO Karni Industrial Area (Extn.) Project Bikaner

6. यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना बीकानेर की स्थापना वर्ष 2011 में की गई थी। जिसकी **Consent to Establish** दि. **17.01.2012** को प्राप्त की गई। जो कि दि. 30.11.2014 तक वैद्य थी।(छाया प्रति संलग्न है) Anx-4

7. यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में **Environment Clearance** प्राप्त किये बिना एक भूखण्ड कम्पनी को तथा 6 भूखण्ड अन्य कम्पनियों को आवंटित किये गये जिसका अनुमानित क्षेत्रफल 2,20,000 वर्गमीटर है।

8. यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा **E.C.** प्राप्त किये बिना भूखण्ड आवंटन करना भारत सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा जारी कार्यालय परिपत्र क्र. J-11013/41/ 2006/IA.II(I) दि. **19.08.2010** का Violation है। (छाया प्रति संलग्न है) Anx-5

9. यह कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना बीकानेर ने **EC** से पूर्व रीको तथा एक खाद्य पदार्थ इकाई द्वारा बिल्डिंग निर्माण कार्य April 2013 में आरम्भ कर दिया गया था जो कि भारत सरकार के परिपत्र J-11013/41/2006-IA.II(I) Ministry of Environment & Forests New Delhi दि. **12.12.2012** का **Violation** है। (छाया प्रति संलग्न है) Anx-6

.....2.

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER

नारायणदास
13.10.2022

10. यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में **EC** प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दि. **21.05.2014** के तहत पर्यावरण विभाग जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

11. यह कि **Mangi Lal Panwar** Regional Manager RIICO Ltd., Bikaner द्वारा पर्यावरण विभाग में पत्र क्र. 3712 दि. 12.10.2015 के तहत **Undertaking** प्रस्तुत की गई जिसकी विवेचना करना आवश्यक होगा– (छाया प्रति संलग्न है) Anx-7

I, Mangilal Panwar, Regional Manager of Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Ltd., Bikaner having its registered office at Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur- 302015, Rajasthan, India, do hereby **undertake for compliance** of following laws related to environment in all industrial areas under our jurisdiction:

1. The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974
2. The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981
3. The Environment Protection Act, 1986

Date: 12.10.2015
Place : Bikaner

Sd/-
(MANGILAL PANWAR)
Regional Manger
RIICO Ltd., Bikaner

12. यह कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में **EC** से पूर्व एक खाद्य पदार्थ इकाई द्वारा दि. **23.10.2015** को उत्पादन कार्य आरम्भ कर दिया गया। जो कि **EIA Notification 2006** का **Violation** है।

13. यह कि पर्यावरण विभाग जयपुर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में **EC** सं. 978 दि. 11.04.2017 जारी की गई।

14. यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा EC में अंकित नियम/शर्तों की Violation/ Non-compliance पिछले **पांच वर्षों** से की जा रही है।

PART-III : EC No. 978 Dt. 11.04.2017 of Violation/Non-compliance

15. यह कि **EC** की Violation/Non-Compliance के संदर्भ में RSPCB जयपुर द्वारा दि. 02.09.2020, 05.10.2020, 04.01.2022 को Show Cause Notice रीको लि. बीकानेर को जारी किये गये ।

16. यह कि **EC** की Violation/Non-Compliance के संदर्भ में RSPCB जयपुर की तत्कालीन अध्यक्ष महोदया वीनू गुप्ता द्वारा अर्द्ध शासकीय पत्र दि. 13.07.2021, 08.04.2022 के तहत प्रबन्धक निदेशक रीको लि. जयपुर को जारी किये गये।

17. यह कि प्रार्थी द्वारा **EC** की Violation/Non-compliance के संदर्भ में मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव/पर्यावरण विभाग/RSPCB बीकानेर/जयपुर/रीको लि. बीकानेर/जयपुर को **दिसम्बर 2019 से फरवरी 2022** तक पत्र प्रेषित किये गये। लेकिन किसी भी विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं करने के कारण मजबूरन प्रार्थी को श्री आदर्श कुमार जी गोयल, माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली को पत्र क्र. **5749 दि. 30.03.2022** प्रेषित किया गया।

PART-IV

18. यह है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा प्रार्थी के पत्र क्र. 5749 दि. 30.03.2022 पर प्रसंज्ञान लेते हुए OA No. 407/2022 दि. 11.07.2022 को आदेश के पैरा सं. 3 में यह अंकित किया कि– It would be appropriate to have a factual and action taken report from a Joint Committee comprising of concerned Regional Office of MoEF & CC, CPCB, CGWA, State PCB and District Magistrate, Bikaner State PCB will be Nodal Agency for Co-ordination and compliance.

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER

.....3.

नारायणदास
13.10.2022

19. यह कि Nodal Officer RSPCB बीकानेर द्वारा दि. **03.08.2022** के तहत प्रार्थी को मेल किया गया। मेल में Regarding request to provide information in NGT matter की मांग की गई। (छाया प्रति संलग्न है) Anx-8

20. यह कि प्रार्थी द्वारा पत्र क्र. 6813 दि. **04.08.2022** के तहत NGT Matter से सम्बन्धित पत्र क्र. 5749 दि. 30.03.2022 संलग्न दस्तावेज RSPCB बीकानेर कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये गये। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) Anx-9

21. यह कि Nodal Officer RSPCB बीकानेर द्वारा दि. **23.08.2022** को दोपहर 1.00 बजे के करीब प्रार्थी को सूचित किया गया कि NGT Matter में Joint Committee के सदस्य RSPCB बीकानेर कार्यालय में आये हुए हैं आप आ जाएं।

22. यह कि प्रार्थी द्वारा दि. **23.08.2022** को दोपहर 2.00 से 2.30 बजे के दौरान RSPCB कार्यालय में उपस्थित Joint Committee के सदस्यों को **EC** की Violation/ Non-Compliance से सम्बन्धित जानकारी तथा अतिरिक्त दस्तावेज उपलब्ध करवाये गये।

23. यह कि Nodal Officer RSPCB बीकानेर द्वारा दि. **24.08.2022** को प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के अतिरिक्त Two Set की मांग की गई। तत्पश्चात् प्रार्थी ने पत्र क्र. 7019 दिनाक 24.08.2022 के तहत Two set RSPCB बीकानेर कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये गये। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) Anx-10

24. यह कि प्रार्थी द्वारा Joint Committee के सदस्य **जिला कलेक्टर,** बीकानेर को OA No. 407/2022 से सम्बन्धित पत्र क्र. 6893 दि. 09.08.2022 तथा अतिरिक्त तथ्य, साक्ष्य पत्र क्र. 7041 दि. 25.08.2022 के तहत स्पीड पोस्ट/ईमेल द्वारा प्रेषित किये गये। (पत्रों की छाया प्रति संलग्न है) Anx-11

25. प्रार्थी द्वारा Joint Committee के सदस्य **महेश दत्त पुरोहित** (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जयपुर) को OA No. 407/2022 से सम्बन्धित पत्र क्र. 6897 दि. 09.08.2022 तथा अतिरिक्त तथ्य/साक्ष्य पत्र क्र. 7039 दि. 25.08.2022 के तहत स्पीड पोस्ट/ईमेल द्वारा प्रेषित किये गये। (पत्रों की छाया प्रति संलग्न है) Anx-12

26. प्रार्थी द्वारा Joint Committee के सदस्य **प्रवीण कुमार जैन** (CPCB Bhopal) को OA No. 407/2022 से सम्बन्धित पत्र क्र. 6953 दि. 12.08.2022 तथा अतिरिक्त तथ्य/साक्ष्य पत्र क्र. 7037 दि. 25.08.2022 के तहत स्पीड पोस्ट/ईमेल द्वारा प्रेषित किये गये। (पत्रों की छाया प्रति संलग्न है) Anx-13

27. प्रार्थी द्वारा Joint Committee के सदस्य **मोहित जैन** (केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण, जयपुर) को OA No. 407/2022 से सम्बन्धित पत्र क्र. 6896 दि. 09.08.2022 तथा अतिरिक्त तथ्य/साक्ष्य पत्र क्र. 7038 दि. 25.08.2022 के तहत स्पीड पोस्ट/ईमेल द्वारा प्रेषित किये गये। (पत्रों की छाया प्रति संलग्न है) Anx-14

PART-V : Joint Committee के सदस्यों द्वारा OA No. 407/2022 से सम्बन्धित पत्र क्र. 588 दि. 18.09.2022 के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट के संदर्भ में

Preliminary Objection

28. यह कि Joint Committee के सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट के बिन्दु सं. 24 में अंकित किया है कि CETP स्थापित करने हेतु करणी बीकानेर वाटर एन्वायरो फाउण्डेशन बीकानेर को भूखण्ड सं. SP 501 दि. 26.07.2018 को आवंटित किया गया है।

29. यह कि करणी बीकानेर वाटर एन्वायरो फाउण्डेशन द्वारा भूखण्ड संख्या एस.पी. 501 दि. 11.04.2022 को सरेण्डर कर दिया गया है। Joint Committee के सदस्यों के द्वारा किसी भी प्रकार की **जांच/सत्यापन नहीं किया गया है।** (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) Anx-15

30. यह कि Joint Committee के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें OA No. 407/2022 के संदर्भ में पत्र क्र. 7039, 7037, 7038, 7019, 7041 दि. 25.08.2022 के तहत प्रेषित अतिरिक्त तथ्य/साक्ष्य/दस्तावेजों को **रिपोर्ट में** संलग्न नहीं किया गया है।

......4.

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER

नारायणदास

13.10.2022

31. यह कि Joint Committee के सदस्यों द्वारा RSPCB जयपुर द्वारा जारी Show Cause Notice/अर्द्ध शासकीय पत्रों के संदर्भ में किसी भी प्रकार का Comments/Advise/View/Conclusion रिपोर्ट में अंकित नहीं किये गये है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि Joint Committee के सदस्यों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया गया है।

32. यह कि Joint Committee के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें OA No. 407/2022 के संदर्भ में प्रार्थना पत्र क्र. 5749 दि. 30.03.2022 में अंकित बिन्दु सं. 1 से 15 के संदर्भ में किसी भी प्रकार का Comments/ Advise/View/Conclusion रिपोर्ट में अंकित नहीं किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि Joint Committee के सदस्यों द्वारा अपने **कर्त्तव्यों का निर्वाह** नहीं किया गया है।

33. यह कि Joint Committee के सदस्यों द्वारा OA No. 407/2022 से सम्बन्धित पत्र दि. 24.08.2022 एवं 25.08.2022 के तहत प्रस्तुत/प्रेषित अतिरिक्त तथ्य/साक्ष्य/दस्तावेज में अंकित बिन्दु सं. 1 से 5 के संदर्भ में किसी भी प्रकार का Comments/ Advise/View/Conclusion रिपोर्ट में अंकित नहीं किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि Joint Committee के सदस्यों द्वारा अपने **कर्त्तव्यों का निर्वाह** नहीं किया गया है।

34. यह कि Joint Committee के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बिन्दु सं. 31 व 32 में की गई अनुशंषा से यह स्पष्ट होता है कि **प्रार्थी की सामाजिक हत्या** करने की कोशिश की गई है।

अतः आपसे निवेदन है कि बिन्दु सं. 1 से 34 में अंकित तथ्यों/साक्ष्यों/दस्तावेजों की जांच/सत्यापन कर EC की Violation/Non-compliance से सम्बन्धित रीको के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

सधन्यवाद।

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER

प्रार्थी

नारायणदास तुलसानी पुत्र स्व. किशन चंद तुलसानी
ए–13, करणी नगर, पवनपुरी, सहयोग पार्क के पास, बीकानेर।
मो.नं.: 9928912610, email:narayandastulsani@gmail.com

Copy to : Member of the Committee- **7530**

1. Shri Bhagwati Prasad Kalal, District Magistrate, Bikaner
2. Shri Mahesh Dutt Purohit, Scientist 'C', Ministry of Environment, Forest and Climate Change, (MoEF & CC), IRO, Jaipur.
3. Shri Praveen Kumar Jain, Scientist 'B', Central Pollution Control Board, (CPCB), Regional Directorate (Central), Bhopal.
4. Shri Mohit Jain, Scientist 'B', Central Ground Water Board, (CGWB), Western Region, Jaipur.
5. Shri Neeraj Sharma SEE & Regional Officer, RSPCB, Regional Office, Bikaner (Nodal Officer)

प्रार्थी

Sd/-

नारायणदास तुलसानी पुत्र स्व. किशन चंद तुलसानी
ए–13, करणी नगर, पवनपुरी, सहयोग पार्क के पास, बीकानेर।

INDEX

S. No.	Description	Annexure No.	Page No.
1.	Copy of C A Certificate regarding Business Profile of Narayan Das Tulsani	1	1 - 4
2.	Copy of the 2nd Appeal present before IDC of RIICO Ltd. Jaipur against order dated 25.08.2021 passed by Chairman RIICO Ltd. Jaipur	2	5 - 15
3.	Copy of CA Certificate regarding investment made by Company at plots allotted Industrial Area, Karni Ext. Bikaner	3	16
4.	Copy of Consent to Establish issued by RSPCB Jaipur Dt. 17.01.2012 valid up to 30.11.2014	4	17 - 19
5.	Copy of the Office Memorandum dated 19.08.2010 issued by Ministry of Environment & Forests G.O.I. regarding Violation	5	20
6.	Copy of the Office Memorandum dated 12.12.2012 issued by Ministry of Environment & Forests G.O.I. regarding Violation.	6	21 - 22
7.	Copy of the Undertaking dated 12.10.2015 executed by of Mangi Lal Panwar, R.M. RIICO Ltd. Bikaner	7	23
8.	Copy of Email of Regional Officer RSPCB Bikaner (Nodal Officer) to complainant for providing information & Documents regarding to the matter pending before NGT	8	24
9.	Copy of the Letter No. 6813 dated 04.08.2022 given by complainant to Regional Officer RSPCB Bikaner.	9	25
10.	Copy of the letter dated 7019 dated 24.08.2022 given to Regional Officer RSPCB Bikaner (Nodal Officer) by complainant for necessary investigation.	10	26 - 30
11.	Copy of letter no. 6893 dated 09.08.2022 & Ltr. No. 7041 Dt. 25.08.2022 given by complainant to District Collector Bikaner (Member of Joint Committee)	11	31 - 38
12.	Copy of letter no. 6897 Dt. 09.08.2022 & Ltr. No. 7039 dated 25.08.2022 given by complainant to Sh. Mahesh Dutt Purohit (MoEF) Jaipur (Member of Joint Committee)	12	39 -46
13.	Copy of letter no. 6953 dated 12.08.2022 & Ltr. No. 7037 Dt. 25.08.2022 given by complainant to Sh. Praveen Kumar Jain (CPCB) Bhopal (Member of Joint Committee)	13	47 - 54
14.	Copy of letter no. 6896 Dt. 09.08.2022 & Ltr. No. 7038 Dt. 25.08.2022 given by Complainant to Sh. Mohit Jain (CGWA) Jaipur (Member of Joint Committee)	14	55 - 62
15.	Copy of letter dated 11.04.2022 of Karni Bikaner Water Enviro Foundation regarding surrender of Plot No. SP 501	15	63 - 66

Date: 13.10.2022

Narayan Das Tulsani
S/o Lt. Kishan Chand Tulsani
A-13, Karni Nagar, Pawanpuri,
Near Sahyog Park, Bikaner

ANX- 1

(1)

RAJEEV AERON & COMPANY
CHARTERED ACCOUNTANTS

CA

Opp. Bal Bharti School,
Gangashahar Road, BIKANER (RAJ.)
OFFICE :
Ph. : 0151-2944777 Mob. : 63754 50488
RAJIV AERON
Mob. : 94142 48787, 82095 25948
E-mail : rajivaeron@gmail.com

CERTIFICATE

This is to certify that **M/s NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD**, CIN: U15203RJ2011PTC036109 having its principal place of business situated at E-126 Industrial Growth Centre Khara, Bikaner for manufacturing of sugar based products like Sugar candy Mix Variety & Toffee Mix Variety have following turnover for the financial year 2019-20, 2020-21 & 2021-22 as per books of accounts and Goods & Service Tax records produced before me;-

S.No.	Financial Year	Turnover
1.	2019-20	11,95,51,218.00
2.	2020-21	15,08,36,269.00
3.	2021-22	16,82,75,729.00

I have verified the above balances from the books of accounts and GST records maintained by the said company and certify that aforesaid information is verified and certified to be true.

NOTARY ★ GOVT. OF INDIA ★ Mohan Modi BIKANER R.No. 177 8/8/2025

For **M/s Rajeev Aeron & Company**
Chartered Accountants

(CA Rajeev Aeron) Proprietor
M.No.073558
F.R.No.028355C
UDIN: 22073558AZNBUK9038

Dated: 13th day of October, 2022

RAJEEV AERON & COMPANY ★ CHARTERED ACCOUNTANTS ★ BIKANER

PHOTO COPY ATTESTED
13/10/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

RAJEEV AERON & COMPANY
CHARTERED ACCOUNTANTS

Opp. Bal Bharti School,
Gangashahar Road, BIKANER (RAJ.)
OFFICE :
Ph. : 0151-2944777 Mob. : 63754 50488
RAJIV AERON
Mob. : 94142 48787, 82095 25948
E-mail : rajivaeron@gmail.com

CERTIFICATE

This is to certify that **M/s NAGAD NARAYAN AGRO INDUSTRIES** having its principal place of business situated at F-182 Bichwal Industrial Area, Bikaner for manufacturing of sugar based products like Sugar candy Mix Variety & Sweet Meat Mix Variety and trading of Sendha Salt, Packing Material and other Chemicals have following turnover for the financial year 2019-20, 2020-21 & 2021-22 as per books of accounts and Goods & Service Tax records produced before me;-

S.No.	Financial Year	Turnover
1.	2019-20	14,73,54,870.00
2.	2020-21	14,48,90,451.00
3.	2021-22	15,40,87,556.00

I have verified the above balances from the books of accounts and GST records maintained by the said firm and certify that aforesaid information is verified and certified to be true.

NOTARY ★ Mohan Modi BIKANER R.No. 177 8/8/2025 ★ GOVT. OF INDIA

For **M/s Rajeev Aeron & Company**
Chartered Accountants

(CA Rajeev Aeron) Proprietor
M.No.073558
F.R.No.028355C
UDIN: 22073558AZNDCJ3930

Dated: 13th day of October, 2022

RAJEEV AERON & COMPANY BIKANER CHARTERED ACCOUNTANTS

PHOTO COPY ATTESTED
13/10/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

(3)

RAJEEV AERON & COMPANY
CHARTERED ACCOUNTANTS

Opp. Bal Bharti School,
Gangashahar Road, BIKANER (RAJ.)
OFFICE :
Ph. : 0151-2944777 Mob. : 63754 50488
RAJIV AERON
Mob. : 94142 48787, 82095 25948
E-mail : rajivaeron@gmail.com

CERTIFICATE

This is to certify that **Sh. Hitesh Tulsani Proprietor of M/s Hitesh Marketing,** having its principal place of business situated at Shop No.370, Krishi Upaj Mandi Bikaner for trading of Sugar, Liquid Glucose, Whey Powder & other chemicals have following turnover for the financial year 2019-20, 2020-21 & 2021-22 as per books of accounts and Goods & Service Tax records produced before me;-

S.No.	Financial Year	Turnover
1.	2019-20	6,82,08,410.00
2.	2020-21	8,84,65,980.00
3.	2021-22	5,11,14,875.00

I have verified the above balances from the books of accounts and GST records maintained by the said concern and certify that aforesaid information is verified and certified to be true.

NOTARY GOVT. OF INDIA Mohan Modi BIKANER R.No. 177 8/8/2025

For **M/s Rajeev Aeron & Company**
Chartered Accountants

(CA Rajeev Aeron) Proprietor
M.No.073558
F.R.No.028355C
UDIN: 22073558AZNBAJ6221

Dated: 13th day of October, 2022

RAJEEV AERON & COMPANY CHARTERED ACCOUNTANTS BIKANER

PHOTO COPY ATTESTED
13/10/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

(4)

RAJEEV AERON & COMPANY
CHARTERED ACCOUNTANTS

Opp. Bal Bharti School,
Gangashahar Road, BIKANER (RAJ.)
OFFICE :
Ph. : 0151-2944777 Mob. : 63754 50488
RAJIV AERON
Mob. : 94142 48787, 82095 25948
E-mail : rajivaeron@gmail.com

CERTIFICATE

This is to certify that Sh.Narayan Das Tulsani, Anil Tulsani, Hitesh Tulsani, Smt. Deepa Tulsani and Komal Tulsani residing at A-13, Karni Nagar, Pawanpuri, Bikaner have paid Income Tax of Rs. 1,70,91,116/- (One Crore seventy lacs ninety one thousand one hundred sixteen rupees only) for the Financial Year 2019-20, 2020-21 and 2021-22.

The details of Income Tax paid in Financial Years are as follows:

S.No.	Particulars	F.Y.2019-20	F.Y. 2020-21	F.Y. 2021-22	Total Income Tax paid
1.	Narayan Das Tulsani	12,45,203.00	13,36,838.00	12,26,789.00	38,08,830.00
2.	Anil Tulsani	8,99,855.00	13,28,143.00	15,64,161.00	37,92,159.00
3.	Hitesh Tulsani	14,18,508.00	18,92,878.00	23,02,604.00	56,13,990.00
4.	Deepa Tulsani	3,18,455.00	4,15,157.00	4,75,494.00	12,09,106.00
5.	Komal Tulsani	8,52,766.00	7,10,505.00	11,03,760.00	26,67,031.00
	Total:	**47,34,787.00**	**56,83,521.00**	**66,72,808.00**	**1,70,91,116.00**

I have verified the above income tax payments from computation of total income filed by the taxpayers in corresponding financial years and certify that the aforesaid information is verified and certified to be true.

NOTARY GOVT. OF INDIA Mohan Modi BIKANER R.No 177 8/8/2025

For **M/s Rajeev Aeron & Company**
Chartered Accountants

RAJEEV AERON & COMPANY BIKANER CHARTERED ACCOUNTANTS

(CA Rajeev Aeron) Proprietor
M.No.073558
F.R.No.028355C
UDIN: 22073558AZBHKI3625

Dated: 10.10.2022

PHOTO COPY ATTESTED
13/10/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

ANX-(2) (5)

ॐ ok

☎: 0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679

NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD

E-593 TO 596 & f- 609 TO 615, INDUSTRIAL AREA KARNI EXTENSION BIKANER (RAJ)
POSTAL ADD: F- 137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

No: IDC/Appeal: 4176.

Date: 20.09.2021

To,
The Secretary
RIICO Limited
Udhyog Bhawan
Tilak Marg
Jaipur (Rajasthan)

Subject: **Second Appeal Against Ex- Parte order No. Legal/Appeal/Chairman-3/2019/504 Dated 25.08.2021 Passed by Chairman RIICO Ltd Jaipur.**

Dear Sir
With Reference to subject above Kindly find enclosed the second appeal No. 4168, dated 20.09.2021 in Seven sets, present by company before Infrastructure Development Committee (I.D.C) RIICO Ltd Jaipur, against the Ex- Parte order no. Legal/Appeal/Chairman-3/2019/504 Dated 25.08.2021 Passed by Chairman RIICO Ltd Jaipur. Kindly inform to all seven departments regarding to this appeal.

Thanking you

For Nagad Narayan Agro Foods Pvt Ltd
नारायणदास
Narayan Das Tulsani
(Director)

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

For Needful Action

1: FA/Advisor (A & M)
2: Secretary
3: CGM (BP)/CGM (Sez)
4: GM (infra/Fin/PR) / GM (Civil)/ GM (inv)
5: OSD (Land)
6: DGM IT For Uploading on website
7: Sr. DGM (Law)

Total No of 15 (Fifteen Set) of Second Appeal File Submitted From page No 1 - 246 with all Anx and documents in each file.

Recd. 15 Sets
23/9/2021

NOTARY Mohan Modi BIKANER R.No. 177 GOVT. OF INDIA

RIICO JAIPUR

PHOTO COPY ATTESTED
13/1/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

OFFICE-COPY

(6)

ॐ

☎:0151-2250410, 2250464
MOB NO. 9928912610
FSSAI: 10018013001679

NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD

E-593-596 & F-609-615, KARNI INDUSTRIAL AREA, BIKANER-334001 (RAJASTHAN)
POSTAL ADD: F-137, BICHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER (RAJ)
GSTIN:08AADCN7639L1ZW EMAIL:NAGADNARAYAN@GMAIL.COM

पत्र क्रमांक : 4168 दिनांक : 20.09.2021

द्वितीय अपील प्रार्थना पत्र

सेवा में,

Infrastructure Development Committee (IDC)
Udyog Bhawan
Tilak Marg,
Jaipur-302005

विषय : **Legal/Appeal/Chairman-3/2019/504 Dated 25.08.2021 के संदर्भ में।**
प्रसंग : **करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार बीकानेर में आवंटित भूखण्ड सं. ई–593 से 596 एंव एफ 609 से 615 के Cancellation के संदर्भ में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि **Chairman RIICO Ltd. Jaipur** द्वारा एक तरफा पारित आदेश **Legal/ Appeal/Chairman-3/2019/504 Dated 25.08.2021** के संदर्भ में RIICO DISPOSAL OF LAND RULES 1979 3(W) READ WITH RULE 24(2)(B) के तहत द्वितीय अपील के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण तथ्य साक्ष्य/दस्तावेज आपके समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे हैं जो निम्नानुसार है:– (आदेश की छाया प्रति संलग्न है) **Anx - 1**

1. यह है कि एक तरफा पारित आदेश पत्र क्रमांक 504 दिनांक 25.08.2021 के संदर्भ में द्वितीय अपील आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है जो कि समयावधि मे है।

2. यह कि नगद नारायण ग्रुप बीकानेर की फर्मो द्वारा पिछले **35 वर्षों** से बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र/खारा औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर में Sugar Base Product का उत्पादन/विक्रय कर रहा है जिसका एक वर्ष का टर्न–ओवर 30 करोड़ है, जिसके सम्बन्ध में **Chartered Accountant** द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है। **Anx - 2**

3. यह कि **कम्पनी के डायरेक्टर** (नारायण दास तुलसानी, अनिल तुलसानी, हितेश तुलसानी) की Net Worth **1193.00 लाख** है। जिसके सम्बन्ध में **Chartered Accountant** द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है। **Anx - 3**

4. यह कि नगद नारायण ग्रुप बीकानेर ने अपने उत्पादनों का **<u>Expansion</u>** करने हेतु रीको भू–निपटान नियम 1979 के नियम 3(डब्लू) के तहत करणी औधौगिक क्षेत्र (विस्तार) **(Project)** बीकानेर मे **30000 वर्गमीटर** भूखण्ड प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था।

5. यह कि **रीको** लि0 बीकानेर द्वारा पत्र क्रमांक 2583 दिनाक **07.09.2012** रीको भू–निपटान नियम 1979 के नियम 3(डब्लू) के तहत **<u>Preferential Allotment</u>** भूखण्ड संख्या ई–593 से 596 एवं एफ–609 से 615 औधोगिक क्षेत्र करणी (विस्तार) बीकानेर में 29893 वर्गमीटर आवंटित किये गये है। **Anx -4**

6. यह कि रीको द्वारा भूखण्ड संख्या ई–593 से 596 एवं एफ–609 से 615 के संदर्भ में जारी लीजडीड दिनांक 13.09.2012 के बिन्दु सं. **2(d)** की विवेचना करना आवश्यक होगा– (छाया प्रति संलग्न है) **Anx-5**

That the Lessee will erect the industrial unit on the demised premises in accordance with the site plan and will **complete construction activities within a period of two years** and **start commercial production activities within a period of three years** from the date of these presents or from the **date of possession.**

7. यह कि रीको कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 3299 दिनांक **01.10.2013** के तहत भूखण्ड पर निर्माण/उत्पादन कार्य करने के लिये पत्र जारी किया गया।(पत्र की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-6**

8. यह है कि कम्पनी द्वारा पत्र क्रमांक 4222 दिनांक **13.10.2013** के तहत भूखण्ड पर निर्माण कार्य आरम्भ करने हेतु अनुमति चाही गई। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-7**

.....2.

NOTARY Mohan Modi BIKANER R.No 177 8/8/2025 GOVT. OF INDIA

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

प्राप्त/आवक
20.9.21

9. यह कि **रीको** लि0 बीकानेर द्वारा पत्र क्रमांक 5454, दिनांक **12.03.2014** के तहत सूचित किया की:– (पत्र की छायाप्रति संलग्न है) **Anx-8**

> **वर्तमान मे औधौगिक क्षेत्र करणी (विस्तार) बीकानेर की पर्यावरण संबधी अनुमति (ई.सी) प्राप्त नही हुई है। ई.सी से पूर्व भूखण्ड पर चार दिवारी व गार्ड रूप मे अलावा निर्माण हेतु अनुमति दी जानी संभव नही है। अतः औधौगिक क्षेत्र करणी (विस्तार) के पर्यावरण संबधी अनुमति प्राप्त होने से पूर्व उपर्युक्त के अलावा अन्य निर्माण की स्वीकृति दी जानी संभव नही है।**

10. यह कि रीको लिमिटेड जयपुर/बीकानेर ने करणी औद्योगिक क्षेत्र (विस्तार) प्राजेक्ट बीकानेर के संदर्भ मे पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर से **Environment Clearance** प्राप्त किये बिना कंपनी को **Preferential Allotment** भूखण्ड सितम्बर 2012 मे आवटिंत कर दिये जो कि रीको जयपुर/बीकानेर द्वारा किया गया आवटंन अविधिक कार्यवाही की श्रेणी मे आता है।

11. यह है कि कम्पनी ने दिनांक 15.03.2015, 22.07.15, के तहत भूखण्ड पर बिल्डिंग निर्माण कार्य की अनुमति प्राप्त करने हेतु पत्र रीको बीकानेर को प्रेषित किये गये। लेकिन रीको लि. बीकानेर द्वारा उपरोक्त पत्रों का जवाब नहीं दिया गया। (पत्रो की छायाप्रति संलग्न है) **Anx-9**

12. यह कि रीको लि0 बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र (विस्तार) प्रोजेक्ट बीकानेर के संबध मे दिनांक 10.04.2017 तक **Environment Clearance** प्राप्त नहीं की गयी थी।

13. यह कि रीको के पास पर्यावरण स्वीकृति न होने के कारण करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (Project) बीकानेर पर कम्पनी आवटिंत भूखण्ड पर बिल्डिंग निर्माण कार्य/उत्पादन आरंभ नहीं कर सकी, जिसके कारण कम्पनी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है क्योंकि पिछले 5 वर्षो में (2012 से 2017) के दौरान बिल्डिंग निर्माण सामग्री में 70 प्रतिशत दर तथा प्लांट एण्ड मशीनरी की दरों में 30 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी हुई है **जिसकी समस्त जिम्मेदारी रीको लिमिटेड, बीकानेर की होती है।**

14. यह कि कम्पनी ने उपरोक्त **आर्थिक नुकसान** की सूचना मय दस्तावेज सहित पत्र क्रमांक 604 दिनांक 08.04.2017 श्रीमान् प्रबन्धक निदेशक रीको लि. जयपुर को प्रेषित की गई थी। तत्पश्चात स्मरण पत्र क्रमांक 3292, 3293 दिनांक 09.02.21 श्रीमान् अध्यक्ष महोदय/प्रबन्धक निदेशक रीको लि. जयपुर को प्रेषित किया गया स्मरण पत्र की छाया प्रति संलग्न है। **Anx- 10**

15. पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र (विस्तार) बीकानेर हेतु **स्वीकृति संख्या 978, दिनांक 11.04.2017** को **Specific नियमो एवं शर्तो** के आधार पर जारी की गयी। (छायाप्रति संलग्न है) **Anx- 11**

NOTARY
Mohan Modi
BIKANER
R.No 177
8/8/2025
GOVT. OF INDIA

16. यह कि रीको बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति मिलने की सूचना **पंत्राक 123,** दिनांक 19.04.2017 को दिनांक 26.04.17 को प्राप्त होने के पश्चात कम्पनी ने उक्त भूखण्ड पर बिल्डिंग निर्माण **कार्य** आरंभ करने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही आरंभ कर दी थी जो निम्नानुसार है:– Anx (11) A

A. यह है कि कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर विभाग बीकानेर से **15.02.2013** को वेट रजिस्ट्रेशन नं. 08951313701 प्राप्त कर लिया गया था। (रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न है) **Anx -12**

B. यह कि कंपनी द्वारा भूखण्ड का कब्जा दिलाने हेतु पत्र क्रमांक 674, **दिनांक 27.04.2017** 693 दिनांक **08.05.2017** एंव पत्र क्रमांक 699, दिनांक **10.05.2017** रीको कार्यालय मे प्रस्तुत किये गये है। (पत्रो की छायाप्रतियॉ संलग्न है)। **Anx-13**

C. यह कि कंपनी द्वारा भूखण्ड पर औद्योगिक बिल्डिंग निर्माण कार्य आरंभ करने के संबध मे पानी कनेक्शन हेतु रीको लि0 बीकानेर कार्यालय को पत्रांक 692, **दिनांक 08.05.2017** प्रस्तुत किया गया एवं **पानी का कनेक्शन** प्राप्त करने हेतु रीको लि0 की आनलाईन माध्यम से प्रार्थना पत्र क्रमांक **LPA/18/20172018/73 दिनांक 10.05.2017** को प्रेषित कर दिया गया है तह पश्चात कंपनी द्वारा **पत्र क्रमांक 728, दिनांक 23.05.2017** के तहत पानी के कनेक्शन हेतु राजस्थान एकल खिड़की योजना के तहत भी प्रार्थना पत्र क्रमांक 10232, दिनांक 23.05.2017 प्रेषित किया गया (पत्रो की छायाप्रति संलग्न है)। **Anx- 14**

D. यह कि रीको लि0 बीकानेर कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 534, दिनांक 29.05.2017 के तहत सूचित किया गया की आवंटन भूखण्डो पर **जल संबध जारी किया जाना संभव नही है,** पत्र क्रमांक 507, दिनांक **24.05.2019** के तहत सूचित किया गया कि वर्तमान मे **पानी का कनेक्शन** जारी किया जाना संभव नही है जल संबध मे की व्यवस्था आप अपने स्तर पर करें। (पत्र की छायाप्रति संलग्न है) **Anx- 15**

PHOTO COPY ATTESTED

CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

आवेदक
20.9.21

E. यह कि आवटंन पत्र की **शर्त संख्या 19** की **पालना** के तहत कंपनी द्वारा भूखण्ड पर बिल्डिंग निर्माण कार्य आरंभ करने के संबध मे भू–जल का दोहन करने हेतु **केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण जयपुर** के समक्ष प्रार्थना पत्र क्रमांक 24–4/5765/आर.जे/आई.एन.डी2017, दिनाक **24.11.2017** प्रस्तुत किया गया है, जो कि दिनांक **02.02.2021** तक विचाराधिन था। (पत्र की छायाप्रति संलग्न है)। **Anx-16**

F: यह कि कंपनी द्वारा भूखण्ड संख्या ई–593 से 596 एवं एफ–609 से 615, औधौगिक क्षेत्र करणी विस्तार बीकानेर मे आवटिंत भूखण्ड पर खाद्य प्रसस्करण की इकाई स्थापित करने हेतु **खाद्य प्रसंस्करण उधोग मंत्रालय** नई दिल्ली की **किसान सम्पदा योजना** के तहत **अनुदान प्राप्त करने हेतु** प्रार्थना पत्र क्रमांक ई.ओ.आई/टीयूएस/2017–18/23, दिनाक **12.09.2017 प्रस्तुत किया गया है**। (छायाप्रति संलग्न है)। **Anx-17**

G: यह कि कंपनी द्वारा भूखण्ड पर बिल्डिंग निर्माण/उत्पादन कार्य आरंभ करने के संबध मे राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर के समक्ष **Consent to Established** प्राप्त करने हेतु **प्रार्थना पत्र क्रमांक 197327,** दिनाक 18.10.2017 प्रस्तुत किया गया है। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-18**

H: यह कि कंपनी द्वारा भूखण्ड पर बिल्डिंग निर्माण/उत्पादन आरंभ करने हेतु **दिनाक 12.01.2018** को बिजली का कनेक्शन प्राप्त कर लिया गया है। (बिलो की छायाप्रतियॉ संलग्न है) **Anx-19**

17. यह कि कम्पनी द्वारा पत्र क्रमांक 6 दिनांक **25.08.2017** के तहत भूखण्ड पर निर्माण समयावधि बढ़ाने हेतु रीको लि. बीकानेर को प्रस्तुत किया गया था। उपरोक्त पत्र के **निस्तारण** के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की सूचना कम्पनी को उपलब्ध नहीं करवाई गई। **Anx-20**

18. यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा पत्र क्रमांक 2896 दिनांक 20.12.2017 के तहत सूचित किया गया कि भूखण्ड पर बिल्डिंग निर्माण कार्य **28.06.2019** तक पूरा करने के निर्देश मुख्यालय से प्राप्त हुए हैं। **Anx-21**

19. यह है कि कम्पनी द्वारा पत्र क्रमांक 352 दिनांक **04.07.2018** के तहत भूखण्ड पर बिल्डिंग निर्माण के सम्बध में की गई कार्यवाही की सूचना रीको लि. बीकानेर कार्यालय को प्रस्तुत की गई थी। **Anx-22**

20. यह है कि कम्पनी द्वारा पत्र क्रमांक 488 दिनांक **02.12.2018** के तहत भूखण्ड पर बिल्डिंग निर्माण में होने वाली देरी के संदर्भ में सूचित किया गया था। **Anx-23**

21. यह है कि कम्पनी ने Request पत्र दिनांक 01.03.2019, 14.03.2019, 26.03.2019 के तहत भूखण्ड पर बिल्डिंग निर्माण कार्य की सूचना/पूर्व में निर्धारित निवेश सीमा को 50 प्रतिशत कम करने/बिना Retention Charge की दो वर्ष की अतिरिक्त समयावधि देने के लिये रीको लि. बीकानेर को प्रस्तुत किये थे। लेकिन रीको लि. बीकानेर द्वारा किसी भी Request पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की सूचना कम्पनी को उपलब्ध नहीं करवाई गई। (पत्रों की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-24**

22. यह है कि कम्पनी ने बिल्डिंग निर्माण में कार्य करने वाले मजदूरों के पीने हेतु पानी के अस्थायी कनेक्शन जारी करने के संदर्भ में पत्र क्रमांक 651, 675, 678 दिनांक 29.04.2019, 08.05.2019, 12.05.2019 रीको लि. बीकानेर को प्रस्तुत किये गये थे। (पत्रों की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-25**

23. यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा पत्र क्रमांक 298 दिनांक **30.04.2019** के तहत **कारण बताओ नोटिस** जारी किया गया। जिसमें अंकित किया गया कि (नोटिस की छाया प्रति संलग्न है) – **Anx- 26**

> **"45 दिवस की अवधि में यह स्पष्ट करें कि आप द्वारा उक्त भूखण्ड पर निर्धारित समयावधि में प्रस्तावित निवेश करते हुए उत्पादन प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया।"**

24. यह है कि रीको लि. बीकानेर ने पत्र क्रमांक 414 दिनांक 14.05.2019 के तहत अवगत करवाया कि– (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-27**

> **"आवंटित भूखण्ड के आवंटन पत्र की शर्त सं. 2 बी के अनुसार निर्माण एवं उत्पादन के लिये पानी की व्यवस्था आप अपने स्तर पर करेंगे इसमें रीको की कोई बाध्यता नहीं है।"**

....4.

NOTARY Mohan Modi BIKANER R.No 177 8/8/2025 GOVT. OF INDIA

PHOTO COPY ATTESTED
13/8/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

नागनारायण
20.9.21

25. यह कि कम्पनी ने उपरोक्त पत्र 414 दिनांक 14.05.2019 के संदर्भ में पत्र क्रमांक 713 दिनांक 20.05.2019 के तहत रीको लि. बीकानेर को सूचित किया गया था कि– (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-28**

> **"कम्पनी द्वारा भू–जल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र क्रमांक 21–4/5765/RJ/INDS/2017 दिनांक 24.11.2017 श्रीमान् क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था।" जो कि दिनांक 20.05.2019 तक विचाराधीन है।**

26. यह कि रीको लि. बीकानेर ने पत्र क्रमांक 507 दिनांक 24.05.2019 के तहत कम्पनी को सूचित किया कि– (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-29**

> **"औद्योगिक क्षेत्र करणी विस्तार में जल प्रदाय योजना को विकसित करने का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में पानी का कनेक्शन जारी किया जाना संभव नहीं है।"**

27. यह है कि कम्पनी द्वारा पत्र क्रमांक 298 दिनांक **30.04.2019** कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में पत्र क्रमांक 756 दिनांक **08.06.2019** के तहत तथ्य साक्ष्य प्रमाण रीको लि. बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किये गये। जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि– (पत्रों की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-30**

> **"प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का अंतिम निर्णय पारित करने से पूर्व कम्पनी को सुनवाई का एक अवसर आवश्यक रूप से प्रदान करे, जिससे कम्पनी अपना पक्ष रख सके।"**

28. यह है कि कम्पनी ने Request पत्र दिनांक **24.11.2019** को श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, रीको लि. जयपुर को भूखण्ड पर निर्माण/उत्पादन आरम्भ करने हेतु समयावधि बढ़ाने के संदर्भ में प्रेषित किया गया था। लेकिन **अध्यक्ष महोदय** द्वारा पत्र का जवाब नहीं दिया गया। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-31**

29. यह है कि रीको लि. बीकानेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक 1955 दिनांक 25.11.2019 के तहत कम्पनी को सूचित किया कि– (आदेश की छाया प्रति संलग्न) **Anx-32**

> **You are replied to Show Cause Notice is not found satisrfactory.**

30. यह है कि क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको लि. बीकानेर ने प्रार्थी को सुनवाई एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर **(Oppurtunity of Personal Hearing)** दिये बिना ही एक तरफा आदेश दिनांक **25.11.2019** को पारित कर दिया जो कि **विधिक दृष्टि** से उचित आदेश नहीं है।

31. यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये एक तरफा आदेश क्रमांक 1955 दिनांक 25.11.2019 के विरूद्ध श्रीमान् अध्यक्ष महोदय रीको लि. जयपुर के समक्ष रीको भू–निपटान 1979 के नियम **24(2)** के तहत प्रथम अपील प्रार्थना पत्र दिनांक **13.12.2019** को प्रस्तुत किया गया था। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-33**

32. यह कि कम्पनी ने प्रथम अपील प्रार्थना पत्र दिनांक **13.12.2019** के संदर्भ में पत्र क्रमांक 2491 दिनांक 28.09.2020 के तहत महत्वपूर्ण तथ्य, साक्ष्य, दस्तावेज दिनांक **05.10.2020** को श्रीमान् अध्यक्ष महोदय रीको लि. जयपुर के कार्यालय में प्रस्तुत किये गये थे। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-34**

33. यह है कि कम्पनी ने दिनांक अपील सुनवाई तिथि दिनांक **18.12.2020** को श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, रीको लि. जयपुर के समक्ष प्रस्तुत होकर पत्र क्रमांक 2915 दिनांक 18.12.2020 के तहत **महत्वपूर्ण तथ्य, साक्ष्य**, दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे जिसमें अंकित किया गया था कि –(पत्र की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-35**

> **"बिन्दु सं. 1 से 54 में अंकित तथ्यों, साक्ष्यों संलग्न दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको लि. द्वारा एक तरफा पारित आदेश क्रमांक 1955 दिनांक 25.11.2019 को निरस्त कर Sepeaking Order पारित करें, जो कि न्याय के हित में होगा।"**

34. यह कि श्रीमान अध्यक्ष महोदय जयपुर द्वारा प्रथम अपील प्रार्थना पत्र के संदर्भ में अपील सुनवाई तिथि दिनांक 18.03.2020, 08.07.2020, 07.10.2020, 28.10.2020, 18.12.2020, 12.02.2021, 27.04.2021, 28.07.2021, 24.08.2021 नियत की गई थी।

....5.

PHOTO COPY ATTESTED
13/10/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

NOTARY GOVT. OF INDIA Mohan Modi BIKANER R.No. 177

Naga Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

नागनारायण
२०.९.२१

35. यह कि कम्पनी ने उपरोक्त सुनवाई तिथियों के संदर्भ में श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, रीको लि. जयपुर को पत्र क्रमांक 1420 दिनांक 14.03.2020, पत्र क्रमांक 1986 दिनांक 04.07.2020, पत्र क्रमांक 2545 दिनांक 04.10.2020, पत्र क्रमांक 2550 दिनांक 06.10.2020, पत्र क्रमांक 2623 दिनांक 27.10.2020, पत्र क्रमांक 2827 दिनांक 11.12.2020, ऑर्डर शीट दिनांक 18.12.2020, पत्र क्रमांक 3267 दिनांक 06.02.2021, पत्र क्रमांक 3303 दिनांक 11.02.2021, पत्र क्रमांक 3297 दिनांक 10.02.2021, पत्र क्रमांक 3301 दिनांक 11.02.2021, पत्र क्रमांक 3833 दिनांक 27.07.2021, पत्र क्रमांक 3968 दिनांक 21.08.2021, पत्र क्रमांक 3977 दिनांक 23.08.2021 जरिये स्पीड पोस्ट/ई–मेल द्वारा प्रेषित किये गये। (पत्रों की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-36**

36. यह कि अध्यक्ष महोदय रीको लि० जयपुर ने कंपनी को सुनवाई एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर **(Opportunity of Personal Hearing)** अवसर दिये बिना एक तरफा आदेश दिंनाक 25.08.2021 को पारित कर दिया जो कि **विधिक दृष्टि से अविधिक आदेश है।** जिसके संदर्भ मे मान० सर्वोच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयो का अवलोकन किया जा सकता है:– (ऑर्डर की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-37**

A. **State of Kerala V/s K.T. Shadull Yusuf S.C (1977) A.I.R. 1627**
Hon Supreme Court held that one of the rule which constitute the part of principal of natural justice is the rule of audi alteram pattern which required that no man should be con demned un heard.

B. **Khem Chand V/s Unior of India (1958) SCR 1080 S.C**
Hon Court held that the person charged must not only given an opportunity but such oppurtunity must be reasonsable one. He should be informed about the charge or charges levelled against him and also evidence which is shought to be established.

C. **Dhakesari Cotton Mills limited V/s Commissioner of Income Tax West Bengal AIR 1955 SC 65**
Hon Court held that it should give full opportunity to the assessee to place any relevant material on the point that it has before the tribunal.

D. **Mahaveer Conductors V/s A.C.T.O. (1997) STC 65, 70 (RHC)**
Hon Court observed that when the law required giving an opportunity to a person against the propsed levy, it is not an mere empty formality to make order as a matter of course as foregone conclusion but it implies that person against whome action is proposed has a fair opportunity.

E. **Speed Automobiles Ltd V/s Assistant Commissioner of Commercial Tax (2003) 132 STC 461, 465 (M.P.)**
Hon Court held that Petitioner must be afford adequate opportunity to defend his assessment proceedings All documents which are material and relied on against the petitioner must be available to the petitioner in terms of rules with view to find out that whether case of tax evasion is made out or not.

F. **M/s Dex Agro Sweetners Pvt Ltd. V/s Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board** at Uttarakhand at Nainital. Writ Petition (M/S) No. 1187 of 2018 order date 09.05.2018

G. **M/s Daffodills Pharamaceuticals** V/s **The State Of Uttar Pradesh** on 13 December, 2019 Civil Appeal No. 9417 of 2019. Supreme Court of India.

H. **TVL. Sendamarai Steels V/s The Commercial Tax Officer** Writ Petition No. 15359 to 15361 of 2011 and M.P. Nos. 1 of 2011 (Three cases) Decided on 01.08.2011 Madras High Court.

I. **Smt. Santosh Jilowa & Others V/s State of Rajasthan & Others** S.B. Civil Writ Petition No. 3684 of 2016 Decided on 12.05.2016, Rajasthan High Court (Jaipur Bench) Single Bench

J. **Gena Ram Tak V/s State of Rajasthan,** Civil Writ Petition No. 2265 of 2007 decided on 20.08.2007, Rajasthan High Court (Single Bench)

K. **V.K. Gaur V/s State of Rajasthan and Other**, Civil Special Appeal (Writ) No. 352 of 2005 in S.B. Civil Writ Petition No. 4251 of 1994 Decided on 05.10.2010. Rajasthan High Court (Jaipur Bench)

....6.

NOTARY GOVT. OF INDIA Mohan Modi Bikaner R.No. 177

PHOTO COPY ATTESTED 13/1/2022
CENTRAL NOTARY BIKANER (RAJ.)

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

नागदनारायण
30.9.21

L. **Petitioner is a Private Ltd. Company** order Writ Petition 11843 of 2020 ORDER (Per Hon'ble Sri Justice M.S. Ramachandra Rao) High Court for The State of Telgana, Hyderabad Decision Date 13.08.2020.

M. **M/s Jansons Industries Limited Namakkal Distt. V/s State Tax Officer Namakkal District** Writ Petition No. 10605, 10610 & 10615 of 2020 and WMP. Nos. 12885, 12887, 12889, 12891, 12893 & 12896 of 2020 decided on 21.08.2020 Madras High Court.

N. **Navneet R. Jhanwar V/s State Tax Officer & Other** Writ Petition No. WPC 443/2021 decided on 17.03.2021 Jammu & Kashmir High Court, Jammu.

37. यह कि अध्यक्ष महोदय द्वारा **एक तरफा पारित आदेश** दिनांक **25.08.2021** से यह स्पष्ट होता है कि अधिकारी ने दिनांक 24.08.2021 के नोटिस के तहत ही प्रथम अपील निरस्त करने का मानस बना लिया था। ऐसे आदेश **विधिक नैसर्गिक न्याय** के अनुसार नहीं है, जिसके सम्बध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय मैसस सीमेन्स लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (200) **13 आर.एस. टी.आर–जे–7–04 (एसी)** का अवलोकन किया जा सकता है

38. यह कि अध्यक्ष महोदय रीको लिमिटेड जयपुर ने कम्पनी द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांक 2491, दिनाक 28.09.2020, एंव पत्र क्रमाक 2915, दि0 18.12.2020 को बिना **Examine** किये/कम्पनी को सूचित किये बिना **One Line Order** पास किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो की अवहेलना है। जिसके संबध मे मान0 सर्वोच्चतम/उच्च्तम न्यायालयो द्वारा दिये गये निर्णयो का अवलोकन किया जा सकता है:–

A. **सहायक आयुक्त वर्क्स टैक्स कोटा बनाम शुक्ला ब्रादर्स (2010) 4SCR 627 : (2010)** 30 वीएसटी 114 में दिये गये निर्णय का अवलोकन किया जा सकता है :

Recoding of reasons is an essential feature of dispensation of justice. None-recording of reasons could lead to dual infirmilities, firstly it may cause prejudice to the affected party and secondly, more particularly, it may hamper the proper administration of justice. These principlas are applicable to administrative or executive actions

B. **Bharat Constructions Company V/s Commissioner of Commercial Tax**, MP and Others. Writ Peititon No. 2012 of 2000 Decided on 22.01.2013, Madhya Pradesh High Court (Indore Bench).

C. **Devi Food Products V/s A-One Products** Decided on 19.08.2010, Rajasthan High Court (Jaipur Bench) Single Bench.

एक तरफा पारित आदेश क्रमांक Legal/Appeal/Chairman-3/2019/504 Date 25.08.21 को अपास्त करने के संदर्भ में

39. यह कि अध्यक्ष महोदय द्वारा कम्पनी को **सुनवाई का अवसर** प्रदान किये बिना अपील अस्वीकार कर एकतरफा आदेश दिनांक **25.08.2021** को पारित किया गया। जो कि **विधिक दृष्टि से अविधिक आदेश है।**

40. यह कि कम्पनी ने अपील प्रार्थना पत्र 13.12.2019 के संदर्भ में पत्र क्रमांक 2491 दिनांक 28.09.2020 के तहत महत्वपूर्ण तथ्य, साक्ष्य, दस्तावेज अध्यक्ष महोदय के कार्यालय में दिनांक 05.10.2020 को प्रस्तुत किये गये थे। जो कि **अपील पत्रावली पर उपलब्ध थे।** लेकिन अध्यक्ष महोदय ने एक तरफा पारित आदेश दिनांक 25.08.2021 में **लेखबद्ध** नहीं किया है।

41. यह कि कम्पनी ने अपील प्रार्थना पत्र दिनांक 13.12.2019 के संदर्भ में पत्र क्रमांक 2915 दिनांक 18.12.2020 को अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत होकर महत्वपूर्ण तथ्य, साक्ष्य, दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे। जो कि **अपील पत्रावली पर उपलब्ध थे।** लेकिन अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिनांक 25.08.2021 में **लेखबद्ध** नहीं किया गया।

42. यह कि अध्यक्ष महोदय ने अपने आदेश में अंकित किया है कि – अपीलकर्ता अपील सुनवाई में इच्छुक नहीं है एवं बार–बार तारीखे ले रहा है। जिसके सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा प्रेषित पत्रों का **अधिकारी द्वारा अवलोकन नहीं किया गया है** जो कि अपील पत्रावली पर उपलब्ध थे तथा उक्त प्रेषित पत्रों को आदेश दिनांक 25.08.2021 में **लेखबद्ध नहीं किया** गया है।

....7.

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

20.9.21

43. यह कि कम्पनी द्वारा प्रथम अपील के संदर्भ में **तथ्यात्मक रिपोर्ट (Facutal Report)/टिप्पणी /Openion/अन्य सुसंगत** सूचना की प्रमाणित छाया प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु पत्र क्रमांक 3949 दिनांक **15.08.2021** अध्यक्ष महोदय को प्रेषित किया गया था। लेकिन अध्यक्ष महोदय ने उपरोक्त पत्र को आदेश दिनांक **25.08.2021 में लेखबद्ध** नहीं किया गया है। जो कि **प्राकृतिक न्याय** के सिद्धांतों की अवहेलना है। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-38**

44. यह है कि कम्पनी द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 39.62 करोड़ का निवेश प्रस्तावित था। जिसमें कम्पनी ने दिनांक 18.08.2021 तक निवेश 15.59 करोड़ कर दिया गया है जिसके संदर्भ में सिविल इंजीनियर पी.एल. भादू एवं चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र अध्यक्ष महोदय रीको को पत्र क्रमांक 3979 दिनांक 23.08.2021 कार्यालय में 24.08.2021 सुबह 10.00 AM पर प्रस्तुत कर दिये गये थे । जिसको अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिनांक 25.08.2021 में लेखबद्ध नहीं किया गया है। **Anx- 38-(A)**

44. यह है कि अध्यक्ष महोदय ने भूखण्डों के संदर्भ में जारी लीजडीड **13.09.2012** के बिन्दु सं. **2(D)** का अवलोकन नहीं किया गया। जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित है– Commercial Production Activity within period of 3 years from the date of possession कम्पनी को भूखण्ड का पजेशन दिनांक **27.05.2017** को दिया गया था। जिसके अनुसार **26.05.2020 तक उत्पादन करना आवश्यक था। 26.05.2020** से पूर्व रीको द्वारा जारी नोटिस **30.04.2019**, Cancellation order दिनांक **25.11.2019**, एक तरफा आदेश दिनांक **25.08.2021 विधिक दृष्टि से अविधिक आदेश हैं।**

45. यह है कि अध्यक्ष महोदय रीको लिमिटेड जयपुर के कार्य व उद्देश्य की जांच करें। कम्पनी को सुनवाई एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर (**Opportunity of Personal Hearing**) दिये बिना एक तरफा आदेश पारित करने की कार्यवाही सम्पन्न की है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अध्यक्ष महोदय ने अपने **अधिकारों से ऊपर** उठकर कार्यवाही की है। जो कि अधिकारी की कार्य प्रणाली को प्रश्न चिन्हित करती है। जिसके सम्बन्ध में **माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय** द्वारा **आयकर आयुक्त बनाम इन्तजार अली (आईटीए) 162/2013 दिनांक 26.07.2013** का अवलोकन किया जा सकता है।

46. यह है कि कम्पनी द्वारा एक तरफा पारित आदेश दिनांक 25.08.2021 को **रिव्यू करने के संदर्भ में रिव्यू अपील प्रार्थना पत्र दिनांक 30.08.2021** को अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उपरोक्त रिव्यू अपील प्रार्थना पत्र के संदर्भ में उप महाप्रबन्धक विधि ने पत्र क्रमांक लीगल/अपील/चेयरमेन–3/2019/526 दिनांक **08.09.2021** में अंकित किया है कि – (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-39**

> **"रिव्यू प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी से प्राप्त निर्देशानुसार सूचित कर लेख है कि रीको भू–निपटान नियम 1979 के नियम 24 (2) के तहत अपील आदेश के रिव्यू का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि आप रीको भू–निपटान नियम 1979 के नियम 24 (2) (b) (2) (ii) के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 25.08.2021 की प्राप्ति से एक माह के भीतर उक्त आदेश की आईडीसी के समक्ष द्वितीय अपील के रूप में चुनौती देने हेतु स्वतंत्र है।**

47. यह कि उप महाप्रबन्धक (विधि), जयपुर के पत्र की अनुपालना में आपके समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की जा रही है।

भूखण्ड पर निर्माण कार्य में होने वाली देरी के संदर्भ में

48. यह है कि कम्पनी द्वारा **Consent to Establish** प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र क्रमांक 197327 दिनांक 18.10.2017 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को प्रेषित किया गया था। लेकिन मण्डल, द्वारा पत्र क्रमांक 1348 से 1350 दिनांक **01.07.2019** के तहत **Consent to Establish** जारी की गई। बिना Consent to Establish **बिल्डिंग निर्माण कार्य चालू करना संभव नहीं था। Anx- 40**

49. यह है कि आवंटन पत्र दिनांक **07.09.2012** की बिन्दु सं. **19** की अनुपालना में भूखण्ड पर बिल्डिंग निर्माण/उत्पादन कार्य के संदर्भ में **पानी की व्यवस्था** हेतु कम्पनी ने भू–जल दोहन करने की अनुमति प्राप्त करने के संदर्भ में प्रार्थना पत्र भू–जल प्राधिकरण जयपुर के समक्ष दिनांक **24.11.2017** को प्रस्तुत कर दिया गया था। जो कि दिनांक **02.02.2021** तक विचाराधीन था तथा दिनांक **03.02.2021** को अनुमति पत्र कम्पनी को प्राप्त हुआ है। **Anx- 40 (A)**

....8.

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

50. यह है कि कम्पनी द्वारा किसान सम्पदा योजना के तहत **अनुदान** प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र क्रमांक ई.ओ.आई / टीयूएस / 2017–18 / 23 दिनांक 12.09.2017 प्रस्तुत किया गया था जो कि आज दिनांक **20.09.2021** तक विचाराधीन है।

51. यह है कि कम्पनी के निर्देशक हितेष तुलसानी की पत्नी नित्या तुलसानी **07.09.2017** से ब्रेस्ट **कैंसर रोग से पीड़ित थी।** जिनके उपचार के लिये कम्पनी के निर्देशक दिनांक **10.09.2018 एक वर्ष तक व्यस्त थे** जिनका दिनांक **11.09.2018** को अल्पायु में स्वर्गवास हो गया। जिसकी सूचना कम्पनी ने पत्र क्रमांक 488 दिनांक 02.12.2018 के तहत रीको लि. बीकानेर को प्रस्तुत कर दी थी।

52. यह है कि रीको लि. बीकानेर को औद्योगिक क्षेत्र करणी विस्तार (परियोजना) बीकानेर के सम्बन्ध में 10.04.2017 तक Environment Clearance प्राप्त नहीं होने के कारण कम्पनी वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17 में **12.00 करोड़ का निवेश** रीको खारा औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्ड सं. एसपी–80, ई–126, ए–282 पर इकाईयां स्थापित करने में लगा दिया। जिसके संदर्भ में चार्टेड अकाउन्टेंट द्वारा जारी **प्रमाण पत्र** संलग्न है। **Anx-40 (B)**

53. यह है कि कम्पनी ने केन्द्रीय **खाद्य अनुज्ञा पत्र** प्राप्त करने के सम्बन्ध में **Deputy Director, Food Safety & Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Raod, New Delhi** को पत्र क्रमांक 2025 दिनांक 09.07.2020 को पत्र प्रेषित किया गया था। जिसके संदर्भ में सूचित किया गया कि– (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-41**

> **"खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन एवं पंजीकरण विनियम 2011 का शिड्यूल–4 का संदर्भ करें। जिसका सभी खाद्य कारोबारियों को पालना करना अनिवार्य है।"**

54. **यह है कि उपरोक्त पत्र में अंकित खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन एवं पंजीकरण विनियम 2011 के शिड्यूल–4 की विवेचना करना आवश्यक होगा।**

खाद्य विनिर्माता / प्रसंस्करणकर्ता के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी अपेक्षाएं ऐसे स्थान, जहां खाद्य पदार्थ विनिर्मित किए जाते हैं, निम्नलिखित अपेक्षाओं का पालन करेंगे –

1. परिसर स्वच्छता वाले स्थानों पर अवस्थित होंगे और आस–पास **गंदगी** नहीं होगी। सभी नई इकाईयां पर्यावरणीय रूप से **<u>प्रदूषित क्षेत्रों से दूर</u>** स्थापित की जाएंगी।

55. यह कि कम्पनी के आंवटित भूखण्ड सं. ई–593 से 596 एवं एफ–609 से 615 के सामने **139 मीटर दूरी पर 146200 वर्गमीटर के दायरे में गंदगी एवं प्रदूषित जल पिछले नो वर्षों से जमा है।** जिसके सम्बन्ध में दिनांक **07.09.2020 एवं 04.09.2021** की सर्वे रिपोर्ट व फोटो संलग्न है। **Anx-42**

56. यह कि कम्पनी के भूखण्ड के सामने उपरोक्त गंदगी व प्रदूषित जल पिछले नो वर्षों से जमा होने के कारण कम्पनी को **फूड लाईसेंस, आई.एस. मार्क, आई.एस.ओ. 22000 मार्क, एक्सपोर्ट–इन्पोर्ट लाईसेंस / Consent to Operate** मिलने में असुविधा हो सकती है। जिसके कारण कम्पनी को आर्थिक / मानसिक नुकसान हो सकता है।

57. यह है कि कम्पनी ने उपरोक्त गंदगी एवं प्रदूषित जल के संदर्भ में पत्रों द्वारा **जून –2019 से सितम्बर 2021 तक रीको के अधिकारियों / उच्चाधिकारियों को सूचित किया जा रहा है लेकिन** रीको बीकानेर ने **20.09.2021 तक समस्या का समाधान नहीं किया हैं।** जिसके कारण कम्पनी को अपने भूखण्ड पर **खाद्य पदार्थ इकाई स्थापित करने में देरी हो रही है।**

58. यह है कि करणी औद्योगिक क्षेत्र (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में पर्यावरण विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति सं. **978** दिनांक **11.04.2017** की **रीको द्वारा 20.09.2021 तक Compliance** नहीं की गई है। जिसके संदर्भ में **राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ** द्वारा निम्नलिखित **Show Cause Notice / अर्द्ध शासकीय पत्र / पत्र** जारी किये गये हैं जो कि निम्नानुसार है– (पत्रों की प्रतियां संलग्न है) **Anx-43**

A. F.14/Tech-Bikaner (51-CETP)/RPCB/Plg/736-738 Dated 02-09-2020
B. File No. II/EVN/Com-R/1990-Part-II/1007 Dated 22.09.2020
C. F.14/Tech/Bikaner(45)/RPCB/B&C/1339-1341 Dated 05.10.2020
D. DO No. F-14(Tech-Bikaner) CETP-51/RPCB/LW/386 Dated 12.07.2021
E. F.14(Tech-Bikaner) CETP-51/RPCB/LW/643 Dated 13.08.2021

....9.

PHOTO COPY ATTESTED 13/10/22

CENTRAL NOTARY

Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

नारायणप्रकाश 20.9.21

59. यह कि रीको द्वारा **पर्यावरण स्वीकृति की खुली अवहेलना**/अविधिक कार्यवाही के संदर्भ में **रीको के विरूद्ध** राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में **जनहित याचिका सं. 10600/2020** दायर की गई है। न्यायालय द्वारा याचिका को स्वीकार करते हुए रीको/पर्यावरण विभाग/राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल जयपुर को नोटिस जारी किये गये है। उपरोक्त याचिका दिनांक **20.09.2021** तक न्यायालय में विचाराधीन है।

60. यह है कि रीको द्वारा पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 में अंकित नियम/शर्तों की **Compliance** न करने के कारण भविष्य में **नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल भोपाल/नई दिल्ली** द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है जिससे कम्पनी द्वारा स्थापित की जाने वाली **खाद्य प्रसंस्करण इकाई** पर विपरीत **असर (आर्थिक/मानसिक)** नुकसान हो सकता था। जिसके कारण आवंटित भूखण्ड पर बिल्डिंग निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका।

61. यह है कि कम्पनी द्वारा आवंटित भूखण्ड पर **12 RCC Working Hall (61.50 Mtr. x 150 Mtr.** कुल **9225 वर्गमीटर (33% Aprox.)** का बिल्डिंग निर्माण **जुलाई 2019** से आरम्भ कर दिया गया था जोकि **मार्च 2022 तक** पूर्ण हो जायेगा।

<u>भूखण्ड बहाल/न्यायोचित समयावधि निर्धारित करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य</u>

62. यह है कि पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना भूखण्ड आवंटन/प्रोजेक्ट को आरम्भ करना Govt. of India Minisitry of Environment of Forests, New Delhi द्वारा जारी Office **Memorandom No. J-11013/41/2006-IA(1) Dated 19th August, 2010 की खुली अवहेलना है।**

63. यह है कि रीको लिमिटेड जयपुर/बीकानेर द्वारा **पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना** कम्पनी को 07.09.2012 में करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (प्रोजेक्ट) बीकानेर में ई–593 से 596 एवं एफ–609 से 615 आंवटित किये गये। उपरोक्त किया गया आवंटन **अविधिक कार्यवाही की श्रेणी** में आता है क्योंकि आवंटन पत्र में रीको द्वारा इस बात को दर्शाया नहीं गया था।

64. यह है कि रीको लि. बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना कम्पनी को आवंटित भूखण्डों के संदर्भ में दिनांक **13.09.2012** को लीजडीड करवा दी गई। जिसमें रीको द्वारा पर्यावरण स्वीकृति के बारे में लीजडीड में दर्शाया नहीं गया है। उपरोक्त कार्यवाही रीको की **अविधिक कार्य की श्रेणी** में आती है।

65. यह है कि आवंटित भूखण्डों के संदर्भ में रीको द्वारा दिनांक 13.09.2012 को करवाई गई लीजडीड की बिन्दु सं. **2(D)** की विवेचना करना आवश्यक होगा। जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित है– Commercial Production Activity within period of 3 years from the date of possession कम्पनी को भूखण्ड का पजेशन दिनांक **27.05.2017** को दिया गया था। जिसके अनुसार **26.05.2020 तक उत्पादन करना आवश्यक था। 26.05.2020** से पूर्व रीको द्वारा जारी नोटिस **30.04.2019**, Cancellation order दिनांक **25.11.2019**, एक तरफा आदेश दिनांक **25.08.2021 विधिक दृष्टि से अविधिक आदेश हैं।**

NOTARY GOVT. OF INDIA Mohan Modi BIKANER R.No. 77 8/8/2025

66. यह है कि रीको लि. जयपुर/बीकानेर के पास करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (प्रोजेक्ट) बीकानेर की स्थापना एवं संचालन हेतु **10.04.2017 (55 माह)** तक पर्यावरण स्वीकृति नहीं थी। पर्यावरण स्वीकृति के अभाव में कम्पनी आवंटित भूखण्डों पर खाद्य पदार्थ इकाई स्थापित नहीं कर सकी। जिसके कारण कम्पनी को **524.62** लाख का आर्थिक नुकसान हुआ है। जिसके संदर्भ में सिविल इंजीनियर पी.एल. भादू की रिपोर्ट संलग्न कर जिसकी सूचना पत्र दिनांक **08.04.2017, 09.02.21** के तहत श्रीमान् अध्यक्ष महोदय/प्रबन्धक निदेशक जयपुर को प्रेषित कर दी गई थी।

67. यह है कि करणी औद्योगिक क्षेत्र (विस्तार) बीकानेर के संदर्भ मे पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक **11.04.2017** को Specific Condition के आधार पर जारी की गई थी। लेकिन रीको बीकानेर द्वारा दिनांक **20.09.2021 (54 माह)** तक Compliance नहीं की गई है। जिसके संदर्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल जयपुर द्वारा Show cause notice/अर्द्ध शासकीय पत्र जारी किये गये है।

68. यह है कि कम्पनी द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट रिपोर्ट में **39.62 करोड़** का निवेश प्रस्तावित था। जिसमें कम्पनी ने दिनांक **18.08.2021** तक निवेश **15.59 करोड़ कर दिया गया है** जिसके संदर्भ में सिविल इंजीनियर पी.एल. भादू एवं चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है जिसकी सूचना

PHOTO COPY ATTESTED 13/1/22
CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

....10.

नारायणदास
20.9.21

अध्यक्ष महोदय रीको को पत्र क्रमांक 3979 दिनांक **23.08.2021** कार्यालय में **24.08.2021** सुबह 10.00 AM पर प्रस्तुत कर दी गई थी। जो निम्नानुसार है– (प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न है) **Anx-44**

A. **भूखण्डों पर 5.62 करोड़**
B. **बिल्डिंग निर्माण पर 7.74 करोड़**
C. **प्लान्ट एवं मशीनरी पर 2.23 करोड़**

69. यह कि रीको लि. बीकानेर पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 में अंकित नियमों /शर्तों की अनुपालना का आश्वासन देता है तो कम्पनी आवंटित भूखण्डों पर दिनांक **31.03.2023 तक बिल्डिंग निर्माण कार्य/उत्पादन कार्य करने के लिये वचनबद्ध है।** जिसके संदर्भ में वचनबद्धता संलग्न है।

70. यह है कि रीको द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विकास बीकानेर के संदर्भ में पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 में अंकित नियमों/शर्तों की **अनुपालना के पश्चात्** प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी को आवंटित भूखण्ड सं. ई–593 से 596 एवं एफ–609 से 615 पर उत्पादन आरम्भ करने की **न्यायोचित समयावधि** निर्धारित की जानी चाहिये।

71. यह है कि रीको लि. बीकानेर द्वारा की गई **अविधिक कार्यवाही के कारण** कम्पनी को **आर्थिक/मानसिक नुकसान हुआ** है जिसका आंकलन व **भरपाई नहीं** की जा सकती।

72. यह है कि बिन्दु सं. 1 से 71 में अंकित तथ्यों, साक्ष्यों, दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष महोदय, रीको लि. जयपुर द्वारा एक तरफा पारित आदेश **Legal/Appeal/Chairman-3/2019/504** दिनांक **25.08.2021** को अपास्त करने की कृपा करें।

अतः **कमेटी के सभी माननीय सदस्यों** से निवेदन है कि बिन्दु सं. 1 से 72 में प्रस्तुत तथ्यों, साक्ष्यों, दस्तावेजों का अवलोकन कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए **Speaking Order** पारित करने की कृपा करें। निर्णय पारित करने से पूर्व कम्पनी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर अवश्य प्रदान करें जो कि **न्याय** के हित में होगा।

धन्यवाद।

NOTARY GOVT. OF INDIA Mohan Modi BIKANER R.No. 177 8/8/2025

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

भवदीय,
नगद नारायण एग्रो फुड्स प्रा.लि.
नारायण दास
(नारायण दास तुलसानी)
निदेशक

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:– 4169 – 4175.

1. FA/Advisor (A & M)
2. Secretary
3. CGM (BP)/CGM (SEZ)
4. GM (Infra/Fin/PR)/GM (Civil)/GM (Inv.)
5. OSD (Land)
6. DGM (IT) for uploading on website
7. Sr. DGM (Law)

भवदीय,
नगद नारायण एग्रो फुड्स प्रा.लि.
नारायणदास
(नारायण दास तुलसानी)
निदेशक

Nagad Narayan Agro Foods Pvt. Ltd. Bikaner (Raj.)

Recd 15 sets
23/9/21.

PHOTO COPY ATTESTED
13/10/22

CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

RIICO JAIPUR

ANX- 3

(16)

RAJEEV AERON & COMPANY
CHARTERED ACCOUNTANTS

CA

Opp. Bal Bharti School,
Gangashahar Road, BIKANER (RAJ.)
OFFICE :
Ph. : 0151-2944777 Mob. : 63754 50488
RAJIV AERON
Mob. : 94142 48787, 82095 25948
E-mail : rajivaeron@gmail.com

CERTIFICATE

This is to certify that the capital investment (without depreciation including pre-operative expenses) made by the **M/s NAGAD NARAYAN AGRO FOODS PVT LTD**,CIN: U15203RJ2011PTC036109 having its Industries situated at E-593 to E-596 & F-609 to F-615 (Karni Extension), Karni Industrial Area, Bikaner as on 08th October, 2022 is Rs. **16,54,17,819/-** (Sixteen Crore fifty four lakhs seventeen thousand eight hundred nineteen only)

The details of investments in various subheads are as follows:

S.No.	Item	Investment
1.	Land	6,02,98,790.00
2.	Building	7,89,40,102.00
3.	Plant & Machinery	2,48,34,679.00
4.	Car	13,44,248.00
	Total:	**16,54,17,819.00**

I have verified the above investment with the books of accounts of the company and certify that the aforesaid information is verified and certified to be true.

NOTARY GOVT. OF INDIA Mohan Modi BIKANER R.No. 177 8/8/2025

For **M/s Rajeev Aeron & Company**
Chartered Accountants

(CA Rajeev Aeron) Proprietor
M.No.073558
F.R.No.028355C
UDIN: 22073558AZBGLM8628

RAJEEV AERON & COMPANY CHARTERED ACCOUNTANTS BIKANER

Dated: 10.10.2022

PHOTO COPY ATTESTED
13/10/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

ANX-4

(17)

Rajasthan State Pollution Control Board

4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
Phone: 0141-5159600,5159695Fax: 0141-5159697
www.rpcb.nic.in

Registered

File No : F(MUID)/Bikaner(Bikaner)/1(1)/2011-2012/7521-7523
Order No : 2011-2012/MUID/810 Dispatch Date: 17/01/2012

M/s RIICO Ltd.

Regional Manager,Bichhwal ,
District:Bikaner

Sub: **Consent to Establish** under section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under section 21(4) of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.

Ref: Your application(s) for Consent to Establish dated 20/12/2011 and subsequent correspondence.

Sir,

Consent to Establish under the provisions of section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter to be referred as the Water Act) and under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, (hereinafter to be referred as the Air Act) as amended to date and rules & the orders issued thereunder ,is **hereby granted** for your **RIICO Industrial Area plant** situated / proposed at **Karni Extension Tehsil:Bikaner District:Bikaner** , Rajasthan under the provisions of the said Act(s). This consent is granted on the basis of examination of the information furnished by you in consent application(s) and the documents submitted therewith, subject to the following conditions:-

1 That this Consent to Establish is valid for a period from **20/12/2011** to **30/11/2014** or **date of Commencement of production / commissioning of the project or activities whichever is earlier** .

2 That this Consent is granted for manufacturing / producing following products / by products or carrying out the following activities or operation/processes or providing following services with capacities given below.

AEE
15.2.12

Particular	Type	Quantity / Capacity
INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT	Activity	86.82 HECTARE

3 That in case of any increase in capacity or addition / modification / alteration or change in product mix or process or raw material or fuel the project proponent is required to obtain fresh consent to establish.

4 That the control equipment as proposed by the applicant shall be installed before trial operation is started for which prior consent to operate under the provision of the **Water Act and Air Act** shall be obtained. This consent to establish shall not be treated as consent to operate.

यह दस्तावेज सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् आवेदनकर्ता को दिया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म., बीकानेर

GOVT. NOTARY INDIA
Mohan Modi
BIKANER
R.No. 77

PHOTO COPY ATTESTED
13/01/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

(18)

Rajasthan

Rajasthan State Pollution Control Board

4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004

Phone: 0141-5159600,5159695Fax: 0141-5159697

www.rpcb.nic.in

Registered

File No : F(MUID)/Bikaner(Bikaner)/1(1)/2011-2012/7521-7523

Order No : 2011-2012/MUID/810

Dispatch Date: 17/01/2012

5 That in case any category 'A' or category 'B' project as mentioned in the schedule of EIA notification dated 14.09.2006 (with amendments till date) come up in the industrial area then that individual industry/project will have to obtain environmental Clearance from the competent authority prior to its commencement/construction.

6 That the Environmental Clearance shall be obtained from the State Level Expert Appraisal Committee, Rajasthan for installation of CETP.

7 That Environmental Clearance shall be obtained as per schedule prescribed in the EIA Notification dated 14.09.2006 with subsequent amendments for the Industrial Area.

8 That entire waste water of the industrial area shall be treated in the proposed CETP and treated waste water shall be reused by the industries maintaining zero discharge status within/outside the industrial area.

9 That permission of Central Ground Water Authority shall be obtained for withdrawal of ground water before starting operation of the industrial area and prior to obtain consent to operate from the Board.

10 That individual unit coming up in the area shall obtain separate consent to establish and consent to operate individually and shall comply with the provisions of the Air (Prevention & Control of pollution) Act, 1981, the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Environment (Protection) Act, 1986 and Rules and Notifications issued thereunder.

11 That this consent to establish is being issued for development of industrial area in 86.82 Hectares.

12 That project shall be executed as per the plan approved by the competent authority.

13 That the Project Proponent shall comply with the provisions of Hazardous Waste (Management, Handling & Transboundary Movement)) Rules, 2008.

14 That the cost of project shall not exceed Rs. 47.54 crore.

15 That, not withstanding anything provided hereinabove, the State Board shall have power and reserves its right, as contained under section 27(2) of the Water Act and under section 21(6) of the Air Act to review anyone or all the conditions imposed here in above and to make such variation as it deemed fit for the purpose of compliance of the Water Act and Air Act.

16 That the grant of this Consent to Establish is issued from the environmental angle only, and does not absolve the project proponent from the other statutory obligations prescribed under any other law or any other instrument in force. The sole and complete responsibility, to comply with the conditions laid down in all other laws for the time-being in force, rests with the industry/ unit/ project proponent.

यह दस्तावेज सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् आवेदनकर्ता को दिया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी
रा. प्र. नि. म., बीकानेर

GOVT. OF INDIA NOTARY
Mohan Modi
BIKANER
R.No. 777
8/6/2025

PHOTO COPY ATTESTED
13/10/22

CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

(19)

Rajasthan State Pollution Control Board

4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
Phone: 0141-5159600,5159695Fax: 0141-5159697
www.rpcb.nic.in

Registered

File No : F(MUID)/Bikaner(Bikaner)/1(1)/2011-2012/7521-7523
Order No : 2011-2012/MUID/810 Dispatch Date: 17/01/2012

17 That the grant of this **Consent to Establish** shall not, in any way, adversely affect or jeopardize the legal proceedings, if any, instituted in the past or that could be instituted against you by the State Board for violation of the provisions of the Act or the Rules made thereunder.

This **Consent to Establish** shall also be subject, beside the aforesaid specific conditions, to the general conditions given in the enclosed Annexure. The project proponent will comply with the provisions of the **Water Act and Air Act** and to such other conditions as may, from time to time, be specified by the State Board under the provisions of the aforesaid Act(s). Please note that, non compliance of any of the above stated conditions would tantamount to revocation of **Consent to Establish** and project proponent / occupier shall be liable for legal action under the the relevant provisions of the said Act(s).

This bears the approval of the competent authority

Yours Sincerely

Sd/-
Group Incharge

Copy To:-

522 1 Regional Officer, Regional Office, Rajasthan State Pollution Control Board, Bikaner.

2 Master File.

Group Incharge

यह दस्तावेज सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक को दिया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी
रा. प्र. नि. म., बीकानेर

GOVT. OF INDIA ★ NOTARY ★

PHOTO COPY ATTESTED
13/10/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

ANX-5

(20)

No. J-11013/41/2006-IA.II(I)
Government of India
Ministry of Environment & Forests

Paryavaran Bhavan,
C.G.O. Complex, Lodi Road,
New Delhi-110003.

Dated 19th August, 2010

Office Memorandum

Sub: Activities which can be undertaken without prior Environmental Clearance - Clarification regarding.

Instances have come to the notice of this Ministry where the project proponents have undertaken construction activities relating to the project at site without obtaining the requisite prior environmental clearance as is mandated under the EIA Notification, 2006. It is to reiterate that the EIA Notification, 2006 mandates prior environment clearance to be obtained in respect of all the activities listed therein following the prescribed procedure. No activity relating to any project covered under this Notification including civil construction, can be undertaken at site without obtaining prior environmental clearance except fencing of the site to protect it from getting encroached and construction of temporary shed(s) for the guard(s).

All the project proponent may note that any contravention of the provisions of the EIA Notification amounts to violation of the Environment (Protection) Act, 1986 and would attract penal action under the provisions thereof. The project proponent may also note that in case of any project where TORs have been prescribed for undertaking detailed EIA study and where construction activities relating to the project have been initiated by them, the TORs so prescribed may be suspended / withdrawn in addition to initiating penal action under the provisions of the EP Act, 1986.

This issues with the approval of the Competent Authority.

NOTARY GOVT. OF INDIA Mohan Modi BIKANER R.No 177 8/8/2025

(S.K. Aggarwal)
Director

To

1. All the Officers of IA Division
2. Chairpersons / Member Secretaries of all the SEIAAs/SEACs

Copy to:-

1. PS to AS(JMM)
2. Advisor (NB)
3. Website, MoEF
4. Guard File

17.10.21

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

ANX-6

(21)

No. J-11013/41/2006-IA.II(I)
Government of India
Ministry of Environment & Forests

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi – 110003

E-mail: pb.rastogi@nic.in
Telefax: 011-24362434

Dated 12th December, 2012

Office Memorandum

Subject: Consideration of proposals for TORs/Environment Clearance/ CRZ Clearance involving violation of the Environment (Protection) Act, 1986 / Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 / Coastal Regulation Zone (CRZ) Notification, 2011 - reg.

The Environment Impact Assessment Notification (EIA), 2006 and its amendments thereafter require all new projects or activities and / or expansion and modernization of existing projects or activities listed in the schedule to the said Notification with capacity beyond threshold limits prescribed thereunder, to obtain prior Environment Clearance under the provisions thereof. Similarly, CRZ Notification, 2011 imposes certain restrictions on the setting up and expansion of industries, operations or processes and the like in the CRZ.

2. Instances have come to the notice of this Ministry where without obtaining the required clearance under the aforesaid Environment Impact Assessment Notification, 2006 and / or CRZ Notification, 2011, the construction / physical / operation activities relating to the projects have been started at the sites. Such activities amount to violations under the Environment (Protection) Act, 1986 / EIA Notification, 2006 / CRZ Notification, 2011 (henceforth referred to as violations).

3. The cases for granting Environment Clearance / CRZ Clearance for such projects are at present being dealt with in terms of OM of even number dated 16.11.2010. Now, it has been decided in that in supersession of this OM, the procedure henceforth stated in this OM will be followed while dealing with such cases.

4. The violations could come to the notice of the Ministry at various stages of processing of the proposals, i.e.:

i. Processing the case in the Ministry before referring the same to the Expert Appraisal Committee (EAC) for TOR / Environment Clearance / CRZ Clearance;

ii. During the deliberations in the EAC meeting and recorded as such in the minutes of the meeting; and;

iii. Processing the case in the Ministry after the receipt of recommendations of the EAC but before granting TOR / Environment Clearance/CRZ Clearance.

5. As soon as any case of violation comes / is brought to the notice of the Ministry / EAC, the Ministry / EAC will proceed to verify the veracity of the complaint through the concerned Regional Office of MoEF / State Government / CZMA. Of course, such a verification will not be required in case

NOTARY
Mohan Modi
BIKANER
R. No. 177
8/8/2025
GOVT. OF INDIA

PHOTO COPY ATTESTED
13/10/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

the project proponent does not contest the allegation of violation. Once the Ministry / EAC is satisfied that it is a violation case, before proceeding any further in the matter, the following will need to be ensured in the matter:

i. The matter relating to the violation will need to be put up by the Project Proponent to the Board of Directors of its Company or to the Managing Committee / CEO of the Society, Trust, partnership / individually owned concern for consideration of its environment related policy / plan of action as also a written commitment in the form of a formal resolution to be submitted to MoEF to ensure that violations will not be repeated. For this purpose, a time limit of 60 days will be given to the project proponent. In the meantime, the project will be delisted. In the eventuality of not having any response from the project proponent within the prescribed limit of 60 days, it will be presumed that it is no longer interested in pursuing the project further and the project file will be closed, whereafter the procedure will have to be initiated *de novo* by such project proponents.

ii. The State Government concerned will need to initiate credible action on the violation by invoking powers under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 for taking necessary legal action under Section 15 of the Act for the period for which the violation has taken place and evidence provided to MoEF of the credible action taken.

iii. The details of the project proponent and a copy of the commitment, etc., mentioned at (i) above will be put on the website of MoEF for information of all stakeholders.

6. Once action as per para 5 above has been taken, the concerned case will be dealt with and processed as per the prescribed procedure for dealing with cases for grant of TORs / Environment Clearance / CRZ Clearance and appropriate recommendation made by the EAC/decision taken by the Ministry as per the merit of the case.

7. It may be clarified that the consideration of proposals for giving TORs/ Environment clearance / CRZ clearance for violation cases will not be a matter of right for the project proponent. In cases of serious violations, the Ministry reserves the right to outrightly reject such proposals and not consider the same at all.

8. The aforesaid procedure, as stated in para 4 to 7 above will apply *mutatis mutandis* to the cases handled at the State level by the State Environment Impact Assessment Authorities (SEIAAs)/ State Level Expert Appraisal Committees (SEACs).

9. This issues with the approval of the competent authority.

12.12.12

(Dr. P.B. Rastogi)
Director

To

1. All the Officers of IA Division.
2. Chairpersons/Member Secretaries of all the SEIAAs/SEACs.
3. Chairman, CPCB, N. Delhi.
4. Chairpersons / Member Secretaries of all SPCBs / UTPCCs.

Copy to:

1. PS to MEF.
2. PPS to Secretary (E&F).
3. PPS to JS (AT).
4. Website of the MoEF .
5. Guard File.

PHOTO COPY ATTESTED

CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

राजस्थान स्टेट इन्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ANX-7 (23) (18)

RIICO

Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Ltd.
(A Rajasthan Government Undertaking)
Unit Office : Regional Manager,
RIICO Ltd., Ind. Area Bichhwal, Bikaner – 334 006
Ph : 0151-2250023 Fax : 0151-2251614
E-mail : bikaner@riico.co.in
CIN: U13100RJ1969SGC001263

No. 3712

Date: 12/10/15

UNDERTAKING

I, Mangilal Panwar, Regional Manager of Rajasthan State Industrial Development & Investement Corporation Ltd., Bikaner, having its registered office at Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur – 302015, Rajasthan, India, do hereby undertake for compliance of following laws related to environment in all industrial areas under our jurisdiction :

1. The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.
2. The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981
3. The Environment Protection Act, 1986.

Date: 12.10.2015
Place : Bikaner

12/10/15

(MANGILAL PANWAR)
Regional Manager
RIICO Ltd. Bikaner

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
के अन्तर्गत जारी सूचना
25/7/2020
राज्य लोक सूचना अधिकारी
रीको लि., बीकानेर (राज.)

GOVT. OF INDIA NOTARY
Mohan Modi
BIKANER
R.No 177
8/8/2025

PHOTO COPY ATTESTED
13/05/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

ANX-8

(24)

From: Regional Office, RSPCB, Bikaner
Sent: 03 August 2022 14:21
To: narayandastulsani@gmail.com
Subject: Fwd: Regarding request to provide information in NGT Matter

---------- Forwarded message ---------
From: **Regional Office, RSPCB, Bikaner** <ro.bikaner@gmail.com>
Date: Wed, 3 Aug, 2022, 11:57 am
Subject: Regarding request to provide information in NGT Matter
To: <narandastulsani@gmail.com>, HO RSPCB Legal <legal.rpcb@gmail.com>

Sir,
In the above subject it is submitted that on the basis of your complaint a case is registered in Hon'ble NGT as OA no. 407/2022. You have mentioned various letters & orders as annexures in the submitted complaint application. Hon'ble NGT has constituted a Joint Committee to furnish factual report in this matter.
Therefore, you are requested to provide the detailed application alongwith all attached annexures either in soft copy through mail or by physically in this office. So that information may be provided to members of the joint committee timely.

Regards
Regional Officer
RO, RSPCB, Bikaner

GOVT. OF INDIA ★ NOTARY ★ Mohan Modi BIKANER R.No. 177 8/8/2025

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

ANX-9

(25)

Office Copy

पत्र क्रमांकः 6813

दिंनाकः 04.08.2022

सैवा मे
श्रीमान क्षेत्रिय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीछवाल औद्यौगिक क्षेत्र
बीकानेर (राज)

2रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

विषयः नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को प्रेषित किये शिकायत पत्र एंव संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत करने के संदर्भ मे।
प्रसंगः आपके ईमेल दिंनाक 03.08.2022 के संदर्भ मे।

महोदय जी,
उपरोक्त विष्यान्तर्गत लेख है कि प्रार्थी द्वारा प्रेषित शिकायत पत्र एंव संलग्न दस्तावेज पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा केस संख्या OA 407/2022 दर्ज किया गया है जिसके संबध मे तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली एक सयुंक्त कमेटी भी गठित की गई है, आप द्वारा अपने ईमेल दिंनाक 03.08.2022 मे प्रार्थी द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली को प्रेषित शिकायत पत्र एंव संलग्न दस्तावेजो की छायाप्रति उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया गया है।

महोदय जी, आपके ईमेल दिंनाक 03.08.2022 की अनुपालना मे प्रार्थी द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली को प्रेषित शिकायत पत्र एंव Annexure क्रंमाक 1 से 17 पृष्ठ संख्या 1 से 68 तक की छायाप्रतियॉ संलग्न कर आपको प्रस्तुत की जा रही है।

धन्यवाद

संलग्न (शिकायत पत्र के साथ
Annexure क्रंमाक 1 से 17)

प्रार्थी

नारायण दास तुलसानी
ए–13, करणी नगर पवनपुरी
सहयोग पार्क के पास
बीकानेर (राज)

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER

RAJASTHAN POLLUTION CONTROL BOARD BIKANER
Receipt No 216
Date 04/08/2022

GOVT. OF INDIA NOTARY
Mohan Modi BIKANER R.No 177 8/8/2025

PHOTO COPY ATTESTED
31/8/22
CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

ANX-10

(26)

अतिआवश्यक प्रतिवेदन

क्रमांक : 7019.

दिनांक : 24.08.2022

सेवा में,

Office Copy

श्रीमान क्षेत्रिय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र,
बीकानेर।

विषयः जांच के संदर्भ मे।
प्रसंग : **पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के संदर्भ में।**

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि रीको लि0 बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संबध मे प्राप्त पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978, दिंनाक 11.04.2017 की पिछले 5 वर्षो से की जा रही खुली अवहेलना के संबध मे प्रार्थी द्वारा मान0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली को शिकायत पत्र क्रमांक 5749 दिंनाक 30.03.2022 प्रेषित किया गया था, जिस पर माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा संज्ञान लेते हुए प्रकरण संख्या O.A 407/2022 दर्ज किया गया है, जिसमे माननीय ट्रिब्यूनल द्वारा शिकायत पत्र क्रमाक 5749 मे अकिंत तथ्यो, साक्ष्यो/दस्तावेजो की जांच एंव तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक संयुक्त कमेटी का गठन हेतु दिंनाक 11.07.2022 को आदेश पारित किया गया है। गठित संयुक्त कमेटी से समन्वय एंव आदेश के अनुपालन हेतु माननीय ट्रिब्यूनल द्वारा नोडल एजेंसी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर/बीकानेर को नियुक्त किया गया है।

महोदय जी, रीको लि0 बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978, दिंनाक 11.04.2017 मे अकिंत विशिष्ट नियम एंव शर्तो की पालना आज दिंनाक 24.08.2022 तक नही की गई है जिसके संबध मे महत्वपूर्ण तथ्य/साक्ष्य जांच हेतु आपको प्रस्तुत किये जा रहे है जो कि निम्नानुसार हैः–

1. यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में स्थापित करने हेतु पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर से पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 प्राप्त की गई थी। **जिसकी Compliance/Monitoring के लिये राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर/बीकानेर को अधिकृत किया गया है।**

क्र.सं.	पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 में अंकित **Specific Condition**	पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 में अंकित **Specific Condition** के संदर्भ में जानकारी/स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु
A.	यह कि पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11,04.2017 के पार्ट–ए, Specific Condition के कन्स्ट्रक्शन फेस के **बिन्दु सं. 5** में अंकित है कि– The PP shall inform the RSPCB at the time of applying for CTE regarding investment on the various activities to be taken up under proposed Environment management Plan. The details of the plan should be submitted to the RPCB at the time of applying for CTE, As envisaged, the **P.P. shall invest at least an amount of s. 4277.29 lacs (before the project is put into use)** for implementing various environmental protection measures.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के पार्ट–ए, Specific Condition के बिन्दु सं. 5 में अंकित **4277.29 लाख** का निवेश दिनांक **24.08.2022 (64 माह तक) नहीं किया गया है** तथा उपरोक्त निवेश किये बिना करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में दिसम्बर 2019 से दिनांक 24.08.2022 तक 145 भूखण्ड विक्रय किये गये हैं जो कि पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 का **Violation/ Noncompliance** है। जिसके संदर्भ में **National Green Tribunal** नई दिल्ली द्वारा श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, रीको लि. जयपुर को दिनांक **11.07.2022** के तहत नोटिस जारी किया गया है।

....2.

RAJASTHAN POLLUTION CONTROL BOARD * BIKANER * Receipt No 267 Date 24/08/2022

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER

PHOTO COPY ATTESTED

CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

B.	यह कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना बीकानेर के संदर्भ में 30.11.2014 के पश्चात् **Consent to Establish** दिनांक **24.08.2022** तक प्राप्त नहीं की गई?	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा दिनांक 30.11.2014 के पश्चात् **Consent to Establish** प्राप्त किये बिना परियोजना को आरंभ करना पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 की अवहेलना एंव **Violation** है।
C.	यह कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में RSPCB जयपुर द्वारा जारी **Consent to Establish** दिनांक **17.01.2012** के बिन्दु सं. **4** में अंकित है कि परियोजना को आरम्भ करने से पूर्व **Consent to Operate** प्राप्त करना आवश्यक है	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा दिंनाक 24.08.2022 तक **Consent to Operate** प्राप्त नही की गई है तथा कसेंट प्राप्त किये बिना करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर को आरम्भ कर दिया गया है जो कि Consent to Establish **दिनांक 17.01.2012 में अंकित बिन्दु सं. 4 का Violation है।**
D.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर को विकसित करने के सदर्भ में पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 में **11444.32 लाख** का निवेश प्रस्तावित था लेकिन रीको लि. बीकानेर द्वारा दिनांक 24.08.2022 (64 माह तक) तक **2232.98 लाख** का निवेश किया गया है। शेष राशि **9211.34 लाख** का निवेश दिनांक **24.08.2022** तक नहीं किया गया है?	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक विस्तार (परियोजना) बीकानेर को विकसित करने में शेष राशि **9211.34 लाख** का निवेश दिनाक 24.08.2022 तक नही किया गया है। जो कि पर्यावरण स्वीकृति दिंनाक 11.04.17 का **Violation** है।
E.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में **33%** ग्रीन एरिया का निर्माण कार्य **24.08.2022** तक नहीं किया गया है?	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा **33%** ग्रीन एरिया का निर्माण कार्य दिंनाक 24.08.2022 तक नही करना पर्यावरण स्वीकृति दिंनाक 11.04.17 की अवहेलना एंव **Violation** है
F.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में ट्यूबवेल निर्माण के सम्बन्ध में केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण जल संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली/जयपुर से दिनांक **24.08.2022** (64 माह) तक अनुमति प्राप्त नहीं की गई है।	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में निर्माणाधीन ट्यूबवेल से सम्बन्धित **अनुमति** दिंनाक 24.08.2022 तक प्राप्त नही करना पर्यावरण स्वीकृति दिंनाक 11.04.2017 की अवहेलना एंव **Violation है**
	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में बरसात के पानी की निकासी हेतु नाले/ नालियों का निर्माण कार्य **24.08.2022** (64 माह) तक नहीं किया गया है?	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना में बरसात के पानी की निकासी हेतु नाले/नालियों का निर्माण **दिनाक** 24.08.2022 तक नही करना पर्यावरण स्वीकृति दिंनाक 11.04.2017 की अवहेलना एंव **Violation** है।
H.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में जारी पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के **बिन्दु सं. 23** की अनुपालना में दिनांक **11.04.2017 से 11.04.2022** तक समयावधि से सम्बन्धित Six Monthly Compliance status report of the "Project along with implementation of environmental measures SEIAA & RSPCB Jaipur/Bikaner को **दिनांक 24.08.2022** (64 माह) तक प्रेषित नहीं की गई है? जिसकी पुष्टि RSPCB बीकानेर/SEIAA जयपुर राजस्थान द्वारा जारी पत्रों से होती है।	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनाक 11.04.2017 के बिन्दु सं. **23** की अनुपालना में **11.04.2017 से 11.04.2022** तक Six Monthly Complinace Status report of the "Project along with implementation of envrinmental measures SEIAA & RSPCB Bikaner को दिंनाक 24.08.22 तक प्रेषित नहीं करना पर्यावरण स्वीकृति दि0 11.04.2017 के बिन्दु सं. 2 का **Violation/Noncompliance** है।

......3.

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER
PHOTO COPY ATTESTED
24.8.22
CENTRAL NOTAR BIKANER

[redacted]

(28)

I.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में जारी पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के **बिन्दु सं. 2** की अनुपालना में दिनांक **11.04.2017 से 11.04.2022** तक की समयावधि से सम्बन्धित Six monthly Monitoring Report SEIAA Rajasthan & RSPCB Japur/Bikaner को **दिनांक 30.07.2022** (64 माह) तक प्रेषित नहीं की गई है। जिसकी पुष्टि RSPCB बीकानेर/SEIAA जयपुर राजस्थान के पत्रों से होती है।	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में जारी पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के **बिन्दु सं. 2** की अनुपालना में दिनांक **11.04.2017 से 11.04.2022** तक की समयावधि से सम्बन्धित Six monthly Monitoring Report SEIAA Rajasthan & RSPCB Bikaner को दिंनाक 24.08.2022 तक प्रेषित नहीं करना पर्यावरण स्वीकृति दिंनाक 11.04.2017 के बिन्दु सं. 2 का **Violation/Noncompliance** है।
J.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर को दिनांक **24.08.2022** (64 माह) तक विकसित घोषित नहीं किया गया है?	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर को दिंनाक 24.08.2022 तक विकसित घोषित किये बिना योजना को आरम्भ करना पर्यावरण स्वीकृति दिंनाक 11.04.2017 की अवहेलना एंव **Violation** है।

2. यह कि पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978 दिंनाक 11.04.2017 मे अकिंत नियम एंव शर्तो की **Violation** एंव **Non Compliance** से संबन्धित **RSPCB** जयपुर द्वारा दिंनाक 02.09.2020, 05.10.2020, 04.01.2022, के तहत कारण बताओ नोटिस रीको लि0 बीकानेर को जारी किये गये है, तथा तत्कालीन अध्यक्ष महोदया श्रीममि वीनू गुप्ता जी द्वारा अर्धशाष्कीय पत्र दिंनाक 13.07.2021, 08.04.2022, प्रबंधक निदेशक रीको लि0 जयपुर को जारी किये गये है।

3: यह कि रीको लि0 बीकानेर द्वारा दिंनाक 27.04.2016 की जन सुनवाई के दोरान यह घोषणा नही की गई थी कि पर्यावरण स्वीकृति मे अकिंत नियम एंव शर्तो की पालना एस.पी.वी द्वारा की जायेगी।

4: यह कि रीको लि0 बीकानेर द्वारा दिंनाक 27.04.2016 की जन सुनवाई के दोरान करणी औद्यौगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर को Zero Liquid Discharge की पदत्ति पर स्थापित की घोषणा नही की गई थी

5: यह कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के सामने जमा उछिष्ठ जल के फोटोग्राफ्स दिंनाक 22.11.2019, 31.01.2020, 10.07.2022 एंव ऐरियल सर्वे रिपोर्ट दिंनाक 08.01.2020, 07.09.2020, 04.09.2021 एंव Arial Comparison Report dated 04.09.2021 संलग्न कर प्रस्तुत किये जा रहे है।

अतः आपसे निवेदन है कि बिन्दु सं. **1 से 5** में अंकित तथ्यों, साक्ष्यों संलग्न दस्तावेज, फोटोग्राफ्स की जांच/सत्यापन कर संयुक्त कमेटी को प्रेषित करने की कृपा करे जिससे कमेटी द्वारा सभी तथ्यो साक्ष्यो, दस्तावेजो, फोटोग्राफ्स का अवलोकन कर माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के समक्ष प्रकरण से संबन्धित तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। प्रकरण से संबन्धित किसी भी अन्य जानकारी, के लिए प्रार्थी से सम्पर्क किया जा सकता है।

सधन्यवाद।

संलग्न (उपरोक्तानुसार)

(2) SET.

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER

प्रार्थी,

नारायण दास तुलसानी
पुत्र स्वं किशनचंद तुलसानी
ए–13, करणी नगर पवनपुरी
सहयोग पार्क के पास बीकानेर (राज)
मो नं **9928912610** ईमेलः **narayandastulsani@gmail.com**

NOTARY GOVT. OF INDIA BIKANER R.No 177 8/8/2025

PHOTO COPY ATTESTED
13/11/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

(29)

क्रमांक : 7467 दिनांक : 01.10.2022

<u>अतिआवश्यक प्रतिवेदन</u>

सेवा में,

श्रीमान नीरज शर्मा
संयुक्त कमेटी सदस्य,
SEE and Regional Officer
RSPCB, Regional Officer, Bikaner (Nodel Officer)

विषयः **माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में दर्ज प्रकरण सं. OA 407/2022 दिनांक 11.07.2022 में गठित संयुक्त कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 18.09.2022 के संदर्भ में।**

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दर्ज प्रकरण सं. **OA 407/2022** दिनांक 11.07.2022 में संयुक्त कमेटी सदस्य/नोडल अधिकारी आपको नियुक्त किया गया था। **संयुक्त कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांक** RPCB/RO-Bikaner/588 दिनांक **18.09.2022** पृष्ठ सं. **1 से 312** माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में प्रस्तुत की गई है।

महोदय जी, प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रकरण संख्या OA 407/2022 दिनांक **11.07.2022** की जांच से सम्बन्धित पत्र क्रमांक 6813 दिनांक 04.08.2022 (संलग्न दस्जावेत) श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये गये थे। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) Anx-1

महोदय जी, प्रार्थी द्वारा NGT New Delhi में दर्ज प्रकरण संख्या OA 407/2022 दिनांक **11.07.2022** के प्रकरण की जांच से सम्बन्धित दिनांक **23.08.2022** को दोपहर 2.00–2.30 बजे के करीब पत्र/दस्तावेज **RSPCB** बीकानेर कार्यालय में **संयुक्त कमेटी के सदस्यों के समक्ष** व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये गये थे। तत्पश्चात् आपके द्वारा दिनांक **24.08.2022** को पुनः दस्तावेजों की दो सेट में मांग की गई। आपके निर्देश की अनुपालना में पत्र क्रमांक **7019** दिनांक **24.08.2022** (संलग्न दस्तावेज 2 सैट) को क्षेत्रीय अधिकारी, RSPCB बीकानेर कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये गये। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) Anx-2

महोदय जी, प्रार्थी द्वारा आपको प्रेषित पत्र क्रमांक 6813 दिनांक 04.08.2022 तथा क्षेत्रीय अधिकारी RSPCB बीकानेर कार्यालय में प्रस्तुत पत्र क्रमांक 7019 दिनांक 24.08.2022 के बिन्दु सं. 1 से 5 में अंकित तथ्यों/साक्ष्यों/दस्तावेजों को संयुक्त कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक **18.09.2022** में **लेखबद्ध नहीं किया गया है।**

अतः आपसे निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण सं. OA 407/2022 से सम्बन्धित प्रेषित पत्र क्रमांक 6813 दिनांक 04.08.2022, पत्र क्रमांक **7019** दिनांक **24.08.2022,** के बिन्दु सं. **1 से 5** में अंकित तथ्यों/साक्ष्यों/दस्तावेजों की **जांच कर रिकॉर्ड में लेकर NGT नई दिल्ली में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में लेखबद्ध करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।**

सधन्यवाद।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER

प्रार्थी,

नारायणदास

नारायणदास तुलसानी पुत्र स्व. श्री किशनचंद तुलसानी
ए–13, करणी नगर, पवनपुरी, बीकानेर।
मो.नं.: 9928912610, email: narayandastulsani@gmail.com

NOTARY ... BIKANER ... R.No. ... 8/8/20.. ... OF INDIA

भारतीय डाक India Post
ER994824660IN IVR:6782994824966
SP PO BIKANER RMS COUNTER (334
Counter No:2,04/10/2022,15:37
To:SH NEERAJ SHA,RSPCB SHIV SINGH
PIN:332001, Sikar HO
From:NARAYAN DAS JI,PAWANPURI BKN
Wt:38gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
(Track on www.indiapost.gov.in)
(Dial 18002666868) (Wear Masks, Stay Safe)

PHOTO COPY ATTESTED
13/10/22
CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj)

(30)

Gmail

Naryan Das Tulsani <narayandastulsani@gmail.com>

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में दर्ज प्रकरण सं. OA 407/2022 के संदर्भ में।

1 message

Naryan Das Tulsani <narayandastulsani@gmail.com> Sun, Oct 2, 2022 at 12:28 PM
To: ro.bikaner@gmail.com

महांदय,

आपसे निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण सं. OA 407/2022 से सम्बन्धित प्रेषित पत्र क्रमांक 6813 दिनांक 04.08.2022, पत्र क्रमांक 7019 दिनांक 24.08.2022, के बिन्दु सं. 1 से 5 में अंकित तथ्यों/साक्ष्यों/दस्तावेजों की जांच कर रिकॉर्ड में लेकर NGT, नई दिल्ली में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में लेखबद्ध करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

HON'BLE NEERAJ SHARMA JOINT COMMITTEE MEMBER RSPCB.pdf
63K

NOTARY GOVT. OF INDIA
Mohan Modi BIKANER Regd. No. 177

PHOTO COPY ATTESTED
13/10/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

ANX-11

(31)

अतिआवश्यक प्रतिवेदन

पत्र क्रमाक 6893

दिंनाकः 09.08.2022

सैवा मे
श्रीमान जिला कलेक्टर
बीकानेर जिला
कोर्ट परिसर, रथखाना कालोनी
बीकानेर (राज)

2 रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA सत्यमेव जयते दो रुपये TWO RUPEES

विषयः नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली मे दर्ज **प्रकरण संख्या O.A 407/2022** के संदर्भ मे।

महोदय जी,
उपरोक्त विष्यान्तर्गत लेख है कि नारायण दास तुलसानी बीकानेर द्वारा रीको लि0 बीकानेर के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना पत्र क्रंमाक **5749** दिंनाक **30.03.2022**, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नइ दिल्ली को प्रेषित किया गया था। प्रार्थी द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र पर मान0 ट्रिब्यूनल द्वारा स्वंय प्रसंज्ञान लेते हुए **प्रकरण संख्या O.A 407/2022** दर्ज किया गया है, जिसके संबध मे **दिंनाक 11.07.2022** को आदेश पारित किया गया है। (आदेश की छायाप्रति संलग्न है)

महोदय जी, उक्त आदेश दिं0 11.07.2022 के पैरा संख्या 3 मे यह अकिंत किया है कि ***It would be appropriate to have a factual and action taken report from a Joint Committee comprising of concerned Regional Office of MoEF & CC, CPCB, CGWA, State PCB and District magistrate, Bikaner, State PCB will be Nodal agency for coordination and compliance.***

महोदय जी, मान0 ट्रिब्यूनल के आदेश दिं0 11.07.22 के अनुसार आप उक्त संयुक्त कमेटी के सदस्य है, इसलिए उपरोक्त आदेश से संबन्धित प्रार्थना पत्र दिं0 30.03.2022 के साथ संलग्न समस्त Annexures, एंव अन्य दस्तावेज कुल 82 पृष्ठो की छायाप्रति आपके अवलोकन हेतु प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे निवेदन है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिंनाक 11.07.2022 की अनुपालना मे प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन कर Factual and Action taken Report मान0 ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करे। प्रकरण से संबन्धित अन्य जानकारी के लिए प्रार्थी से सम्पर्क किया जा सकता है।

धन्यवाद

संलग्न (उपरोक्तानुसार)

प्रार्थी
नारायणदास
नारायण दास तुलसानी पुत्र स्व किशनचंद तुलसानी
ए–13, करणी नगर पवनपुरी
सहयोग पार्क के पास
बीकानेर (राज)
मो नं 9928912610
ईमेलः narayandastulsani@gmai.com

NOTARY GOVT. OF INDIA Mohan Modi BIKANER

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER

भारतीय डाक India Post

ER188833980IN IVR:6982188833980
SP PC BIKANER RMS COUNTER <334
Counter No:2,09/08/2022,17:17
To:DISTRICT COLLECTOR,BIKANER
PIN:334001, PC Bikaner RMS Counter
From:NARAYAN DAS,KARNI NAGAR
Wt:482gms
Amt:35.40(Cash)Tax:5.40
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

PHOTO COPY ATTESTED
13/8/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

Gmail   Naryan Das Tulsani <narayandastulsani@gmail.com>

(32)

IN THE MATTER OF CASE NO O.A 407/2022 REGISTERED IN NATIONAL GREEN TRIBUNAL NEW DELHI

NARAYAN DAS TULSANI (BIKANER) <narayandastulsani@gmail.com>   Tue, Aug 9, 2022 at 2:24 PM
To: "dm-bik-rj@nic.in" <dm-bik-rj@nic.in>

Dear Sir

Kindly Find Enclosed the Documents and Order Dated 11.07.2022 Passed by National Green Tribunal Principal Bench New Delhi in the Case No. O.A 407/2022 for Kind Perusal and needful action.

Thanking you

Regards

Narayan Das Tulsani

Bikaner (Raj)

Mob No: 9928912610

DIST COLLECTOR 6893.pdf
3912K

NOTARY GOVT. OF INDIA
Mohan Modi
BIKANER
R.No. 177
8/8/2025

PHOTO COPY ATTESTED
13/8/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

(33)

Office Copy

अतिआवश्यक प्रतिवेदन

क्रमांक : 7041

दिनांक : 25.08.2022

सेवा में,

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय
बीकानेर।

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA Rs.2 दो रुपये TWO RUPEES

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA Rs.2 दो रुपये TWO RUPEES

विषयः जांच के संदर्भ मे।
प्रसंग : **पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के संदर्भ में।**

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि रीको लि0 बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संबध मे प्राप्त पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978, दिंनाक 11.04.2017 की पिछले 5 वर्षो से की जा रही खुली अवहेलना के संबध मे प्रार्थी द्वारा मान0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली को शिकायत पत्र क्रंमाक 5749 दिंनाक 30.03.2022 प्रेषित किया गया था, जिस पर माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा संज्ञान लेते हुए प्रकरण संख्या O.A 407/2022 दर्ज किया गया है, जिसमे माननीय ट्रिब्यूनल द्वारा शिकायत पत्र क्रंमाक 5749 मे अकिंत तथ्यो, साक्ष्यो/दस्तावेजो की जांच एंव तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक संयुक्त कमेटी का गठन हेतु दिंनाक 11.07.2022 को आदेश पारित किया गया है। जिसमें आप संयुक्त कमेटी के सदस्य है।

महोदय जी, रीको लि0 बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978, दिंनाक 11.04.2017 मे अकिंत विशिष्ट नियम एंव शर्तो की पालना आज दिंनाक 25.08.2022 तक नही की गई है जिसके संबध मे महत्वपूर्ण तथ्य/साक्ष्य जांच हेतु आपको प्रस्तुत किये जा रहे है जो कि निम्नानुसार हैः-

1. यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में स्थापित करने हेतु पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर से पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 प्राप्त की गई थी। **जिसकी Compliance/Monitoring के लिये राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर/बीकानेर को अधिकृत किया गया है।**

क्र. सं.	पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 में अंकित **Specific Condition**	पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 में अंकित **Specific Condition** के संदर्भ में जानकारी/स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु
A.	यह कि पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के पार्ट-ए, Specific Condition के कन्स्ट्रक्शन फेस के **बिन्दु सं. 5** में अंकित है कि- The PP shall inform the RSPCB at the time of applying for CTE regarding investment on the various activities to be taken up under proposed Environment management Plan. The details of the plan should be submitted to the RPCB at the time of applying for CTE, As envisaged, the **P.P. shall invest at least an amount of s. 4277.29 lacs (before the project is put into use)** for implementing various environmental protection measures.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के पार्ट-ए, Specific Condition के बिन्दु सं. 5 में अंकित **4277.29 लाख** का निवेश दिनांक **25.08.2022 (64 माह तक) नहीं किया गया है** तथा उपरोक्त निवेश किये बिना करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में दिसम्बर 2019 से दिनांक 25.08.2022 तक 145 भूखण्ड विक्रय किये गये हैं जो कि पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 का **Violation/ Noncompliance** है। जिसके संदर्भ में **National Green Tribunal** नई दिल्ली द्वारा श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, रीको लि. जयपुर को दिनांक **11.07.2022** के तहत नोटिस जारी किया गया है।

NOTARY GOVT. OF INDIA Mohan ... BIKANER R.No. 77 8/8/2025

....2.

जयप्रकाश
25.8.22

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER

PHOTO COPY ATTESTED

CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

B.	यह कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना बीकानेर के संदर्भ में 30.11.2014 के पश्चात् **Consent to Establish** दिनांक **25.08.2022** तक प्राप्त नहीं की गई?	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा दिनांक 30.11.2014 के पश्चात् **Consent to Establish** प्राप्त किये बिना परियोजना को आरंभ करना पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 की अवहेलना एंव **Violation** है।
C.	यह कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में RSPCB जयपुर द्वारा जारी **Consent to Establish** दिनांक **17.01.2012** के बिन्दु सं. **4** में अंकित है कि परियोजना को आरम्भ करने से पूर्व **Consent to Operate** प्राप्त करना आवश्यक है	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा दिनाक 25.08.2022 तक **Consent to Operate** प्राप्त नही की गई है तथा कसेंट प्राप्त किये बिना करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर को आरम्भ कर दिया गया है जो कि Consent to Establish **दिनांक 17.01.2012 में अंकित बिन्दु सं. 4 का Violation है।**
D.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर को विकसित करने के सदर्भ में पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 में **11444.32 लाख** का निवेश प्रस्तावित था लेकिन रीको लि. बीकानेर द्वारा दिनांक 25.08.2022 (64 माह तक) तक **2232.98 लाख** का निवेश किया गया है। शेष राशि **9211.34 लाख** का निवेश दिनांक **25.08.2022** तक नहीं किया गया है?	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक विस्तार (परियोजना) बीकानेर को विकसित करने में शेष राशि **9211.34 लाख** का निवेश दिनाक 25.08.2022 तक नही किया गया है। जो कि पर्यावरण स्वीकृति दिंनाक 11.04.17 का **Violation** है।
E.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में **33%** ग्रीन एरिया का निर्माण कार्य **25.08.2022** तक नहीं किया गया है?	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा **33%** ग्रीन एरिया का निर्माण कार्य दिनाक 25.08.2022 तक नही करना पर्यावरण स्वीकृति दिंनाक 11.04.17 की अवहेलना एंव **Violation** है
F.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में ट्यूबवेल निर्माण के सम्बन्ध में केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण जल संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली/जयपुर से दिनांक **25.08.2022** (64 माह) तक अनुमति प्राप्त नहीं की गई है।	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में निर्माणाधीन ट्यूबवेल से सम्बन्धित **अनुमति** दिंनाक 25.08.2022 तक प्राप्त नही करना पर्यावरण स्वीकृति दिंनाक 11.04.2017 की अवहेलना एंव **Violation है**
G.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में बरसात के पानी की निकासी हेतु नाले/ नालियों का निर्माण कार्य **25.08.2022** (64 माह) तक नहीं किया गया है?	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना में बरसात के पानी की निकासी हेतु नाले/नालियों का निर्माण **दिनाक** 25.08.2022 तक नही करना पर्यावरण स्वीकृति दिनाक 11.04.2017 की अवहेलना एंव **Violation** है।
H.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में जारी पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के **बिन्दु सं. 23** की अनुपालना में दिनांक **11.04.2017 से 11.04.2022** तक समयावधि से सम्बन्धित Six Monthly Compliance status report of the "Project along with implementation of environmental measures SEIAA & RSPCB Jaipur/Bikaner को **दिनांक 25.08.2022** (64 माह) तक प्रेषित नहीं की गई है? जिसकी पुष्टि RSPCB बीकानेर/SEIAA जयपुर राजस्थान द्वारा जारी पत्रों से होती है।	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के बिन्दु सं. **23** की अनुपालना में **11.04.2017 से 11.04.2022** तक Six Monthly Complinace Status report of the "Project along with implementation of envrinmental measures SEIAA & RSPCB Bikaner को दिनाक 24.08.22 तक प्रेषित नहीं करना पर्यावरण स्वीकृति दि0 11.04.2017 के बिन्दु सं. 2 का **Violation/Noncompliance** है।

......3.

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER

PHOTO COPY ATTESTED 13/10/22

नारायणदास

CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

I.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में जारी पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के **बिन्दु सं. 2** की अनुपालना में दिनांक **11.04.2017 से 11.04.2022** तक की समयावधि से सम्बन्धित Six monthly Monitoring Report SEIAA Rajasthan & RSPCB Japur/Bikaner को **दिनांक** 30.07.2022 (64 माह) तक प्रेषित नहीं की गई है। जिसकी पुष्टि RSPCB बीकानेर/SEIAA जयपुर राजस्थान के पत्रों से होती है।	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में जारी पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के **बिन्दु सं. 2** की अनुपालना में दिनांक **11.04.2017 से 11.04.2022** तक की समयावधि से सम्बन्धित Six monthly Monitoring Report SEIAA Rajasthan & RSPCB Bikaner को दिनांक 25.08.2022 तक प्रेषित नहीं करना पर्यावरण स्वीकृति दिनाक 11.04.2017 के बिन्दु सं. 2 का **Violation/Noncompliance** है।
J.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर को दिनांक **25.08.2022** (64 माह) तक विकसित घोषित नहीं किया गया है?	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर को दिंनाक 25.08.2022 तक विकसित घोषित किये बिना योजना को आरम्भ करना पर्यावरण स्वीकृति दिंनाक 11.04.2017 की अवहेलना एंव **Violation** है।

2. यह कि पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978 दिंनाक 11.04.2017 मे अकिंत नियम एंव शर्तो की **Violation** एंव **Non Compliance** से संबन्धित **RSPCB** जयपुर द्वारा दिंनाक **02.09.2020, 05.10.2020, 04.01.2022,** के तहत कारण बताओ नोटिस रीको लि0 बीकानेर को जारी किये गये है, तथा तत्कालीन अध्यक्ष महोदया श्रीममि वीनू गुप्ता जी द्वारा अर्धशाक्षीय पत्र दिंनाक **13.07.2021, 08.04.2022,** प्रबंधक निदेशक रीको लि0 जयपुर को जारी किये गये है।

3: यह कि रीको लि0 बीकानेर द्वारा दिंनाक **27.04.2016** की जन सुनवाई के दोरान यह **घोषणा नही की गई थी** कि पर्यावरण स्वीकृति मे अकिंत नियम एंव शर्तो की पालना एस.पी.वी द्वारा की जायेगी। जो कि एक जांच का विषय है।

4: यह कि रीको लि0 बीकानेर द्वारा दिंनाक **27.04.2016** की जन सुनवाई के दोरान करणी औद्यौगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर को **Zero Liquid Discharge की पदत्ति पर स्थापित की घोषणा नही की गई थी।** जो कि एक जांच का विषय है।

5: यह कि करणी औद्यौगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के सामने जमा उछिष्ठ जल के फोटोग्राफ्स दिंनाक **22.11.2019, 31.01.2020, 10.07.2022** एंव ऐरियल सर्वे रिपोर्ट दिंनाक **08.01.2020, 07.09.2020, 04.09.2021** एंव Arial Comparison Report dated 04.09.2021 संलग्न कर प्रस्तुत किये जा रहे है।

अतः आपसे निवेदन है कि बिन्दु सं. **1 से 5** में अंकित तथ्यों, साक्ष्यों संलग्न दस्तावेज, फोटोग्राफ्स की **जांच/सत्यापन** कर माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के समक्ष प्रकरण से संबन्धित तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कृपा करें। प्रकरण से संबन्धित किसी भी अन्य जानकारी, के लिए प्रार्थी से सम्पर्क किया जा सकता है।

सधन्यवाद।

संलग्न (उपरोक्तानुसार)

NOTARY Mohan Modi BIKANER R.No. 177 8/8/2025 GOVT. OF INDIA

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER

प्रार्थी,

नारायणदास

नारायण दास तुलसानी
पुत्र स्वं किशनचंद तुलसानी
ए–13, करणी नगर पवनपुरी
सहयोग पार्क के पास बीकानेर (राज)
मो नं 9928912610 ईमेलः **narayandastulsani@gmail.com**

ER186628239IN IVR:6982188828239
SP PC BIKANER RMS COUNTER <334001>
Counter No:2,26/08/2022,20:02
To:DIST COLLECTOR,BKN
PIN:334001, PC Bikaner RMS Counter
From:NARAYAN DAS ,KARNI NAGAR
Wt:364gms
Amt:35.40(Cash)Tax:5.40
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक India Post

PHOTO COPY ATTESTED
13/10/22
CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

36

Gmail   Naryan Das Tulsani <narayandastulsani@gmail.com>

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली मे दर्ज प्रकरण संख्या O.A 407/2022 के संदर्भ मे।

1 message

Naryan Das Tulsani <narayandastulsani@gmail.com>   Thu, Aug 25, 2022 at 8:11 PM
To: dm-bik-rj@nic.in

महोदय जी
आपसे निवेदन है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिंनाक 11.07.2022 की अनुपालना मे प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन कर Factual and Action taken Report मान0 ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करे।

नारायण दास तुलसानी पुत्र स्वं किशनचंद तुलसानी
ए-13, करणी नगर पवनपुरी
सहयोग पार्क के पास
बीकानेर (राज)
मो नं 9928912610

Honble Distt. Collector Bikaner.pdf
154K

NOTARY Mohan Modi BIKANER R.No 177 8/8/2025 GOVT. OF INDIA

PHOTO COPY ATTESTED
13/10/22
CENTRAL ... BIKANER

क्रमांक : 7459

Office Copy

अतिआवश्यक प्रतिवेदन

दिनांक : 30.09.2022

(37)

सेवा में,

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय,
संयुक्त कमेटी सदस्य
जिला कलक्टर कार्यालय,
कोर्ट परिसर, बीकानेर।

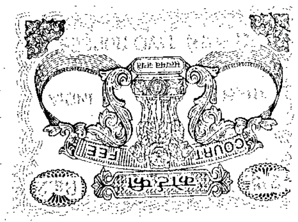
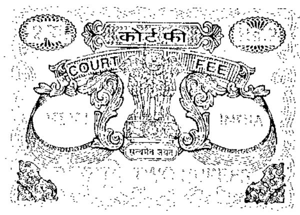

विषयः **माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में दर्ज प्रकरण सं. OA 407/2022 दिनांक 11.07.2022 में गठित संयुक्त कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 18.09.2022 के संदर्भ में।**

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दर्ज प्रकरण सं. **OA 407/2022** दिनांक 11.07.2022 में गठित **संयुक्त कमेटी का सदस्य** आपको नियुक्त किया गया था। **संयुक्त कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांक** RPCB/RO-Bikaner/588 दिनांक **18.09.2022** पृष्ठ सं. **1 से 312** माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में प्रस्तुत की गई है।

महोदय जी, प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रकरण संख्या OA 407/2022 दिनांक **11.07.2022** की जांच से सम्बन्धित पत्र क्रमांक 6893 दिनांक 09.08.2022 संलग्न दस्जावेत श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, बीकानेर को जरिये स्पीड पोस्ट प्रेषित किये गये थे। जो भारतीय पोस्टल की वेबसाईट के अनुसार दिनांक 22.08.2022 को प्राप्त हो चुके हैं। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) Anx-1

महोदय जी, प्रार्थी द्वारा NGT New Delhi में दर्ज प्रकरण संख्या OA 407/2022 दिनांक **11.07.2022** के प्रकरण की जांच से सम्बन्धित दिनांक **23.08.2022** को दोपहर 2.00–2.30 बजे के करीब पत्र/दस्तावेज **RSPCB** बीकानेर कार्यालय में **संयुक्त कमेटी के सदस्यों के समक्ष** व्यक्ति रूप से प्रस्तुत किये गये थे। तत्पश्चात् नोडल अधिकारी द्वारा दिनांक **24.08.2022** को पुनः दस्तावेजों की दो सेट में मांग की गई। नोडल अधिकारी की अनुपालना में प्रार्थी द्वारा पत्र क्रमांक **7019** दिनांक **24.08.2022** (संलग्न दस्तावेज 2 सैट) को क्षेत्रीय अधिकारी, RSPCB बीकानेर कार्यालय में प्रस्तुत किये गये। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) Anx-2

महोदय जी प्रार्थी द्वारा पत्र क्रमांक **7041** दिनांक **25.08.2022** (संलग्न दस्तावेज) श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, कार्यालय में जरिये स्पीड पोस्ट/ईमेल प्रेषित किये गये थे जो भारतीय पोस्टल की वेबसाईट की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक **29.08.2022** को आपके कार्यालय में प्राप्त हो चुके हैं। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) Anx-3

महोदय जी, प्रार्थी द्वारा आपको प्रेषित पत्र क्रमांक 6893 दिनांक 09.08.2022 तथा नोडल अधिकारी (क्षेत्रीय अधिकारी RSPCB बीकानेर कार्यालय में प्रस्तुत पत्र क्रमांक 7019 दिनांक 24.08.2022 एवं पत्र क्रमांक 7041 दिनांक 25.08.2022 में अंकित बिन्दु सं. 1 से 5 में अंकित तथ्यों/साक्ष्यों/दस्तावेजों को संयुक्त कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक **18.09.2022** में **लेखबद्ध नहीं किया गया है।**

अतः आपसे निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण सं. OA 407/2022 से सम्बन्धित प्रेषित पत्र क्रमांक 6893/दिनांक 09.08.2022, पत्र क्रमांक **7019** दिनांक **24.08.2022,** पत्र क्रमांक **7041** दिनांक **25.08.2022** में बिन्दु सं. **1 से 5** में अंकित तथ्यों/साक्ष्यों/दस्तावेजों की **जांच कर रिकॉर्ड में लेकर NGT नई दिल्ली में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में लेखबद्ध करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।**

NOTARY ★ Mohan Modi BIKANER R.No. 8/8/2022 GOVT. OF INDIA

सधन्यवाद।

NARAYAN DAS TULSANI ★ BIKANER

संलग्नः उपरोक्तानुसार

प्रार्थी,

नारायणदास

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

नारायणदास तुलसानी पुत्र स्व. श्री किशनचंद तुलसानी
ए–13, करणी नगर, पवनपुरी, बीकानेर।
मो.: 9928912610, email: narayandastulsani@gmail.com

(38)

Gmail

Naryan Das Tulsani <narayandastulsani@gmail.com>

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में दर्ज प्रकरण सं. OA 407/2022 दिनांक 11.07.2022 में गठित संयुक्त कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 18.09.2022 के संदर्भ में।

1 message

Naryan Das Tulsani <narayandastulsani@gmail.com> Fri, Sep 30, 2022 at 8:02 PM
To: dm-bik-rj@nic.in

महोदय जी,

प्रार्थी द्वारा प्रकरण सं. OA 407/2022 से सम्बन्धित प्रेषित पत्र क्रमांक 6893 दिनांक 09.08.2022, पत्र क्रमांक 7019 दिनांक 24.08.2022, पत्र क्रमांक 7041 दिनांक 25.08.2022 में बिन्दु सं. 1 से 5 में अंकित तथ्यों/साक्ष्यों/दस्तावेजों की जांच कर रिकॉर्ड में लेकर NGT नई दिल्ली में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में लेखबद्ध करने की कृपा करें।

प्रार्थी,

नारायणदास तुलसानी पुत्र स्व. श्री किशनचंद तुलसानी
ए-13, करणी नगर, पवनपुरी, बीकानेर।

HON'BLE DISTT. COLLECTOR BIKANER.pdf
60K

NOTARY GOVT OF INDIA Mohan Modi BIKANER R.No 777

भारतीय डाक India Post
SP PC BIKANER RMS COUNTER
Counter No:2,30/09/2022,21:09
To:DIST COLLECTOR,COURT PARISAR
PIN:334001, PC Bikaner RMS Counter
From:NARAYAN DAS JI,KARNI NAGAR
Wt:72gms
Amt:29.50(Cash)Tax:4.50
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

PHOTO COPY ATTESTED
13/10/22
CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

ANX-12

(39)

Office Copy

क्रमांक : 7468 दिनांक : 01.10.2022

अतिआवश्यक प्रतिवेदन

सेवा में,

श्रीमान महेश दत्त पुरोहित (Scientist -C)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (जयपुर)
ए–209 एवं 218, अरण्य भवन, एम.जी. रोड़
झलाना संस्थानिक क्षेत्र, झलाना डूंगरी, जयपुर–304002 (राज.)

विषयः **माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में दर्ज प्रकरण सं. OA 407/2022 दिनांक 11.07.2022 में गठित संयुक्त कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 18.09.2022 के संदर्भ में।**

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दर्ज प्रकरण सं. **OA 407/2022** दिनांक 11.07.2022 में संयुक्त कमेटी का सदस्य आपको नियुक्त किया गया था। **संयुक्त कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांक** RPCB/RO-Bikaner/588 दिनांक **18.09.2022** पृष्ठ सं. **1 से 312** माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में प्रस्तुत की गई है।

महोदय जी, प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रकरण संख्या OA 407/2022 दिनांक **11.07.2022** की जांच से सम्बन्धित पत्र क्रमांक 6897 दिनांक 09.08.2022 (संलग्न दस्जावेत) श्रीमान् वन–उप–महानिदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जयपुर कार्यालय में जरिये स्पीड पोस्ट/ईमेल प्रेषित किया गये थे जो कि भारतीय पोस्टल वेबसाईट की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 12.08.2022 को प्राप्त हो चुके है। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) Anx-1

महोदय जी, प्रार्थी द्वारा NGT New Delhi में दर्ज प्रकरण संख्या OA 407/2022 दिनांक **11.07.2022** के प्रकरण की जांच से सम्बन्धित दिनांक **23.08.2022** को दोपहर 2.00–2.30 बजे के करीब पत्र/दस्तावेज **RSPCB** बीकानेर कार्यालय में **संयुक्त कमेटी के सदस्यों के समक्ष** व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये गये थे। तत्पश्चात् आपके द्वारा दिनांक **24.08.2022** को पुनः दस्तावेजों की दो सेट में मांग की गई। आपके निर्देश की अनुपालना में पत्र क्रमांक **7019** दिनांक **24.08.2022** (संलग्न दस्तावेज 2 सैट) को क्षेत्रीय अधिकारी, RSPCB बीकानेर कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये गये। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) Anx-2

महोदय जी, प्रार्थी द्वारा आपको प्रेषित पत्र क्रमांक **7039** दिनांक **25.08.2022** (संलग्न दस्तावेज) श्रीमान् वन–उप–महानिदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जयपुर को जरिये स्पीड पोस्ट/ईमेल प्रेषित किया गये थे जो कि आपके कार्यालय में **29.08.2022** को प्राप्त हो चुके है। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है।) Anx-3

महोदय जी, प्रार्थी द्वारा आपको प्रेषित पत्र क्रमांक 6897 दिनांक 09.08.2022 तथा क्षेत्रीय अधिकारी, RSPCB बीकानेर कार्यालय में प्रस्तुत पत्र क्रमांक 7019 दिनांक 24.08.2022 तथा पत्र क्रमांक 7039 दिनांक 25.08.2022 के बिन्दु सं. 1 से 5 में अंकित तथ्यों/साक्ष्यों/दस्तावेजों को संयुक्त कमेटी द्वारा **NGT नई दिल्ली में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 18.09.2022** में लेखबद्ध नहीं किया गया है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण सं. OA 407/2022 से सम्बन्धित प्रेषित पत्र क्रमांक 6897 दिनांक 09.08.2022, पत्र क्रमांक **7019** दिनांक **24.08.2022 तथा पत्र क्रमांक 7039 दिनांक 25.08.2022** के बिन्दु सं. **1 से 5** में अंकित तथ्यों/साक्ष्यों/दस्तावेजों की **जांच कर रिकॉर्ड में लेकर NGT नई दिल्ली में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में लेखबद्ध करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।**

सधन्यवाद।

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER

प्रार्थी,

संलग्नः उपरोक्तानुसार

नारायणदास
नारायणदास तुलसानी पुत्र स्व. श्री किशनचंद तुलसानी
ए–13, करणी नगर, पवनपुरी, बीकानेर।
मो.नं.: 9928912610, email: narayandastulsani@gmail.com

PHOTO COPY ATTESTED
13/10/22
CENTRAL NOTARY BIKANER

NOTARY GOVT. OF INDIA Mohan Modi BIKANER

(40)

Gmail

Naryan Das Tulsani <narayandastulsani@gmail.com>

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में दर्ज प्रकरण सं. OA 407/2022 के संदर्भ में।

1 message

Naryan Das Tulsani <narayandastulsani@gmail.com> Sun, Oct 2, 2022 at 12:42 PM
To: iro.jaipur-mefcc@gov.in

महांदय,

आपसे निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण सं. OA 407/2022 से सम्बन्धित प्रेषित पत्र क्रमांक 6897 दिनांक 09.08.2022, पत्र क्रमांक 7019 दिनांक 24.08.2022 तथा पत्र क्रमांक 7039 दिनांक 25.08.2022 के बिन्दु सं. 1 से 5 में अंकित तथ्यों/साक्ष्यों/दस्तावेजों की जांच कर रिकॉर्ड में लेकर NGT नई दिल्ली में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में लेखबद्ध करने की कृपा करें।

प्रार्थी,

नारायणदास तुलसानी पुत्र स्व. श्री किशनचंद तुलसानी
ए-13, करणी नगर, पवनपुरी, बीकानेर।
मो.नं.: 9928912610

HON'BLE MAHESH DUTT JI, MOEF JAIPUR.pdf
68K

NOTARY GOVT. OF INDIA Mohan Modi BIKANER R.No 177 8/8/2025

भारतीय डाक India Post
ER794856275IN IVR:698299485
SP PC BIKANER RMS COUNTER
Counter No:2,02/10/2022,14:54
To:SH MAHESH DUT,ARNYA BHAWAN
PIN:302004, Jawahar Nagar H.O
From:NARAYAN DAS,KARNI NAGAR
Wt:65gms
Amt:47.20(Cash)Tax:7.20
(Track on www.indiapost.gov.in)
(Dial 18002666868) (Wear Masks, Stay Safe)

PHOTO COPY ATTEST
13/10/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

अतिआवश्यक प्रतिवेदन

(41)

पत्र क्रंमाक 6897

दिंनाक: 09.08.2022

Office Copy

सैवा मे
वन उप–महानिदेशक
पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिर्वतन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रिय कार्यालय (जयपुर)
ए–209 एंव 218, अरण्य: भवन
एम.जी रोड झलाना संस्थानिक क्षेत्र
जयपुर– 304002

कोर्ट फी 2 रु. Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

विषय: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली मे दर्ज **प्रकरण संख्या O.A 407/2022** के संदर्भ मे।

महोदय, जी,
उपरोक्त विष्यान्तर्गत लेख है कि नारायण दास तुलसानी बीकानेर द्वारा रीको लि0 बीकानेर के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना पत्र क्रंमाक **5749** दिंनाक **30.03.2022**, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नइ दिल्ली को प्रेषित किया गया था। प्रार्थी द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र पर मान0 ट्रिब्यूनल द्वारा स्वय्र प्रसंज्ञान लेते हुए **प्रकरण संख्या O.A 407/2022** दर्ज किया गया है, जिसके संबध मे **दिंनाक 11.07.2022** को आदेश पारित किया गया है। (आदेश की छायाप्रति संलग्न है)

महोदय जी, उक्त आदेश दिं0 11.07.2022 के पैरा संख्या 3 मे यह अकिंत किया है कि ***It would be appropriate to have a factual and action taken report from a Joint Committee comprising of concerned Regional Office of MoEF & CC, CPCB, CGWA, State PCB and District magistrate, Bikaner, State PCB will be Nodal agency for coordination and compliance.***

महोदय जी, मान0 ट्रिब्यूनल के आदेश दिं0 11.07.22 के अनुसार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिर्वतन मंत्रालय को संयुक्त कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है, इसलिए उपरोक्त आदेश से संबन्धित प्रार्थना पत्र दिं0 30.03.2022 के साथ संलग्न समस्त Annexures, एंव अन्य दस्तावेज कुल 82 पृष्ठो की छायाप्रति आपके अवलोकन हेतु प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे निवेदन है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिंनाक 11.07.2022 की अनुपालना मे प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन कर **Factual and Action taken Report** मान0 ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करे। प्रकरण से संबन्धित अन्य जानकारी के लिए प्रार्थी से सम्पर्क किया जा सकता है।

धन्यवाद

संलग्न (उपरोक्तानुसार)

प्रार्थी
नारायणदास
नारायण दास तुलसानी पुत्र स्व किशनचंद तुलसानी
ए–13, करणी नगर पवनपुरी
सहयोग पार्क के पास
बीकानेर (राज)
मो नं 9928912610
ईमेल: narayandastulsani@gmai.com

NOTARY GOVT. OF INDIA Mohan Modi BIKANER R.No. 17 8/8/2022

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER

भारतीय डाक India Post
ER188834075IN IVR:6982188834075
SP PC BIKANER RMS COUNTER <334
Counter No:2,09/08/2022,17:17
To:SH VAN UP MAH,PRAYAVARAN VAN
PIN:302002, Tripolia Bazar S.O
From:NARAYAN DAS,KARNI NAGAR
Wt:400gms
Amt:70.80(Cash)Tax:10.80
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

PHOTO COPY ATTESTED
13/8/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER

Gmail

Naryan Das Tulsani <narayandastulsani@gmail.com>

Dear Sir Kindly Find Enclosed the Documents and Order Dated 11.07.2022 Passed by National Green Tribunal Principal Bench New Delhi in the Case No. O.A 407/2022 for Kind Perusal and needful action. Thanking you Regards Narayan Das Tulsani Bikaner (Raj) Mob No: 9928912610

Naryan Das Tulsani <narayandastulsani@gmail.com>
To: iro.jaipur-mefcc@gov.in

Tue, Aug 9, 2022 at 2:30 PM

Dear Sir

Kindly Find Enclosed the Documents and Order Dated 11.07.2022 Passed by National Green Tribunal Principal Bench New Delhi in the Case No. O.A 407/2022 for Kind Perusal and needful action.

Thanking you

Regards

Narayan Das Tulsani

Bikaner (Raj)

Mob No: 9928912610

DEPUTY DIRECTOR MOEF JAIPUR 6897.pdf
3915K

NOTARY GOVT. OF INDIA

PHOTO COPY ATTESTED
13/10/22

CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

(43)

अतिआवश्यक प्रतिवेदन **Office Copy**

क्रमांक : 7039

दिनांक : 25.08.2022

सेवा में,

श्रीमान वन–उप–महानिदेशक
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रिय कार्यालय (जयपुर)
ए–209 एवं 218, अरण्य भवन,
एम.जी. रोड़, झलाना संस्थानिक क्षेत्र,
जयपुर– 302004

विषयः **जांच के संदर्भ मे।**
प्रसंग : **पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के संदर्भ में।**

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि रीको लि0 बीकानेर द्वारा करणी औद्यौगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संबध मे प्राप्त पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978, दिंनाक 11.04.2017 की पिछले 5 वर्षो से की जा रही खुली अवहेलना के संबध मे प्रार्थी द्वारा मान0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली को शिकायत पत्र क्रंमाक 5749 दिंनाक 30.03.2022 प्रेषित किया गया था, जिस पर माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा संज्ञान लेते हुए प्रकरण संख्या O.A 407/2022 दर्ज किया गया है, जिसमे माननीय ट्रिब्यूनल द्वारा शिकायत पत्र क्रंमाक 5749 मे अकिंत तथ्यो, साक्ष्यो/दस्तावेजो की जांच एंव तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक संयुक्त कमेटी का गठन हेतु दिंनाक 11.07.2022 को आदेश पारित किया गया है। जिसमें आप संयुक्त कमेटी के सदस्य है।

महोदय जी, रीको लि0 बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978, दिंनाक 11.04.2017 मे अकिंत विशिष्ट नियम एंव शर्तो की पालना आज दिंनाक 25.08.2022 तक नही की गई है जिसके संबध मे महत्वपूर्ण तथ्य/साक्ष्य जांच हेतु आपको प्रस्तुत किये जा रहे है जो कि निम्नानुसार हैः–

1. यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में स्थापित करने हेतु पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर से पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 प्राप्त की गई थी। **जिसकी Compliance/Monitoring के लिये राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर/बीकानेर को अधिकृत किया गया है।**

क्र. सं.	पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 में अंकित **Specific Condition**	पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 में अंकित **Specific Condition** के संदर्भ में जानकारी/स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु
A.	यह कि पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के पार्ट–ए, Specific Condition के कन्स्ट्रक्शन फेस के **बिन्दु सं. 5** में अंकित है कि– The PP shall inform the RSPCB at the time of applying for CTE regarding investment on the various activities to be taken up under proposed Environment management Plan. The details of the plan should be submitted to the RPCB at the time of applying for CTE, As envisaged, the **P.P. shall invest at least an amount of s. 4277.29 lacs (before the project is put into use)** for implementing various environmental protection measures.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनाक 11.04.2017 के पार्ट–ए, Specific Condition के बिन्दु सं. 5 में अंकित **4277.29 लाख** का निवेश दिनांक **25.08.2022 (64 माह तक) नहीं किया गया है** तथा उपरोक्त निवेश किये बिना करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में दिसम्बर 2019 से दिनांक 25.08.2022 तक 145 भूखण्ड विक्रय किये गये हैं जो कि पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 का **'Violation/ Noncompliance** है। जिसके संदर्भ में **National Green Tribunal** नई दिल्ली द्वारा श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, रीको लि. जयपुर को दिनांक **11.07.2022** के तहत नोटिस जारी किया गया है।

....2.

NOTARY Mohan Mod. BIKANER R.No. 177 8/8/2025 GOVT. OF INDIA

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER

PHOTO COPY ATTESTED

CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

नारायणदास 25.8.22

(44)

B.	यह कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना बीकानेर के संदर्भ में 30.11.2014 के पश्चात् **Consent to Establish** दिनांक **25.08.2022** तक प्राप्त नहीं की गई?	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा दिनांक 30.11.2014 के पश्चात् **Consent to Establish** प्राप्त किये बिना परियोजना को आरंभ करना पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 की अवहेलना एंव **Violation** है।
C.	यह कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में RSPCB जयपुर द्वारा जारी **Consent to Establish** दिनांक **17.01.2012** के बिन्दु सं. 4 में अंकित है कि परियोजना को आरम्भ करने से पूर्व **Consent to Operate** प्राप्त करना आवश्यक है	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा दिंनाक 25.08.2022 तक **Consent to Operate** प्राप्त नही की गई है तथा कसेंट प्राप्त किये बिना करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर को आरम्भ कर दिया गया है जो कि Consent to Establish **दिनांक 17.01.2012 में अंकित बिन्दु सं. 4 का Violation है।**
D.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर को विकसित करने के सदंर्भ में पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 में **11444.32 लाख** का निवेश प्रस्तावित था लेकिन रीको लि. बीकानेर द्वारा दिनांक 25.08.2022 (64 माह तक) तक **2232.98 लाख** का निवेश किया गया है। शेष राशि **9211.34 लाख** का निवेश दिनांक **25.08.2022** तक नहीं किया गया है?	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक विस्तार (परियोजना) बीकानेर को विकसित करने में शेष राशि **9211.34 लाख** का निवेश दिंनाक 25.08.2022 तक नही किया गया है। जो कि पर्यावरण स्वीकृति दिंनाक 11.04.17 का **Violation** है।
E.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में **33%** ग्रीन एरिया का निर्माण कार्य **25.08.2022** तक नहीं किया गया है?	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा **33%** ग्रीन एरिया का निर्माण कार्य दिंनाक 25.08.2022 तक नही करना पर्यावरण स्वीकृति दिंनाक 11.04.17 की अवहेलना एंव **Violation** है
F.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में ट्यूबवेल निर्माण के सम्बन्ध में केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण जल संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली/जयपुर से दिनांक **25.08.2022** (64 माह) तक अनुमति प्राप्त नहीं की गई है।	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में निर्माणाधीन ट्यूबवेल से सम्बन्धित **अनुमति** दिंनाक 25.08.2022 तक प्राप्त नही करना पर्यावरण स्वीकृति दिंनाक 11.04.2017 की अवहेलना एंव **Violation है**
G.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में बरसात के पानी की निकासी हेतु नाले/ नालियों का निर्माण कार्य **25.08.2022** (64 माह) तक नहीं किया गया है?	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना में बरसात के पानी की निकासी हेतु नाले/नालियों का निर्माण **दिंनाक** 25.08.2022 तक नही करना पर्यावरण स्वीकृति दिंनाक 11.04.2017 की अवहेलना एंव **Violation** है।
H.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में जारी पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के **बिन्दु सं. 23** की अनुपालना में दिनांक **11.04.2017 से 11.04.2022** तक समयावधि से सम्बन्धित Six Monthly Compliance status report of the "Project along with implementation of environmental measures SEIAA & RSPCB Jaipur/Bikaner को **दिनांक 25.08.2022** (64 माह) तक प्रेषित नहीं की गई है? जिसकी पुष्टि RSPCB बीकानेर/SEIAA जयपुर राजस्थान द्वारा जारी पत्रों से होती है।	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के बिन्दु सं. **23** की अनुपालना में **11.04.2017 से 11.04.2022** तक Six Monthly Complinace Status report of the "Project along with implementation of envrinmental measures SEIAA & RSPCB Bikaner को दिंनाक 24.08.22 तक प्रेषित नहीं करना पर्यावरण स्वीकृति दिं0 11.04.2017 के बिन्दु सं. 2 का **Violation/Noncompliance** है।

......3.

NOTARY GOVT. BIKANER

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER

PHOTO COPY ATTESTED
13/9/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

नारायणदास
25.8.22

I.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में जारी पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के **बिन्दु सं. 2** की अनुपालना में दिनांक **11.04.2017 से 11.04.2022** तक की समयावधि से सम्बन्धित Six monthly Monitoring Report SEIAA Rajasthan & RSPCB Japur/Bikaner को **दिनांक 30.07.2022** (64 माह) तक प्रेषित नहीं की गई है। जिसकी पुष्टि RSPCB बीकानेर/SEIAA जयपुर राजस्थान के पत्रों से होती है।	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में जारी पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के **बिन्दु सं. 2** की अनुपालना में दिनांक **11.04.2017 से 11.04.2022** तक की समयावधि से सम्बन्धित Six monthly Monitoring Report SEIAA Rajasthan & RSPCB Bikaner को दिनांक 25.08.2022 तक प्रेषित नहीं करना पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 11.04.2017 के बिन्दु सं. 2 का **Violation/Noncompliance** है।
J.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर को दिनांक **25.08.2022** (64 माह) तक विकसित घोषित नहीं किया गया है?	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर को दिनांक 25.08.2022 तक विकसित घोषित किये बिना योजना को आरम्भ करना पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 11.04.2017 की अवहेलना एंव **Violation** है।

2. यह कि पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978 दिनांक 11.04.2017 मे अकिंत नियम एंव शर्तो की **Violation** एंव **Non Compliance** से संबन्धित **RSPCB** जयपुर द्वारा दिनांक **02.09.2020, 05.10.2020, 04.01.2022**, के तहत कारण बताओ नोटिस रीको लि0 बीकानेर को जारी किये गये है, तथा तत्कालीन अध्यक्ष महोदया श्रीममि वीनू गुप्ता जी द्वारा अर्धशाष्कीय पत्र दिनाक **13.07.2021, 08.04.2022**, प्रबंधक निदेशक रीको लि0 जयपुर को जारी किये गये है।

3: यह कि रीको लि0 बीकानेर द्वारा दिनांक **27.04.2016** की जन सुनवाई के दोरान यह **घोषणा नही की गई थी** कि पर्यावरण स्वीकृति मे अकिंत नियम एंव शर्तो की पालना एस.पी.वी द्वारा की जायेगी। जो कि एक जांच का विषय है।

4: यह कि रीको लि0 बीकानेर द्वारा दिनाक **27.04.2016** की जन सुनवाई के दोरान करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर को **Zero Liquid Discharge की पदत्ति पर स्थापित की घोषणा नही की गई थी**। जो कि एक जांच का विषय है।

5: यह कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के सामने जमा उछिष्ठ जल के फोटोग्राफ्स दिनाक **22.11.2019, 31.01.2020, 10.07.2022** एंव ऐरियल सर्वे रिपोर्ट दिनाक **08.01.2020, 07.09.2020, 04.09.2021** एंव Arial Comparison Report dated 04.09.2021 संलग्न कर प्रस्तुत किये जा रहे है।

अतः आपसे निवेदन है कि बिन्दु सं. **1 से 5** में अंकित तथ्यों, साक्ष्यों संलग्न दस्तावेज, फोटोग्राफ्स **की जांच/सत्यापन** कर माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के समक्ष प्रकरण से संबन्धित तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कृपा करें। प्रकरण से संबन्धित किसी भी अन्य जानकारी, के लिए प्रार्थी से सम्पर्क किया जा सकता है।

सधन्यवाद।

प्र.संलग्न (उपरोक्तानुसार)

NOTARY GOVT. OF INDIA

प्रार्थी,

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER

नारायण दास तुलसानी
पुत्र स्वं किशनचंद तुलसानी
ए–13, करणी नगर पवनपुरी
सहयोग पार्क के पास बीकानेर (राज)
मो नं 9928912610 ईमेल: narayandastulsani@gmail.com

ER188828097IN IVR:6982188828097
SP PC BIKANER RMS COUNTER (334001)
Counter No:2,26/08/2022,20:02
To:VAN UP MAHNID,ARNAY BHAWAN MG
PIN:302004, Jawahar Nagar H.O
From:NARAYAN DAS ,KARNI NAGAR
Wt:367gms
Amt:70.80(Cash)Tax:10.80
(Track on www.indiapost.gov.in)
(Dial 18002666868) (Wear Masks, Stay Safe)

भारतीय डाक India Post

PHOTO COPY ATTESTED
3/10/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

Gmail

Naryan Das Tulsani <narayandastulsani@gmail.com>

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली मे दर्ज प्रकरण संख्या O.A 407/2022 के संदर्भ मे।

1 message

Naryan Das Tulsani <narayandastulsani@gmail.com> Thu, Aug 25, 2022 at 8:17 PM
To: iro.jaipur-mefcc@gov.in

महोदय जी
आपसे निवेदन है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिंनाक 11.07.2022 की अनुपालना मे प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन कर Factual and Action taken Report मान0 ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करे।

नारायण दास तुलसानी पुत्र स्वं किशनचंद तुलसानी
ए-13, करणी नगर पवनपुरी
सहयोग पार्क के पास
बीकानेर (राज)
मो नं 9928912610

Honble FOREST DGM JAIPUR.pdf
155K

NOTARY ★ INDIA ★ GOVT. OF INDIA
Mohan Modi BIKANER R.No. 177 8/8/2025

PHOTO COPY ATTESTED
13/10/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ)

ANX-13

(47)

Office Copy

क्रमांक : 7470

दिनांक : 01.10.2022

<u>अतिआवश्यक प्रतिवेदन</u>

सेवा में,

श्रीमान प्रवीण कुमार जैन (Scienctist-B)
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
क्षेत्रीय निदेशक (केन्द्रीय)
परिवेश भवन, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल – 462016 (म.प्र.)

विषयः **माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में दर्ज प्रकरण सं. OA 407/2022 दिनांक 11.07.2022 में गठित संयुक्त कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 18.09.2022 के संदर्भ में।**

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दर्ज प्रकरण सं. **OA 407/2022** दिनांक 11.07.2022 में संयुक्त कमेटी का सदस्य आपको नियुक्त किया गया था। **संयुक्त कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांक** RPCB/RO-Bikaner/588 दिनांक **18.09.2022** पृष्ठ सं. **1 से 312** माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में प्रस्तुत की गई है।

महोदय जी, प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रकरण संख्या OA 407/2022 दिनांक **11.07.2022** की जांच से सम्बन्धित पत्र क्रमांक 6953 दिनांक 12.08.2022 (संलग्न दस्जावेत) श्रीमान् क्षेत्रीय निदेशक महोदय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भोपाल कार्यालय में जरिये स्पीड पोस्ट/ईमेल प्रेषित किये गये थे (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) Anx-1

महोदय जी, प्रार्थी द्वारा NGT New Delhi में दर्ज प्रकरण संख्या OA 407/2022 दिनांक **11.07.2022** के प्रकरण की जांच से सम्बन्धित दिनांक **23.08.2022** को दोपहर 2.00–2.30 बजे के करीब पत्र/दस्तावेज **RSPCB** बीकानेर कार्यालय में **संयुक्त कमेटी के सदस्यों के समक्ष** व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये गये थे। तत्पश्चात् आपके द्वारा दिनांक **24.08.2022** को पुनः दस्तावेजों की दो सेट में मांग की गई। आपके निर्देश की अनुपालना में पत्र क्रमांक **7019** दिनांक **24.08.2022** (संलग्न दस्तावेज 2 सैट) को क्षेत्रीय अधिकारी, RSPCB बीकानेर कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये गये। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) Anx-2

महोदय जी, प्रार्थी द्वारा आपको प्रेषित पत्र क्रमांक **7037** दिनांक **25.08.2022** (संलग्न दस्तावेज) श्रीमान् क्षेत्रीय निदेशक महोदय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भोपाल को जरिये स्पीड पोस्ट/ईमेल प्रेषित किये गये थे जो कि आपके कार्यालय में **01.09.2022** को प्राप्त हो चुके है। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है।) Anx-3

महोदय जी, प्रार्थी द्वारा आपको प्रेषित पत्र क्रमांक 6953 दिनांक 12.08.2022 तथा क्षेत्रीय अधिकारी, RSPCB बीकानेर कार्यालय में प्रस्तुत पत्र क्रमांक 7019 दिनांक 24.08.2022 तथा पत्र क्रमांक 7037 दिनांक 25.08.2022 के बिन्दु सं. 1 से 5 में अंकित तथ्यों/साक्ष्यों/दस्तावेजों को संयुक्त कमेटी द्वारा **NGT नई दिल्ली में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 18.09.2022** में लेखबद्ध नहीं किया गया है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण सं. OA 407/2022 से सम्बन्धित प्रेषित पत्र क्रमांक 6953 दिनांक 12.08.2022, पत्र क्रमांक **7019** दिनांक **24.08.2022 तथा पत्र क्रमांक 7037 दिनांक 25.08.2022** के बिन्दु सं. **1 से 5** में अंकित तथ्यों/साक्ष्यों/दस्तावेजों की **जांच कर रिकॉर्ड में लेकर NGT नई दिल्ली में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में लेखबद्ध करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।**

सधन्यवाद।

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER

संलग्नः उपरोक्तानुसार

NOTARY OF INDIA Mohan Modi BIKANER R.No. 177 8/8/2025

प्रार्थी,

नारायणदास

नारायणदास तुलसानी पुत्र स्व. श्री किशनचंद तुलसानी
ए–13, करणी नगर, पवनपुरी, बीकानेर।
मो.नं.: 9928912610, email: narayandastulsani@gmail.com

PHOTO COPY ATTESTED
13/10/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

Gmail Naryan Das Tulsani <narayandastulsani@gmail.com>

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में दर्ज प्रकरण सं. OA 407/2022 के संदर्भ में।

1 message

Naryan Das Tulsani <narayandastulsani@gmail.com> Sun, Oct 2, 2022 at 11:42 AM
To: jagan191.cpcb@gov.in

महोदय जी,

निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण सं. OA 407/2022 से सम्बन्धित प्रेषित पत्र क्रमांक 6953 दिनांक 12.08.2022, पत्र क्रमांक 7019 दिनांक 24.08.2022 तथा पत्र क्रमांक 7037 दिनांक 25.08.2022 के बिन्दु सं. 1 से 5 में अंकित तथ्यों/साक्ष्यों/दस्तावेजों की जांच कर रिकॉर्ड में लेकर NGT नई दिल्ली में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में लेखबद्ध करने की कृपा करें।

प्रार्थी,

नारायणदास तुलसानी पुत्र स्व. श्री किशनचंद तुलसानी
ए-13, करणी नगर, पवनपुरी, बीकानेर।
मो.नं.: 9928912610

HON'BLE PRAVEEN KR JAIN CPCB BHOPAL.pdf
66K

NOTARY GOVT. OF INDIA Mohan Modi BIKANER

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

भारतीय डाक India Post
ER994856394IN IVR:6962994856
SP PO BIKANER RMS COUNTER
Counter No:2,02/10/2022,14:54
To:Sri PRAVEEN KR,KENDRIYA PRADUSHA
PIN:462016, R.S.Nagar S.O
From:NARAYAN DAS,KARNI NAGAR
Wt:53gms
Amt:47.20(Cash)Tax:7.20
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

(49)

अतिआवश्यक प्रतिवेदन

पत्र क्रंमाकः 6953

दिंनाकः 12.08.2022

Office Copy

सैवा मे

श्रीमान क्षेत्रीय निदेशक महोदय
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
क्षेत्रीय निदेशालय,
परिवेश भवन, पर्यावरण परिसर,
ई–5, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल– 462016 (म.प्र.)

विषयः नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली मे दर्ज **प्रकरण संख्या O.A 407/2022** के संदर्भ मे।

महोदय जी,
उपरोक्त विष्यान्तर्गल लेख है कि नारायण दास तुलसानी बीकानेर द्वारा रीको लि0 बीकानेर के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना पत्र क्रंमाक **5749** दिंनाक **30.03.2022**, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नइ दिल्ली को प्रेषित किया गया था। प्रार्थी द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र पर मान0 ट्रिब्यूनल द्वारा स्वय प्रसंज्ञान लेते हुए **प्रकरण संख्या O.A 407/2022** दर्ज किया गया है, जिसके संबध मे **दिंनाक 11.07.2022** को आदेश पारित किया गया है। (आदेश की छायाप्रति संलग्न है)

महोदय जी, उक्त आदेश दिं0 11.07.2022 के पैरा संख्या 3 मे यह अकिंत किया है कि ***It would be appropriate to have a factual and action taken report from a Joint Committee comprising of concerned Regional Office of MoEF & CC, CPCB, CGWA, State PCB and District magistrate, Bikaner, State PCB will be Nodal agency for coordination and compliance.***

महोदय जी, मान0 ट्रिब्यूनल के आदेश दिं0 11.07.22 के अनुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को संयुक्त कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है, इसलिए उपरोक्त आदेश से संबन्धित प्रार्थना पत्र दिं0 30.03.2022 के साथ संलग्न समस्त Annexures, एंव अन्य दस्तावेज कुल 82 पृष्ठो की छायाप्रति आपके अवलोकन हेतु प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे निवेदन है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिंनाक 11.07.2022 की अनुपालना मे प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन कर **Factual and Action taken Report** मान0 ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करे। प्रकरण से संबन्धित अन्य जानकारी के लिए प्रार्थी से सम्पर्क किया जा सकता है।

धन्यवाद

संलग्न (उपरोक्तानुसार)

प्रार्थी

नारायणदास
नारायण दास तुलसानी पुत्र स्वं किशनचंद तुलसानी
ए–13, करणी नगर पवनपुरी
सहयोग पार्क के पास
बीकानेर (राज)
मो नं 9928912610
ईमेलः narayandastulsani@gmai.com

NOTARY ★ Mohan Modi BIKANER R.No 177 8/8/2025 ★ GOVT. OF INDIA

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER

ER188837363IN IVR:6782188837363
SP PC BIKANER RMS COUNTER (334001)
Counter No:2,13/08/2022,18:24
To:ARIAL NIDESAK,PARIVESH BHAWAN
PIN:462016, R.S.Nagar S.O
From:NARAYAN DAS,KARNI NAGAR
Wt:470gms
Amt:70.80(Cash)Tax:10.80
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक India Post

PHOTO COPY ATTESTED
13/8/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

Gmail

Naryan Das Tulsani <narayandastulsani@gmail.com>

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली मे दर्ज प्रकरण संख्या O.A 407/2022 के संदर्भ मे।

1 message

Naryan Das Tulsani <narayandastulsani@gmail.com> Fri, Aug 12, 2022 at 6:44 PM
To: jagan191.cpcb@gov.in

महोदय जी
आपसे निवेदन है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिंनाक 11.07.2022 की अनुपालना मे प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन कर Factual and Action taken Report मान0 ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करे।

नारायण दास तुलसानी पुत्र स्व किशनचंद तुलसानी
ए-13, करणी नगर पवनपुरी
सहयोग पार्क के पास
बीकानेर (राज)
मो नं 9928912610

LETTER CPCB BHOPAL.pdf
2037K

NOTARY ★ GOVT. OF INDIA ★
Mohan Modi
BIKANER
R.No 177

PHOTO COPY ATTESTED

CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

(51)

अतिआवश्यक प्रतिवेदन **Office Copy**

क्रमांक : 7037

दिनांक : 25.08.2022

सेवा में,

श्रीमान क्षेत्रिय निदेशक महोदय,
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
क्षेत्रीय निदेशालय, भोपाल
परिवेश भवन, पर्यावरण परिसर,
ई–5, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल– 462016 (म.प्र.)

कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

विषयः जांच के संदर्भ मे।
प्रसंग : **पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के संदर्भ में।**

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि रीको लि0 बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संबध मे प्राप्त पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978, दिंनाक 11.04.2017 की पिछले 5 वर्षो से की जा रही खुली अवहेलना के संबध मे प्रार्थी द्वारा मान0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली को शिकायत पत्र क्रमाक 5749 दिंनाक 30.03.2022 प्रेषित किया गया था, जिस पर माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा संज्ञान लेते हुए प्रकरण संख्या O.A 407/2022 दर्ज किया गया है, जिसमे माननीय ट्रिब्यूनल द्वारा शिकायत पत्र क्रमाक 5749 मे अकिंत तथ्यो, साक्ष्यो/दस्तावेजो की जांच एंव तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक संयुक्त कमेटी का गठन हेतु दिंनाक 11.07.2022 को आदेश पारित किया गया है। जिसमें आप संयुक्त कमेटी के सदस्य है।

महोदय जी, रीको लि0 बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978, दिंनाक 11.04.2017 मे अकिंत विशिष्ट नियम एंव शर्तो की पालना आज दिंनाक 25.08.2022 तक नही की गई है जिसके संबध मे महत्वपूर्ण तथ्य/साक्ष्य जांच हेतु आपको प्रस्तुत किये जा रहे है जो कि निम्नानुसार हैः–

1. यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में स्थापित करने हेतु पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर से पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 प्राप्त की गई थी। **जिसकी Compliance/Monitoring के लिये राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर/बीकानेर को अधिकृत किया गया है।**

क्र. सं.	पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 में अंकित Specific Condition	पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 में अंकित Specific Condition के संदर्भ में जानकारी/स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु
A.	यह कि पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के पार्ट–ए, Specific Condition के कन्स्ट्रक्शन फेस के **बिन्दु सं. 5** में अंकित है कि– The PP shall inform the RSPCB at the time of applying for CTE regarding investment on the various activities to be taken up under proposed Environment management Plan. The details of the plan should be submitted to the RPCB at the time of applying for CTE, As envisaged, the **P.P. shall invest at least an amount of s. 4277.29 lacs (before the project is put into use)** for implementing various environmental protection measures.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के पार्ट–ए, Specific Condition के बिन्दु सं. 5 में अंकित **4277.29 लाख** का निवेश दिनांक **25.08.2022 (64 माह तक) नहीं किया गया है** तथा उपरोक्त निवेश किये बिना करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में दिसम्बर 2019 से दिनांक 25.08.2022 तक 145 भूखण्ड विक्रय किये गये हैं जो कि पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 का **Violation/ Noncompliance** है। जिसके संदर्भ में **National Green Tribunal** नई दिल्ली द्वारा श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, रीको लि. जयपुर को दिनांक 11.07.2022 के तहत नोटिस जारी किया गया है।

....2.

NOTARY GOVT. OF INDIA Mohan Modi BIKANER R.No. 17 5/8/2025

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY BIKANER
25.8.22

52

B.	यह कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना बीकानेर के संदर्भ में 30.11.2014 के पश्चात् **Consent to Establish** दिनांक **25.08.2022** तक प्राप्त नहीं की गई?	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा दिनांक 30.11.2014 के पश्चात् **Consent to Establish** प्राप्त किये बिना परियोजना को आरंभ करना पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 की अवहेलना एंव **Violation** है।
C.	यह कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में RSPCB जयपुर द्वारा जारी **Consent to Establish** दिनांक 17.01.2012 के बिन्दु सं. **4** में अंकित है कि परियोजना को आरम्भ करने से पूर्व **Consent to Operate** प्राप्त करना आवश्यक है	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा दिनाक 25.08.2022 तक **Consent to Operate** प्राप्त नही की गई है तथा कसेंट प्राप्त किये बिना करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर को आरम्भ कर दिया गया है जो कि Consent to Establish **दिनांक 17.01.2012 में अंकित बिन्दु सं. 4 का Violation है।**
D.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर को विकसित करने के सदंर्भ में पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 में **11444.32 लाख** का निवेश प्रस्तावित था लेकिन रीको लि. बीकानेर द्वारा दिनांक 25.08.2022 (64 माह तक) तक **2232.98 लाख** का निवेश किया गया है। शेष राशि **9211.34 लाख** का निवेश दिनांक **25.08.2022** तक नहीं किया गया है?	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक विस्तार (परियोजना) बीकानेर को विकसित करने में शेष राशि **9211.34 लाख** का निवेश दिनाक 25.08.2022 तक नही किया गया है। जो कि पर्यावरण स्वीकृति दिंनाक 11.04.17 का **Violation** है।
E.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में **33%** ग्रीन एरिया का निर्माण कार्य **25.08.2022** तक नहीं किया गया है?	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा **33%** ग्रीन एरिया का निर्माण कार्य दिंनाक 25.08.2022 तक नही करना पर्यावरण स्वीकृति दिंनाक 11.04.17 की अवहेलना एंव **Violation** है
F.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में ट्यूबवेल निर्माण के सम्बन्ध में केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण जल संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली/जयपुर से दिनाक **25.08.2022** (64 माह) तक अनुमति प्राप्त नहीं की गई है।	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में निर्माणाधीन ट्यूबवेल से सम्बन्धित **अनुमति** दिनाक 25.08.2022 तक प्राप्त नही करना पर्यावरण स्वीकृति दिंनाक 11.04.2017 की अवहेलना एंव **Violation है**
G.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में बरसात के पानी की निकासी हेतु नाले/ नालियों का निर्माण कार्य **25.08.2022** (64 माह) तक नहीं किया गया है?	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना में बरसात के पानी की निकासी हेतु नाले/नालियों का निर्माण **दिंनाक** 25.08.2022 तक नही करना पर्यावरण स्वीकृति दिंनाक 11.04.2017 की अवहेलना एंव **Violation** है।
H.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में जारी पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के **बिन्दु सं. 23** की अनुपालना में दिनांक **11.04.2017 से 11.04.2022** तक समयावधि से सम्बन्धित Six Monthly Compliance status report of the "Project along with implementation of environmental measures SEIAA & RSPCB Jaipur/Bikaner को **दिनांक 25.08.2022** (64 माह) तक प्रेषित नहीं की गई है? जिसकी पुष्टि RSPCB बीकानेर/SEIAA जयपुर राजस्थान द्वारा जारी पत्रों से होती है।	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनाक 11.04.2017 के बिन्दु सं. **23** की अनुपालना में **11.04.2017 से 11.04.2022** तक Six Monthly Complinace Status report of the "Project along with implementation of envrinmental measures SEIAA & RSPCB Bikaner को दिंनाक 24.08.22 तक प्रेषित नहीं करना पर्यावरण स्वीकृति दि0 11.04.2017 के बिन्दु सं. 2 का **Violation/Noncompliance** है।

......3.

NOTARY GOVT. OF INDIA Mohan Modi BIKANER R.No. 177 8/8/2025

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER

PHOTO COPY ATTESTED

नारायणदास 25.8.22

CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj)

I.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में जारी पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के **बिन्दु सं. 2** की अनुपालना में दिनांक **11.04.2017 से 11.04.2022** तक की समयावधि से सम्बन्धित Six monthly Monitoring Report SEIAA Rajasthan & RSPCB Japur/Bikaner को **दिनांक 30.07.2022** (64 माह) तक प्रेषित नहीं की गई है। जिसकी पुष्टि RSPCB बीकानेर/SEIAA जयपुर राजस्थान के पत्रों से होती है।	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में जारी पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के **बिन्दु सं. 2** की अनुपालना में दिनांक **11.04.2017 से 11.04.2022** तक की समयावधि से सम्बन्धित Six monthly Monitoring Report SEIAA Rajasthan & RSPCB Bikaner को दिनांक 25.08.2022 तक प्रेषित नहीं करना पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 11.04.2017 के बिन्दु सं. 2 का **Violation/Noncompliance** है।
J.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर को दिनांक **25.08.2022** (64 माह) तक विकसित घोषित नहीं किया गया है?	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर को दिंनाक 25.08.2022 तक विकसित घोषित किये बिना योजना को आरम्भ करना पर्यावरण स्वीकृति दिंनाक 11.04.2017 की अवहेलना एंव **Violation** है।

2. 'यह कि पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978 दिंनाक 11.04.2017 मे अकिंत नियम एंव शर्तो की **Violation** एंव **Non Compliance** से संबन्धित **RSPCB** जयपुर द्वारा दिंनाक **02.09.2020, 05.10.2020, 04.01.2022**, के तहत कारण बताओ नोटिस रीको लि0 बीकानेर को जारी किये गये है, तथा तत्कालीन अध्यक्ष महोदया श्रीममि वीनू गुप्ता जी द्वारा अर्धशाष्कीय पत्र दिंनाक **13.07.2021, 08.04.2022**, प्रबंधक निदेशक रीको लि0 जयपुर को जारी किये गये है।

3: यह कि रीको लि0 बीकानेर द्वारा दिंनाक **27.04.2016** की जन सुनवाई के दोरान यह **घोषणा नही की गई थी** कि पर्यावरण स्वीकृति मे अकिंत नियम एंव शर्तो की पालना एस.पी.वी द्वारा की जायेगी। जो कि एक जांच का विषय है।

4: यह कि रीको लि0 बीकानेर द्वारा दिंनाक **27.04.2016** की जन सुनवाई के दोरान करणी औद्यौगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर को **Zero Liquid Discharge की पदत्ति पर स्थापित की घोषणा नही की गई थी**। जो कि एक जांच का विषय है।

5: यह कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के सामने जमा उछिष्ठ जल के फोटोग्राफ्स दिंनाक **22.11.2019, 31.01.2020, 10.07.2022** एंव ऐरियल सर्वे रिपोर्ट दिंनाक **08.01.2020, 07.09.2020, 04.09.2021** एंव Arial Comparison Report dated 04.09.2021 संलग्न कर प्रस्तुत किये जा रहे है।

अतः आपसे निवेदन है कि बिन्दु सं. **1 से 5** में अंकित तथ्यों, साक्ष्यों संलग्न दस्तावेज, फोटोग्राफ्स की **जांच/सत्यापन** कर माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के समक्ष प्रकरण से संबन्धित तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कृपा करें। प्रकरण से संबन्धित किसी भी अन्य जानकारी, के लिए प्रार्थी से सम्पर्क किया जा सकता है।

सधन्यवाद।

संलग्न (उपरोक्तानुसार)

NOTARY GOVT. OF INDIA Mohan ... BIKANER R.No 177 8/8/2025

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER

प्रार्थी,
नारायणदास
नारायण दास तुलसानी
पुत्र स्वं किशनचंद तुलसानी
ए–13, करणी नगर पवनपुरी
सहयोग पार्क के पास बीकानेर (राज)
नं 9928912610 ईमेलः narayandastulsani@gmail.com

ER108828110IN IVR:6982108828110
SP PC BIKANER RMS COUNTER <334001>
Counter No:2,26/08/2022,20:02
To:ARIAL NIDESAK,PARIVESH BHAWAN
PIN:462016, R.S.Nagar S.O
From:NARAYAN DAS ,KARNI NAGAR
Wt:360gms
Amt:70.80(Cash)Tax:10.80
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक India Post

PHOTO COPY ATTESTED
23/08/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

(54)

Gmail

Naryan Das Tulsani <narayandastulsani@gmail.com>

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली मे दर्ज प्रकरण संख्या O.A 407/2022 के संदर्भ मे।

1 message

Naryan Das Tulsani <narayandastulsani@gmail.com> Thu, Aug 25, 2022 at 8:05 PM
To: jagan191.cpcb@gov.in

महोदय जी
आपसे निवेदन है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिंनाक 11.07.2022 की अनुपालना मे प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन कर Factual and Action taken Report मान0 ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करे।

नारायण दास तुलसानी पुत्र स्वं किशनचंद तुलसानी
ए-13, करणी नगर पवनपुरी
सहयोग पार्क के पास
बीकानेर (राज)
मो नं 9928912610

Honble REGIONAL DIRECTOR CPCB BHOPAL.pdf
159K

NOTARY
Mohan Modi
BIKANER
R.No. 77
8/8/2025
GOVT. OF INDIA

PHOTO COPY ATTESTED
18/10/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

ANX-14

(55)

Office Copy

क्रमांक : 7469

दिनांक : 01.10.2022

<u>अतिआवश्यक प्रतिवेदन</u>

सेवा में,

श्रीमान मोहित जैन
संयुक्त कमेटी सदस्य
केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण,
पश्चिमी क्षेत्र, 6–ए, झलाना संस्थानिक क्षेत्र
झलाना डूंगरी, जयपुर (राज.)

विषयः **माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में दर्ज प्रकरण सं. OA 407/2022 दिनांक 11.07.2022 में गठित संयुक्त कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 18.09.2022 के संदर्भ में।**

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दर्ज प्रकरण सं. **OA 407/2022** दिनांक 11.07.2022 में संयुक्त कमेटी का सदस्य आपको नियुक्त किया गया था। **संयुक्त कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांक** RPCB/RO-Bikaner/588 दिनांक **18.09.2022** पृष्ठ सं. **1 से 312** माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में प्रस्तुत की गई है।

महोदय जी, प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रकरण संख्या OA 407/2022 दिनांक **11.07.2022** की जांच से सम्बन्धित पत्र क्रमांक 6896 दिनांक 09.08.2022 (संलग्न दस्जावेत) श्रीमान् क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण, जयपुर कार्यालय में जरिये स्पीड पोस्ट प्रेषित किया गया था जो कि भारतीय पोस्टल वेबसाईट की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 11.08.2022 को प्राप्त हो चुका है। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) Anx-1

महोदय जी, प्रार्थी द्वारा NGT New Delhi में दर्ज प्रकरण संख्या OA 407/2022 दिनांक **11.07.2022** के प्रकरण की जांच से सम्बन्धित दिनांक **23.08.2022** को दोपहर 2.00–2.30 बजे के करीब पत्र/दस्तावेज **RSPCB** बीकानेर कार्यालय में **संयुक्त कमेटी के सदस्यों के समक्ष** व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये गये थे। तत्पश्चात् आपके द्वारा दिनांक **24.08.2022** को पुनः दस्तावेजों की दो सेट में मांग की गई। आपके निर्देश की अनुपालना में पत्र क्रमांक **7019** दिनांक **24.08.2022** (संलग्न दस्तावेज 2 सैट) को क्षेत्रीय अधिकारी, RSPCB बीकानेर कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये गये। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) Anx-2

महोदय जी, प्रार्थी द्वारा आपको प्रेषित पत्र क्रमांक **7038** दिनांक **25.08.2022** (संलग्न दस्तावेज) श्रीमान् क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण जयपुर कार्यालय में जरिये स्पीड पोस्ट/ईमेल प्रेषित किया गया था जो कि आपके कार्यालय में **29.08.2022** को प्राप्त हो चुका है। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है।) Anx-3

महोदय जी, प्रार्थी द्वारा आपको प्रेषित पत्र क्रमांक 6896 दिनांक 09.08.2022 तथा क्षेत्रीय अधिकारी, RSPCB बीकानेर कार्यालय में प्रस्तुत पत्र क्रमांक 7019 दिनांक 24.08.2022 तथा पत्र क्रमांक 7038 दिनांक 25.08.2022 के बिन्दु सं. 1 से 5 में अंकित तथ्यों/साक्ष्यों/दस्तावेजों को संयुक्त कमेटी द्वारा **NGT नई दिल्ली में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 18.09.2022** में लेखबद्ध नहीं किया गया है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण सं. OA 407/2022 से सम्बन्धित प्रेषित पत्र क्रमांक 6896, दिनांक 09.08.2022, पत्र क्रमांक **7019** दिनांक **24.08.2022 तथा पत्र क्रमांक 7038 दिनांक 25.08.2022** के बिन्दु सं. **1 से 5** में अंकित तथ्यों/साक्ष्यों/दस्तावेजों की **जांच कर रिकॉर्ड में लेकर NGT नई दिल्ली में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में लेखबद्ध करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।**

धन्यवाद।

NOTARY GOVT. OF INDIA

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER

प्रार्थी,

संलग्नः उपरोक्तानुसार

नारायणदास
नारायणदास तुलसानी पुत्र स्व. श्री किशनचंद तुलसानी
ए–13, करणी नगर, पवनपुरी, बीकानेर।
मो.नं. 9928912610, email: narayandastulsani@gmail.com

PHOTO COPY ATTESTED

CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ.)

(56)

M Gmail

Naryan Das Tulsani <narayandastulsani@gmail.com>

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में दर्ज प्रकरण सं. OA 407/2022 के संदर्भ में।

1 message

Naryan Das Tulsani <narayandastulsani@gmail.com> Sun, Oct 2, 2022 at 12:34 PM
To: rdwr-cgwb@nic.in

महांदय,

आपसे निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण सं. OA 407/2022 से सम्बन्धित प्रेषित पत्र क्रमांक 6896 दिनांक 09.08.2022, पत्र क्रमांक 7019 दिनांक 24.08.2022 तथा पत्र क्रमांक 7038 दिनांक 25.08.2022 के बिन्दु सं. 1 से 5 में अंकित तथ्यों/साक्ष्यों/दस्तावेजों की जांच कर रिकॉर्ड में लेकर NGT नई दिल्ली में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में लेखबद्ध करने की कृपा करें।

प्रार्थी,

नारायणदास तुलसानी पुत्र स्व. श्री किशनचंद तुलसानी
ए-13, करणी नगर, पवनपुरी, बीकानेर।
मो.नं.ः 9928912610

HON'BLE MOHIT JAIN KENDRIYA BHUJAL JAIPUR.pdf
67K

GOVT. OF INDIA ★ NOTARY ★ MOHIT ... BIKANER ...

भारतीय डाक
India Post

Counter No:2,02/10/2022,14:54
To:SH MOHIT JAIN,KENDRIYA BHU JAL
PIN:302004, Jawahar Nagar H.O
From:NARAYAN DAS,KARNI NAGAR
Wt:69gms
Amt:47.20(Cash)Tax:7.20
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER

57

अतिआवश्यक प्रतिवेदन

पत्र क्रंमाक 6896

Office Copy

दिंनाकः 09.08.2022

2रु. कोर्ट फ़ी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

सैवा मे
श्रीमान क्षेत्रीय निदेशक
केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण
पश्चिमी क्षेत्र, 6–ए,
झालाना संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूगंरी
जयपुर (राज)

विषयः नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली मे दर्ज **प्रकरण संख्या O.A 407/2022** के संदर्भ मे।

महोदय जी,
उपरोक्त विष्यान्तर्गत लेख है कि नारायण दास तुलसानी बीकानेर द्वारा रीको लि0 बीकानेर के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना पत्र क्रंमाक **5749** दिंनाक **30.03.2022**, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नइ दिल्ली को प्रेषित किया गया था। प्रार्थी द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र पर मान0 ट्रिब्यूनल द्वारा स्वंय्र प्रसंज्ञान लेते हुए **प्रकरण संख्या O.A 407/2022** दर्ज किया गया है, जिसके संबध मे **दिंनाक 11.07.2022** को आदेश पारित किया गया है। (आदेश की छायाप्रति संलग्न है)

महोदय जी, उक्त आदेश दिं0 11.07.2022 के पैरा संख्या 3 मे यह अकिंत किया है कि ***It would be appropriate to have a factual and action taken report from a Joint Committee comprising of concerned Regional Office of MoEF & CC, CPCB, CGWA, State PCB and District magistrate, Bikaner, State PCB will be Nodal agency for coordination and compliance.***

महोदय जी, मान0 ट्रिब्यूनल के आदेश दिं0 11.07.22 के अनुसार केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण को संयुक्त कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है, इसलिए उपरोक्त आदेश से संबन्धित प्रार्थना पत्र दिं0 30.03.2022 के साथ संलग्न समस्त Annexures, एंव अन्य दस्तावेज कुल 82 पृष्ठो की छायाप्रति आपके अवलोकन हेतु प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे निवेदन है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिंनाक 11.07.2022 की अनुपालना मे प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन कर **Factual and Action taken Report** मान0 ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करे। प्रकरण से संबन्धित अन्य जानकारी के लिए प्रार्थी से सम्पर्क किया जा सकता है।

धन्यवाद

संलग्न (उपरोक्तानुसार)

प्रार्थी

नारायणदास

नारायण दास तुलसानी पुत्र स्व किशनचंद तुलसानी
ए–13, करणी नगर पवनपुरी
सहयोग पार्क के पास
बीकानेर (राज)
मो नं 9928912610
ईमेलः narayandastulsani@gmai.com

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER

NOTARY GOVT. OF INDIA ... BIKANER R.No 177 8/8/2025

भारतीय डाक India Post

ER188834000IN IVR:69821888340
SP PC BIKANER RMS COUNTER (33
Counter No:2,09/08/2022,17:17
To:SH REGIONAL D,KENDRIYA BHU JAL
PIN:302004, Jawahar Nagar H.O
From:NARAYAN DAS,KARNI NAGAR
Wt:400gms
Amt:70.00(Cash)Tax:10.00
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

PHOTOCOPY ATTESTED

13/08/22

CENTRAL ... BIKANER

Gmail Naryan Das Tulsani <narayandastulsani@gmail.com>

IN THE MATTER OF CASE NO O.A 407/2022 REGISTERED IN NATIONAL GREEN TRIBUNAL NEW DELHI

Naryan Das Tulsani <narayandastulsani@gmail.com>
To: rdwr-cgwb@nic.in

Tue, Aug 9, 2022 at 2:29 PM

Dear Sir

Kindly Find Enclosed the Documents and Order Dated 11.07.2022 Passed by National Green Tribunal Principal Bench New Delhi in the Case No. O.A 407/2022 for Kind Perusal and needful action.

Thanking you

Regards

Narayan Das Tulsani

Bikaner (Raj)

Mob No: 9928912610

REGIONAL DIRECTOR CGWA JAIPUR 6896.pdf
3915K

GOVT. OF INDIA ★ NOTARY ★ Mohan Modi BIKANER R.No. 177 8/8/2025

PHOTO COPY ATTESTED
13/10/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

(59)

अतिआवश्यक प्रतिवेदन **Office Copy**

क्रमांक : 7038

दिनांक : 25.08.2022

सेवा में,

श्रीमान क्षेत्रिय निदेशक महोदय,
केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण
पश्चिमी क्षेत्र, 6–ए,
झलाना संस्थानिक क्षेत्र, झलाना डूंगरी
जयपुर– 302004प

विषयः **जांच के संदर्भ मे।**
प्रसंग : **पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के संदर्भ में।**

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि रीको लि0 बीकानेर द्वारा करणी औद्यौगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संबध मे प्राप्त पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978, दिनाक 11.04.2017 की पिछले 5 वर्षो से की जा रही खुली अवहेलना के संबध मे प्रार्थी द्वारा मान0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली को शिकायत पत्र क्रमाक 5749 दिनाक 30.03.2022 प्रेषित किया गया था, जिस पर माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा संज्ञान लेते हुए प्रकरण संख्या O.A 407/2022 दर्ज किया गया है, जिसमे माननीय ट्रिब्यूनल द्वारा शिकायत पत्र क्रमाक 5749 मे अकिंत तथ्यो, साक्ष्यो / दस्तावेजो की जांच एंव तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक संयुक्त कमेटी का गठन हेतु दिनांक 11.07.2022 को आदेश पारित किया गया है। जिसमें आप संयुक्त कमेटी के सदस्य है।

महोदय जी, रीको लि0 बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978, दिनाक 11.04.2017 मे अकिंत विशिष्ट नियम एंव शर्तो की पालना आज दिनाक 25.08.2022 तक नही की गई है जिसके संबध मे महत्वपूर्ण तथ्य / साक्ष्य जांच हेतु आपको प्रस्तुत किये जा रहे है जो कि निम्नानुसार है:–

1. यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में स्थापित करने हेतु पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर से पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 प्राप्त की गई थी। **जिसकी Compliance/Monitoring के लिये राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर/बीकानेर को अधिकृत किया गया है।**

क्र. सं.	**पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 में अंकित Specific Condition**	**पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 में अंकित Specific Condition के संदर्भ में जानकारी/स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु**
A.	यह कि पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के पार्ट–ए, Specific Condition के कन्स्ट्रक्शन फेस के **बिन्दु सं. 5** में अंकित है कि– The PP shall inform the RSPCB at the time of applying for CTE regarding investment on the various activities to be taken up under proposed Environment management Plan. The details of the plan should be submitted to the RPCB at the time of applying for CTE, As envisaged, the **P.P. shall invest at least an amount of s. 4277.29 lacs (before the project is put into use)** for implementing various environmental protection measures.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनाक 11.04.2017 के पार्ट–ए, Specific Condition के बिन्दु सं. 5 में अंकित **4277.29 लाख** का निवेश दिनांक **25.08.2022 (64 माह तक) नहीं किया गया है** तथा उपरोक्त निवेश किये बिना करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में दिसम्बर 2019 से दिनांक 25.08.2022 तक 145 भूखण्ड विक्रय किये गये हैं जो कि पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 का **Violation/ Noncompliance** है। जिसके संदर्भ में **National Green Tribunal** नई दिल्ली द्वारा श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, रीको लि. जयपुर को दिनांक **11.07.2022** के तहत नोटिस जारी किया गया है।

....2.

GOVT. OF INDIA ★ NOTARY ★ Mohan Modi BIKANER R.No. 177 8/8/2025

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER

नारायणदास
25.8.22

PHOTO COPY ATTESTED
25/8/22
CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

60

B.	यह कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना बीकानेर के संदर्भ में 30.11.2014 के पश्चात् **Consent to Establish** दिनांक **25.08.2022** तक प्राप्त नहीं की गई?	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा दिनांक 30.11.2014 के पश्चात् **Consent to Establish** प्राप्त किये बिना परियोजना को आरंभ करना पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 की अवहेलना एंव **Violation** है।
C.	यह कि करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में RSPCB जयपुर द्वारा जारी **Consent to Establish** दिनांक **17.01.2012** के बिन्दु सं. **4** में अंकित है कि परियोजना को आरम्भ करने से पूर्व **Consent to Operate** प्राप्त करना आवश्यक है	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा दिंनाक 25.08.2022 तक **Consent to Operate** प्राप्त नही की गई है तथा कसेंट प्राप्त किये बिना करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर को आरम्भ कर दिया गया है जो कि Consent to Establish **दिनाक 17.01.2012 में अंकित बिन्दु सं. 4 का Violation है।**
D.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर को विकसित करने के सदंर्भ में पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 में **11444.32 लाख** का निवेश प्रस्तावित था लेकिन रीको लि. बीकानेर द्वारा दिनांक 25.08.2022 (64 माह तक) तक **2232.98 लाख** का निवेश किया गया है। शेष राशि **9211.34 लाख** का निवेश दिनांक **25.08.2022** तक नहीं किया गया है?	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक विस्तार (परियोजना) बीकानेर को विकसित करने में शेष राशि **9211.34 लाख** का निवेश दिंनाक 25.08.2022 तक नही किया गया है। जो कि पर्यावरण स्वीकृति दिंनाक 11.04.17 का **Violation** है।
E.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में **33%** ग्रीन एरिया का निर्माण कार्य **25.08.2022** तक नहीं किया गया है?	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा **33%** ग्रीन एरिया का निर्माण कार्य दिंनाक 25.08.2022 तक नही करना पर्यावरण स्वीकृति दिंनाक 11.04.17 की अवहेलना एंव **Violation** है
F.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में ट्यूबवेल निर्माण के सम्बन्ध में केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण जल संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली/जयपुर से दिनांक **25.08.2022** (64 माह) तक अनुमति प्राप्त नहीं की गई है।	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में निर्माणाधीन ट्यूबवेल से सम्बन्धित **अनुमति** दिंनाक 25.08.2022 तक प्राप्त नही करना पर्यावरण स्वीकृति दिंनाक 11.04.2017 की अवहेलना एंव **Violation है**
G.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर में बरसात के पानी की निकासी हेतु नाले/ नालियों का निर्माण कार्य **25.08.2022** (64 माह) तक नहीं किया गया है?	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना में बरसात के पानी की निकासी हेतु नाले/नालियों का निर्माण **दिंनाक** 25.08.2022 तक नही करना पर्यावरण स्वीकृति दिंनाक 11.04.2017 की अवहेलना एंव **Violation** है।
H.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में जारी पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के **बिन्दु सं. 23** की अनुपालना में दिनांक **11.04.2017 से 11.04.2022** तक समयावधि से सम्बन्धित Six Monthly Compliance status report of the "Project along with implementation of environmental measures SEIAA & RSPCB Jaipur/Bikaner को **दिनांक 25.08.2022** (64 माह) तक प्रेषित नहीं की गई है? जिसकी पुष्टि RSPCB बीकानेर/SEIAA जयपुर राजस्थान द्वारा जारी पत्रों से होती है।	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिंनाक 11.04.2017 के बिन्दु सं. **23** की अनुपालना में **11.04.2017 से 11.04.2022** तक Six Monthly Complinace Status report of the "Project along with implementation of envrinmental measures SEIAA & RSPCB Bikaner को दिंनाक 24.08.22 तक प्रेषित नहीं करना पर्यावरण स्वीकृति दि० 11.04.2017 के बिन्दु सं. 2 का **Violation/Noncompliance** है।

......3.

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER

PHOTO COPY ATTESTED

CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

25.8.22

NOTARY ★ GOVT. OF INDIA ★ Mohan Modi BIKANER R.No 177 3/8/2025

(61)

I.	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में जारी पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के **बिन्दु सं. 2** की अनुपालना में दिनांक **11.04.2017 से 11.04.2022** तक की समयावधि से सम्बन्धित Six monthly Monitoring Report SEIAA Rajasthan & RSPCB Japur/Bikaner को **दिनांक 30.07.2022** (64 माह) तक प्रेषित नहीं की गई है। जिसकी पुष्टि RSPCB बीकानेर/SEIAA जयपुर राजस्थान के पत्रों से होती है।	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के संदर्भ में जारी पर्यावरण स्वीकृति सं. 978 दिनांक 11.04.2017 के **बिन्दु सं. 2** की अनुपालना में दिनांक **11.04.2017 से 11.04.2022** तक की समयावधि से सम्बन्धित Six monthly Monitoring Report SEIAA Rajasthan & RSPCB Bikaner को दिंनाक 25.08.2022 तक प्रेषित नहीं करना पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 11.04.2017 के बिन्दु सं. 2 का **Violation/Noncompliance** है।
J.	यह कि रीको. लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर को दिनांक **25.08.2022** (64 माह) तक विकसित घोषित नहीं किया गया है?	यह कि रीको लि. बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर को दिंनाक 25.08.2022 तक विकसित घोषित किये बिना योजना को आरम्भ करना पर्यावरण स्वीकृति दिनाक 11.04.2017 की अवहेलना एंव **Violation** है।

2. यह कि पर्यावरण स्वीकृति संख्या 978 दिंनाक 11.04.2017 मे अकिंत नियम एंव शर्तो की **Violation** एंव **Non Compliance** से संबन्धित **RSPCB** जयपुर द्वारा दिंनाक **02.09.2020, 05.10.2020, 04.01.2022,** के तहत कारण बताओ नोटिस रीको लि० बीकानेर को जारी किये गये है, तथा तत्कालीन अध्यक्ष महोदया श्रीममि वीनू गुप्ता जी द्वारा अर्धशाष्कीय पत्र दिंनाक **13.07.2021, 08.04.2022,** प्रबंधक निदेशक रीको लि० जयपुर को जारी किये गये है।

3: यह कि रीको लि० बीकानेर द्वारा दिंनाक **27.04.2016** की जन सुनवाई के दोरान यह **घोषणा नही की गई थी** कि पर्यावरण स्वीकृति मे अकिंत नियम एंव शर्तो की पालना एस.पी.वी द्वारा की जायेगी। जो कि एक जांच का विषय है।

4: यह कि रीको लि० बीकानेर द्वारा दिंनाक **27.04.2016** की जन सुनवाई के दोरान करणी औद्यौगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर को **Zero Liquid Discharge की पदत्ति पर स्थापित की घोषणा नही की गई थी।** जो कि एक जांच का विषय है।

5: यह कि करणी औद्यौगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) बीकानेर के सामने जमा उछिष्ठ जल के फोटोग्राफ्स दिंनाक **22.11.2019, 31.01.2020, 10.07.2022** एंव ऐरियल सर्वे रिपोर्ट दिंनाक **08.01.2020, 07.09.2020, 04.09.2021** एंव Arial Comparison Report dated 04.09.2021 संलग्न कर प्रस्तुत किये जा रहे है।

अतः आपसे निवेदन है कि बिन्दु सं. **1 से 5** में अंकित तथ्यों, साक्ष्यों संलग्न दस्तावेज, फोटोग्राफ्स की **जांच/सत्यापन** कर माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के समक्ष प्रकरण से संबन्धित तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कृपा करें। प्रकरण से संबन्धित किसी भी अन्य जानकारी, के लिए प्रार्थी से सम्पर्क किया जा सकता है।

सधन्यवाद।

संलग्न (उपरोक्तानुसार)

NARAYAN DAS TULSANI BIKANER

प्रार्थी,
नारायणदास
नारायण दास तुलसानी
पुत्र स्व किशनचंद तुलसानी
ए–13, करणी नगर पवनपुरी
सहयोग पार्क के पास बीकानेर (राज)
मो नं 9928912610 ईमेलः **narayandastulsani@gmail.com**

ER188828106IN IVR:6982188826106
SP PC BIKANER RMS COUNTER (334001)
Counter No:2,26/08/2022,20:02
To:ARIAL NIDESAK,JAHALANA DOONGRI
PIN:302004, Jawahar Nagar H.O
From:NARAYAN DAS ,KARNI NAGAR
Wt:364gms
Amt:70.80(Cash)Tax:10.80
(Track on www.indiapost.gov.in)
(Dial 18002666868) (Wear Masks, Stay Safe)
India Post

PHOTO COPY ATTESTED
13/10/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

Gmail

Naryan Das Tulsani <narayandastulsani@gmail.com>

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली मे दर्ज प्रकरण संख्या O.A 407/2022 के संदर्भ मे।

1 message

Naryan Das Tulsani <narayandastulsani@gmail.com> Thu, Aug 25, 2022 at 8:15 PM
To: rdwr-cgwb@nic.in

महोदय जी
आपसे निवेदन है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिंनाक 11.07.2022 की अनुपालना मे प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन कर Factual and Action taken Report मान0 ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करे।

नारायण दास तुलसानी पुत्र स्व किशनचंद तुलसानी
ए-13, करणी नगर पवनपुरी
सहयोग पार्क के पास
बीकानेर (राज)
मो नं 9928912610

Honble REGIONAL DIRECTOR CENTRAL GROUND WATER JAIPUR.pdf
159K

PHOTO COPY ATTESTED
13/12/22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

ANX-15 (63)

ARNI BIKANER WATER ENVIRO FOUNDATION

Regd. Office : C/o Karni Industries Association Bhawan
Karni Industrial Area, Bikaner- 334006 (Raj.)
Mob. : 0935

Ref No. :

ER704387173IN IVR:6982704387
SP PC BIKANER RMS COUNTER
Counter No:2,11/04/2022,20:36
To:ARCHANA SINGH,M D RIICO LTD
PIN:302005, Rajasthan Secretariate S.O
From:KARNI BIKANER WATER,BKN
Wt:15gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
www.indiapost.gov.in
(Wear Masks, Stay Safe)

Date: 11-4-2022

सेवामें,

श्रीमान् प्रवीण जी गुप्ता,
सीनियर रिजनल मैनेजर
रीको लिमिटेड, बीकानेर।

विषय :- **आप द्वारा सीईटीपी निर्माण के लिए जमीन व फण्ड की प्रतिबद्धता करते हुए करणी विस्तार की ईसी प्राप्त की गई थी व इसी तथ्य पर उधमियों को विश्वास में लेते हुए एसपीवी का गठन कराते हुए जमीन दी गई लेकिन फण्ड के लिए नकार रहे है। एसपीवी द्वारा फण्ड के अभाव में मजबुरन क्रमबद्ध पत्र देकर भूखण्ड सरेन्डर की प्रक्रिया के बारे में पुछा जा रहा है लेकिन आप द्वारा प्रक्रिया नही बताई जा रही है। अन्तत एसपीवी द्वारा भूखण्ड की रजिस्ट्री मय लीज डीड के साथ सरेण्डर की जा रही है।**

सन्दर्भ :- **आपके द्वारा निरन्तर जानबुझकर प्रशासन, प्रदुषण मण्डल व माननीय न्यायालय के समक्ष गलत एवं भ्रमित तथ्य पेश किये जा रहे है जो कि न्यायिक दृष्टि से अविधिक है। प्रशासन, प्रदुषण मण्डल एवं माननीय न्यायालय के समक्ष गलत भ्रमित तथ्य पेश करने तथा माननीय न्यायालय का बहुमुल्य समय खराब करने के संदर्भ में।**

महोदया जी,

उपरोक्त विषय मे लेख है कि आप द्वारा प्रशासन, प्रदुषण मण्डल व कोर्ट में झुठे/गलत जवाब पेश कर सीईटीपी निर्माण मे पुर्णरूप से अपने दायित्व को एसपीवी मे सबलेट या हिस्सेदार बनाने के लिए जो दबाव बनाया जा रहा है वो पूर्णतया विधि के विरूद्ध है, करणी विस्तार की ई.सी. में कहीं भी ऐसा प्रावधान नही है कि प्लान्ट निर्माण मे आप एसपीवी को बाध्य कर सके। यह जरूर है कि प्लान्ट निर्माण उपरान्त कानून **"प्रोलूडेट टू पे"** में रनिंग/चलाने के लिए आप एसपीवी को बाध्य कर सकते है। इन्फ्रास्टेचर पुरा करना डवलपर का कार्य है।

महोदय जी, करणी क्षेत्र को आप द्वारा बिना इन्फ्रास्ट्रेक्चर पुरा किये बसाया गया था व अपनी करणी विस्तार की जमीन पर खड्डे खोदकर इस क्षेत्र के पानी निस्तारण की पद्धति अपनाई थी जिसके लिए प्रदुषण मण्डल द्वारा 2008 में आपको दोषी माना गया था व जिलाधीश महोदय ने 2009 मे मौके पर आकर पूर्ण जानकारी लेते हुए उधमियों से सहमति लेकर करणी विस्तार की जमीन की प्राईज को 600/- रु से बढाकर 1100/- रूपये प्रति मीटर कराते हुए इस पानी के लिए सीईटीपी निर्माण का फण्ड रीको को रिजर्व कराया था। अतः 2008 से आज तक में क्षेत्र में सीईटीपी निर्माण कि रीको की जवाब देही के अनेको तथ्य उधमियों के पास है जिसकी पूर्ण जानकारी रीको के पास भी है, जिसमें मुख्य आप स्वयं द्वारा गरीमामय ई.सी. में की गई प्रतिबद्धता व निचे मुजब कुछ प्रमुख व स्पष्ट तथ्य है :-

1. प्रदुषण मण्डल, जयपुर द्वारा दिनांक 03.09.2008 को रीको के मैनेजिंग डायरेक्टर को दिया गया नोटिस जिसमें इक्ठ्ठे पानी के लिए रीको को जिम्मेदार बताया ।
2. जिलाधीश महोदय, बीकानेर के कहे मुताबिक 600 रूपय से 1100 करने का उधमियों द्वारा दिया गया सहमति पत्र दिनांक 31.10.2009 ।
3. इसी क्रम में रीको के क्षेत्रिय अधिकारी बीकानेर द्वारा करणी एसोसियेशन को दिया पत्र दिनांक 27.01.2015 जिसमें उन्होने क्षेत्र के वाटर प्रोलूटेड इकाईयों द्वारा निकलने वाले पानी की मात्रा व गुणवता की जानकारी मांगी जिससे रीको सीईटीपी निर्माण के कार्य को गती प्रदान कर सके माना था।

GOVT. OF INDIA NOTARY Mohan Modi BIKANER R.No. 77 8/8/2025

PHOTO COPY ATTESTED

13/4/22 महेश कुमार कोठारी

CENTRAL NOTARY BIKANER

पेज... 2 पर

[KA]RNI BIKANER WATER ENVIRO FOUNDATION

Regd. Office : C/o Karni Industries Association Bhawan

Karni Industrial Area, Bikaner- 334006 (Raj.)

Mob. : 09351200058 Email : karnienviro@gmail.com

Ref No. : Date: 11-4-2022

(64)

(2)

4. इसी क्रम में रीको के क्षेत्रिय अधिकारी, बीकानेर द्वारा ई.सी. प्राप्त करने के आवेदन मे दिया शपथ पत्र दिनांक 06.10.2016 जिसमें उन्होने सीईटीपी निर्माण के लिए जमीन व फण्ड को रिजर्व करने की प्रतिबद्धता की थी।
5. उपरोक्तानुसार दिनांक 11.04.2017 रीको को जारी ई.सी. संख्या 978 के बिन्दु संख्या 11 मे रीको द्वारा सीईटीपी निर्माण के लिए रखा बजट व बिन्दु संख्या 13 मे रीको द्वारा सीईटीपी का निर्माण कराया जाने की प्रतिबद्धता की गई थी।

महोदय जी, रीको के क्षेत्रिय अधिकारी बीकानेर द्वारा इन तथ्यों के आधार पर ई.सी. की जन सुनवाई का हवाला जिसमें सीईटीपी के लिए जमीन व फण्ड आरक्षित रखा हुआ है व निर्माण कार्य मे उधमियों का सहयोग लिया जायेगा सभी पत्र, प्रपत्र, तथ्य दिखाते हुए उधमियों को विश्वास मे लेते हुए एसपीवी का गठन कराया गया था।

महोदय जी, उधमियों ने क्षेत्र में सीईटीपी के जल्द निर्माण व क्षेत्र मे बने गन्दे पानी के तलाब से जल्द निजात मिले इसी मन्शा के अन्तर्गत रीको के सहयोग मे एस.पी.वी. का गठन किया व रीको से जमीन व फण्ड कि मांग की थी, रीको द्वारा जमीन तो एसपीवी को दे दी गई लेकिन फण्ड के बचाव मे सीईटीपी निर्माण की राशि के लिए सरकारी योजनाऐं/स्कीमें एसपीवी को बताई जाने लगी अर्थात ई.सी. मे अपनी स्वयं की प्रतिबद्धता को एस.पी.वी. को सबलेट/ट्रान्सफर करने की मानसिकता बनाई गयी जो कि पुर्णतया असंवैधानिक व विधि के विरूद्ध है, जिसे एसपीवी कतई स्वीकार नही करेगा।

महोदय जी, रीको द्वारा सीईटीपी निर्माण मे एसपीवी को दोषी ठहराने के लिए प्रशासन, प्रदुषण मण्डल व न्यायालय को गलत, भ्रामक व गुमराह पत्रावली पेश की जा रही है व तथ्यहीन जवाब दिये जा रहे है जो निचे मुजब है :-

1. रीको द्वारा प्रशासन प्रदुषण मण्डल व न्यायालय सभी को यह कहा जा रहा है कि हमने एसपीवी को 1/ रूपये में जमीन दे दी है सीईटीपी निर्माण उसकी जिम्मेदारी है जबकि एसपीवी द्वारा क्रमबद्ध रीको को पत्र देकर रीको द्वारा ई.सी. की दूसरी शर्त रिजर्व फण्ड नही देने की स्थिति में भूखण्ड सरेन्डर की प्रक्रिया के लिए पुछा जा रहा है। जिसका खुलासा आप नही कर रहे है व न ही सरेण्डर की प्रक्रिया बता रहे है।
2. रीको द्वारा बार बार पुरे राज्य का हवाला देते हुए सीईटीपी निर्माण में एसपीवी की भुमिका बताई जा रही है। जबकि हमारे द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य के अन्य शहर पाली बालोतरा, जसोल मे प्रोलूटेड इकाईयां 95 प्रतिशत है व यहां प्रोलूटेड 5 प्रतिशत है। अतः वहां फण्ड इक्ठ्ठा करने व यहां फण्ड इक्ठठा करने मे बहुत फर्क है। जिसको आप समझते हुए भी अनजान बने हुए है।
3. रीको द्वारा यह खुलासा नही किया जा रहा कि करणी क्षेत्र मे 551 उधोग कार्यरत है व एसपीवी मे मात्र 25 उधोग हिस्सेदार है जिनके उधोग में स्वयं के पानी उपचारित संयत्र (ईटीपी) स्थापित है व अच्छे से कार्यरत है अर्थात एसपीवी के मात्र 25 उधोगो को टारगेट कर रीको बकाया 526 व अपनी बसाई आवासिय कॉलोनीयों व शॉपिंग कॉम्पलेक्सो के अपने पानी के दायित्वों को एसपीवी पर थोपने के प्रयास कर रहा है।
4. रीको द्वारा यह खुलासा नही किया जा रहा है कि रीको स्वयं द्वारा वचनबद्धता/प्रतिबद्धता के आधार पर हमे विश्वास मे लेते हुए श्रीमान् गर्ग जी, क्षेत्रिय अधिकारी ने कहा कि सीईटीपी निर्माण मे एलोटमेन्ट लेटर का सभी जगह यही फॉरमेट है आपके लिए तो हमने जमीन व राशि रिजर्व कर रखी है।

PHOTO COPY ATTESTED

CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)

GOVT. OF INDIA

पेज... 3 पर

[KA]RNI BIKANER WATER ENVIRO FOUNDATION

Regd. Office : C/o Karni Industries Association Bhawan
Karni Industrial Area, Bikaner- 334006 (Raj.)
Mob. : 09351200058 Email : karnienviro@gmail.com

Ref No. : Date: 11-4-2022

5. रीको स्वयं द्वारा क्षेत्र के सभी उधमियों को एसपीवी का सदस्य/मेम्बर बनने के लिए नोटिस व शोकस नोटिस जारी किये गये व रीको, एसपीवी व प्रदुषण मण्डल द्वारा संयुक्त कैम्प लगाये गये लेकिन उधमियों ने एसपीवी के मेम्बर बनने मे कोई रूचि नही ली तो फिर रीको द्वारा एसपीवी को जिम्मेदार ठहराना कतई उचित नही है।
6. रीको द्वारा कही भी यह खुलासा नही किया जा रहा है कि एसपीवी द्वारा बीकानेर व जयपुर मे बैठके, मिटिंगे करने के अलावा क्रमबद्ध पत्र जारी करते हुए यह कहा जा रहा है कि एसपीवी के मात्र 25 उधोगो द्वारा सीईटीपी निर्माण मे लगने वाले अंशदान अर्थात राशि/फण्ड को इक्ठ्ठा नही किया जा सकता है।
7. आपने कहीं भी यह खुलासा नही किया की ई.सी. के आवेदन या प्राप्त ई.सी. में यह कहीं भी अंकित नही है कि सीईटीपी निर्माण या उसकी राशि को हम एसपीवी को सबलेट करेगे या एसपीवी के मार्फत केन्द्र सरकार की योजना मे अप्लाई करायेगे या एसपीवी से अंशदान लिया जायेगा।

महोदय जी, प्रदुषण मण्डल की चैयरमेन, जयपुर, श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त बीकानेर व श्रीमान् जिलाधीश जी बीकानेर सभी के समक्ष हमने आप द्वारा सीईटीपी निर्माण की प्रतिबद्धता के साक्ष्य, तथ्य रखे व आपने हमारे को दिये भूखण्ड के एलॉटमेन्ट लेटर को रखा अपने दोनो के विवाद में अपना अपना पक्ष रखा गया जिसमे सभी साक्ष्य, तथ्यों, पत्रों, प्रपत्रों के दर्शनार्थ व पूर्ण विचार विमर्श के बाद सीईटीपी निर्माण मे आपकी जवाबदेही तय करते हुए आपको पत्र, अर्द्धशासकीय पत्र, शोकेश नोटिस जारी किये गये जो निचे मुजब है। जिसका आप न्यायालय में खुलासा नही कर रहे है।

1. दिनांक 13.07.2021 को प्रदुषण मण्डल के श्रीमती चैयरमैन (आई.ए.एस.) द्वारा रीको को अर्द्धशासकीय पत्र जारी किया गया।
2. दिनांक 04.01.2022 को प्रदुषण मण्डल के श्रीमान् मैम्बर सैक्रेट्री (आई.ए.एस.) द्वारा रीको को शौकेश नोटिस जारी किया गया।
3. दिनांक 15.02.2022 को श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर (आई.ए.एस.) द्वारा रीको को पत्र जारी किया गया।
4. दिनांक 02.03.2022 को श्रीमान् जिलाधीश महोदय, बीकानेर (आई.ए.एस.) द्वारा प्रमुख शासन सचिव को अर्द्धशासकीय पत्र जारी किया गया। उधोग एवं वाणिज्य विभाग।
5. दिनांक 08.04.2022 को प्रदुषण मडल की श्रीमती चैयरमेन (आई.ए.एस.) द्वारा रीको को पुनः अर्द्धशासकीय पत्र जारी किया गया है।

महोदय जी, सीईटीपी निर्माण मे सम्पूर्ण साक्ष्य, तथ्यों के आधार पर सभी सक्षम अधिकारीयों (आईएएस) ने आपको दोषी माना। आप स्वयं द्वारा सीईटीपी निर्माण में पर्यावरण को दिये पत्र, शपथ पत्र व प्राप्त ई.सी. की शर्तो में की गई प्रतिबद्धता से भी ऊपर हमारे अलॉटमेन्ट लेटर की शर्तो को बिन्दुओं को महत्व दे रहे है इसलिए हमारे द्वारा आपका दिया भूखण्ड सरेन्डर किया जा रहा है इसके उपरान्त एसपीवी को भंग किया जायेगा। हमारे रीको के सहयोग की भावना को आप द्वारा प्रशासन, प्रदुषण मण्डल व न्यायालय में अपने सुरक्षा कवच के रूप मे यूज किया जा रहा है।

महोदय जी आगे जब भी आपको सीईटीपी निर्माण मे आपकी जवाबदेही का अहसास हो जाये या सीईटीपी निर्माण मे जब भी आपको उधमियों के सहयोग की आवश्यकता पडेगी क्षेत्र की ऐसोसियेशन हमेशा आपके सहयोग मे तैयार रहेगी इसका हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते है।

PHOTO COPY ATTEST

महेश कुमार कोठारी

पेज.. 4 पर

CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ.)

(66)

KARNI BIKANER WATER ENVIRO FOUNDATION

Regd. Office : C/o Karni Industries Association Bhawan
Karni Industrial Area, Bikaner- 334006 (Raj.)
Mob. : 09351200058 Email : karnienviro@gmail.com

Ref No. : Date: 11-4-2022

महोदय जी, आप एसपीवी को भूखण्ड सरेण्डर की प्रक्रिया से अवगत नही करा रहे है व इस भूखण्ड को अपने बचाव मे कवच के रूप में यूज कर रहे है जो आप स्वयं व क्षेत्र के उधमियों दोनो के लिए सही नही है। अतः एसपीवी द्वारा पत्र के साथ जो हमारे पास लीज डीड की कॉपी है वह सरेण्डर की जा रही है कृपया सरेन्डर की लिगल कार्यवाही मे जहां भी आपको एसपीवी के हस्ताक्षरो की जरूरत होगी हमारे द्वारा कर दिये जायेगे व इसे आप पुर्णतया समझ ले कि एसपीवी द्वारा भूखण्ड सरेण्डर कर दिया गया है।

महोयद जी हम मात्र आपसे यह कह रहे है कि आप स्वयं द्वारा सीईटीपी निर्माण के लिये की गई वचनबद्धता/प्रतिबद्धता की कम्पलाईन्स पूरी करे। आप द्वारा इधर उधर की वार्ता करके आप प्रशासन, प्रदुषण मण्डल, राज्य सरकार व न्यायालय के बहुमुल्य समय के अलावा उधमियों पर दबाव बनाने का समय नष्ट न करे। आपकी इसी समय बर्बादी के कारण आप क्षेत्र के 551 उधोग बन्द होने की कगार पर है।

आप द्वारा प्रशासन, प्रदुषण मडल व माननीय न्यायालय के समक्ष गलत व भ्रमित तथ्या पेश करने तथा माननीय न्यायालय का बहुमुल्य समय खराब करने के कारण आपके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है जिसका समस्त वैधानिक दायित्व व्यक्तिगत रूप से आपका हेगा।

नोट :- आगे से रीको द्वारा सीईटीपी निर्माण के लिए जो भी पत्राचार किया जाय वह एसोसियेशन से ही किया जायेगा। क्योकि उधमियों द्वारा एसपीवी को भंग/सरेन्डर की जल्द कार्यवाही की जायेगी।

सधन्यवाद।

भवदीय

संलग्न : लीज डीड की प्रति।

महेश कुमार कोठारी

(महेश कोठारी)
निदेशक
करणी बीकानेर वाटर इन्वायरो फाउण्डेशन, बीकानेर।

प्रतिलिपि :-

1. **माननीया श्रीमती अर्चना सिंह, प्रबन्धक निदेशक, रीको लिमिटेड, जयपुर।**

NOTARY GOVT. OF INDIA ★ Mohan Modi BIKANER R.No 177 8/8/2025

PHOTO COPY ATTESTED 13/10/22
CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.)